निकाह के मसाइल

मुहम्मद इक़वाल कीलानी

प्रकाशक
अलकिताब इन्टर नेशनल
जामिया नगर नई दिल्ली - २५

Www.IslamicBooks.Website

निकाह के मसाइल

संकलन
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक
अल किताब इन्टर नेश्नल
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

Www.IslamicBooks.Website

©सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पुस्तक का नाम : निकाह के मसाइल

संकलन : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

ज़ेरे निगरानी : सैयद शौकत सलीम

संख्या : एक हज़ार

प्रकाशन : 2006

मूल्य :

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेश्नल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

Www.IslamicBooks.Website

विषय - सूची

क्या?	कहां?
• निकाह के मसाइल	
• महिला के अधिकारों के आन्दोलनों के नाम	5
• बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम	7
• निकाह से कुछ अहम तर्क	22
• बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम	70
• नियत के मसाइल	71
• निकाह की प्रमुखता	71
• निकाह का महत्व	74
• निकाह की क़िसमें	76
• मसनून निकाह	76
• निकाह शिग़ार	77
• निकाह हलाला	77
• निकाह मुतअ	78
• निकाह क़ुरआन की रोशनी में	79
• निकाह के मसाइल	87
• निकाह में संरक्षक की मौजूदगी	90
• संरक्षक के अधिकार	90
• संरक्षक के कर्तव्य	92
• मेहर के मसाइल	94
• निकाह के ख़ुत्बे के मसाइल	97

Www.IslamicBooks.Website

- वलीमे के मसाइल 97
- मंगेतर को देखने के मसाइल 99
- निकाह में जायज़ काम 100
- निकाह से संबंधित दुआएं 110
- संभोग के शिष्टाचार 111
- आदर्श पति के गुण 116
- आदर्श पत्नी के गुण 121
- पति के अधिकारों का महत्व 124
- पति के अधिकार 125
- पत्नी के अधिकारों का महत्व 128
- पत्नी के अधिकार 130
- ग़ैर-मुस्लिम पति पत्नी में से किसी एक का मुसलमान होना 134
- दूसरे निकाह के मसाइल 135
- लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन ह स न तुन० 137
- तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्ल० का जीवन सबसे अच्छा नमूना है 137
- हराम रिश्ते 140
- आने वाले बच्चे के अधिकार 144
- मां-बाप के अधिकार 147

Www.IslamicBooks.Website

महिला के अधिकारों के आन्दोलनों के नाम

हम पूरी निष्ठा एवं हमदर्दी की भावना के साथ महिलाओं के अधिकारों के समस्त आन्दोलनों को यह दावत देते हैं कि वे नबी सल्ल० की लायी हुई सामाजिक व्यवस्था का अक़ीदे के रूप में न सही एक सुधारवादी आन्दोलन के रूप ही में सही, गंभारता के साथ अध्ययन करें और फिर बताएं कि–

- बेटियों को जीवित दफ़न करने की रस्म को किसने समाप्त किया?
- एक एक महिला के साथ एक ही समय में दस-दस मर्दों के निकाह की जाहिलाना रस्म किसने मिटायी?
- औरतों को मर्दों के अत्याचारों से बचाने के लिए असीमित तलाक़ों का बर्बर क़ानून किसने निरस्त किया?
- बेटी के लालन पालन और प्रशिक्षण पर जहन्नम की आग से बचने की शुभ सूचना कौन लेकर आया?
- औरत को शिक्षा के ज़ेवर से सजाने की बुनियाद किसने डाली?
- औरत को मर्द के साथ स्वभाविक समानता का झन्डा किसने बुलन्द किया?
- औरत को खाने पकाने की चिन्ता से सम्मानित व प्रतिष्ठित आज़ादी किसने दिलायी?
- विधवा व तलाक़शुदा औरतों से निकाह करने और औरत को सम्मान और महानता किसने प्रदान की?
- औरत को एक इज़्ज़तदार जीवन बसर करने पर जन्नत की ज़मानत किसने दी?
- औरत के सतीत्व से खेलने वाले अपराधियों को संगसार (पत्थर मारने वाली सज़ा) करने का क़ानून किसने लागू किया?
- औरत को मां के रूप में मर्द के मुक़ाबले में तीन गुना आधिक सदव्यवहार का हक़दार किसने ठहराया?
- औरत के बुढ़ापे को सम्मानित और मान व सुरक्षा किसने प्रदान की? हम पूरी सूझबूझ और होश से यह दावा करते हैं कि मानव इतिहास में पैग़म्बरे इस्लाम, मुहसिने इन्सानियत मुहम्मद सल्ल० ही वे पहले और अन्तिम

Www.IslamicBooks.Website

व्यक्ति हैं जिन्होंने सृष्टि की सबसे मज़्लूम और सबसे तुच्छ रचना..... औरत....को निर्दयी, अत्याचारी और बर्बर जिन्सी दरिन्दों के चंगुल से निकाह कर मानवता से परिचित कराया। औरत के अधिकार निर्धारित किए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की। उसे समाज में बड़ा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ एक सम्मानित स्थान से सुशोभित किया।

सच बात तो यह है कि क़यामत तक मोहसिने इन्सानियत सल्ल० के उपकारों के बोझ से अपने को अलग करना चाहे भी तो नहीं कर सकती।

Www.IslamicBooks.Website

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन०

अम्मा बाद!

निकाह इन्सान के जीवन में अत्यन्त अहम मोड़ की हैसियत रखता है। मां-बाप के यहां जब बेटा पैदा होता है तो उनकी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मां-बाप बड़े प्यार और मौहब्बत से अपने राज दुलारे के लालन-पालन में लग जाते हैं। दुनिया का हर दुख और मुसीबत सहन करके अपने बेटे को सुख सुविधा उपलब्ध करते हैं। बलिदान और त्याग की अनोखी मिसालें पेश करके बच्चे की शिक्षा-दीक्षा और उसके भविष्य के लिए दिन रात एक कर देते हैं तो बूढ़े मां-बाप की रगों में जवान ख़ून दौड़ने लगता है।

नवजान बेटा मां-बाप की आशाओं और सुहाने सपनों का केन्द्र बन जाता है। जवानी की दहलीज़ पर क़दम रखते ही मां-बाप को बेटे की शादी की चिंता हो जाती है। मां-बाप अपने प्यारे बेटे के लिए ऐसी बहु की तलाश करना शुरू कर देते हैं जो लाखों में एक हो, मुबारक व सलामती की दुआओं के साथ बहु घर आ जाती है। मुश्किल से कुछ हफ़्ते गुज़रते हैं कि मौसम बहार पतझड़ में बदलने लगता है। बेटा जो पहले मां-बाप की आंखों का तारा था "औरत का गुलाम" कहलाने लगता है। बहु जो घर में आने से पहले लाखों में एक थी ज़माने भर की फूहड़ कहलाने लगती है। नौबत यहां तक आ जाती है कि समाज की इस महत्वपूर्ण तिकोन बेटा, बहु सुसराल का एक साथ रहना कठिन हो जाता है।

मां-बाप के यहां बेटी का पैदा होना अज्ञानता के ज़माने की तरह आज भी बुरा समझा जाता है बच्ची की शिक्षा दीक्षा, उसकी पाकदामनी की सुरक्षा, उचित रिश्ते की तलाश, रस्म व रिवाज के अनुसार दहेज की तैयारी और इसी प्रकार के दूसरे मसाइल बेटियों के पैदा होते ही मां-बाप की नींद उड़ा देते हैं।

ये मसाइल समाज के उस वर्ग के हैं जो नियम के अनुसार जीवन बसर कर रहा है वर्ना आम घटनाएं इतनी भयानक हैं कि अल्लाह की पनाह। कुछ समाचारों की सुर्ख़ियां देखिए–

1. बेटी की शादी पर झगड़े में पति ने साथियों की मदद से टांगे और हाथ काट कर पत्नी को फांसी दे दी।

Www.IslamicBooks.Website

2. मर्ज़ी का रिश्ता न करने पर बेटे ने बाप को गोली मार दी।

3. दूसरी शादी की अनुमति न देने पर पत्नी को गोली मार दी।

4. विवाहित औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कर दी।

5. दूसरी शादी करने पर मां को मौत के घाट उतार दिया।

6. लव मैरिज में नाकामी पर दुखी जोड़े ने अपने अपने घर में ज़हर खाकर आत्म हत्या कर ली।

7. पत्नी अदालत से खुलअ लेना चाहती थी। पति ने पत्नी पर तेज़ाब फेंक दिया। हालत बिगड़ने पर बदकारी का मुक़दमा दर्ज करा दिया।

8. बहन को तलाक़ मिलने पर तीन भाइयों ने बहनोई के बाप को क़त्ल कर दिया।

9. लवमैरिज करने वाली लड़की नारी निकेतन से अदालत ले जाते हुए गोली मार दी गयी। जनाज़े की नमाज़ में मैके वाले भी शरीक न हो सके और न ही सुसराल वाले ही। पति पहले ही जेल में था।

10. सन्तान न होने पर पति ने जीवन नरक बना दिया। तलाक़ चाहिए। नारी निकेतन में मौजूद लड़की की मांग।

उपरोक्त समाचारों से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि हमारे समाज में चादर और चार दीवारी के अन्दर का जीवन कितना दुखद, पीड़ा दायक बन चुका है। इस स्थिति को देखते हुए यह चाहिए था कि हमारे बुद्धिजीवी, राष्ट्र के निर्माता, क़ौम के रहबर और पढ़े लिखे व औरतें इस्लामी शिक्षाओं का सहारा लेते लेकिन यह सत्यता बड़ी दुखद है कि विगत पचास साल से हमारे देश में एक ऐसा वर्ग शासन करता चला आ रहा है जो पश्चिमी तौर तारीक़ों से इतना अधिक प्रभावित है कि अपने समस्त मसाइल का हल उसी तौर तरीक़ों के अनुसार तलाश करता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अगुवाई में स्थापित किए गए महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कमीशन ने सरकार को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं वह इस तथ्य का स्पष्ट सबूत हैं। उन्हें देखिए–

1. पत्नी की मर्ज़ी के बिना पति पत्नी के संबंध को अपराध ठहराया जाए और इसकी सज़ा आजीवन कारावास रखी जाए।[1]

---

1. याद रहे पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था में पत्नी की मर्ज़ी के बिना पति पत्नी के संबंध क़ायम

शेष अगले पृष्ठ पर

Www.IslamicBooks.Website

2. 120 दिन के गर्भ को गिराने के लिए महिला को क़ानूनी सुरक्षा उपलब्ध की जाए।

3. पति की मर्ज़ी के बिना पत्नी को नसबन्दी का आपरेशन कराने की अनुमति दी जाए।[2]

4. कम आयु पत्नी से उसकी मर्ज़ी के बिना दाम्पत्य संबंध स्थापित करने को ज़िना ठहराया जाए।

हमें यह स्वीकारने में कदापि कोई संकोच नहीं कि चादर और चारदीवारी के अन्दर सम्पूर्ण रूप से औरत बहुत ही मज़्लूम है। उसकी बात सुनी जानी चाहिए। समाज में उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान मिलना चाहिए लेकिन विचारणीय बात यह है कि उपरोक्त प्रस्ताव में से कौन से प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे किसी मुसलमान औरत की इज़्ज़त व मान में वृद्धि हो सकती है या उसकी मज़्लूमियत की क्षतिपूर्ति हो सकती है? उपरोक्त प्रस्ताव वास्तव में इस्लामी सामाजिक व्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था में बदलने की एक नाकाम सी कोशिश है।

करना अपराध है जिसकी सज़ा क़ैद है। लंदन में एक औरत ने अपने पति के विरुद्ध मुक़दमा कर दिया कि उसने मेरी मर्ज़ी के बिना मुझसे जिन्सी संबंध स्थापित किया है जिस पर जज ने फ़ैसले में लिखा कि औरत पत्नी होने के साथ साथ एक ब्रिटेन नागरिक भी है। शहरी होने की हैसियत से उसे आज़ादी का हक़ हासिल है जिसमें पति हस्तक्षेप नहीं कर सकता अतः पति को बलात्कार का अपराधी ठहराकर एक महीने की क़ैद की सज़ा सुना दी गयी। (अल बिलाग़, मुम्बई, अक्टूबर 1995)

2. दूसरा और तीसरा प्रस्ताव असल में इसी प्रोग्राम पर अमल करने का एक हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में क़ाहिरा सम्मेलन (आयोजित 1994) और बेजिंग सम्मेलन (आयोजित 1995) में तै किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का यह कार्यक्रम असल में "आबादी व प्रगति" और "महिला के अधिकारों" जैसे दिल मोह लेने वाले नारों के पर्दे में पूरी दुनिया में अश्लीलता और नग्नता फैलाने और पश्चिमी सभ्यता को मुस्लिम देशों में ज़बरदस्ती थोपने का प्रोग्राम है। इनका सार यह है– 1. गर्भपात को औरतों का हक़ माना जाए और उसे क़ानूनी सुरक्षा मिले। 2. निकाह के बिना जिन्सी मिलाप को आसान बनाया जाए। 3. शादी के लिए उम्र निर्धारित की जाए और उससे पहले शादी करने को दंड योग्य समझा जाए। 4. समलैंगिक की अनुमति दी जाए। 5. गर्भपात की दवाइयां को आम किया जाए। 6. स्कूलों और कालेजों में मिली जुली शिक्षा की व्यवस्था की जाए (लड़के लड़की एक साथ रहें)। 7. प्राइमरी स्कूलों से जिन्सी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

Www.IslamicBooks.Website

शासकों के इस इस्लाम दुश्मन रवैए के साथ साथ आजकल हमारी अदालतें जिस प्रकार ज़ोर देकर घरों से अपने यारों के साथ भागने वाली लड़कियों के बारे में 'संरक्षक की अनुमति के बिना निकाह जायज़ है।''[1] के फ़तवे दे रही हैं। इससे पश्चिमी सभ्यता के प्रेमियों के हौसले और भी बढ़े हुए हैं और रही सही कसर पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था की प्रेमी महिलाओं ने ''महिला आन्दोलन'' और ''महिला स्वतंत्रता संगठन'' वीमेन्ज़ फ़ोरम, हीयूमेन राइटस फ़ाउंडेशन और ''वीमेन एक्शन फ़ोरम'' जैसे संगठन बनाकर पूरी कर दी हैं।[2]

दुख की बात यह है कि हमारे शिक्षा संस्थान विगत आधी सदी से निरंतर अंग्रेज़ी सांचे में ढली हुई नस्लें तैयार करते आ रहे हैं वही लोग आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पश्चिम के ग़ुलाम सरकारी वकीलों का किरदार अदा कर रहे हैं।

सवाल यह है कि औरत को सम्मान और प्रतिष्ठा पश्चिमी समाज में प्राप्त है या इस्लामी समाज में? औरत पर होने वाले ज़ुल्म व अत्याचार का अन्त पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था में संभव है या इस्लामी सामाजिक व्यवस्था में? इन सवालों का जवाब तलाश करने से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था पर एक उचटती सी निगाह डाली जाए ताकि यह मालूम हो सके कि पश्चिमी जीवन व्यवस्था है क्या?

पश्चिमी जीवन व्यवस्था

अठारहवीं सदी के अन्त में यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति आयी तो बड़ी तीव्र गति से कारख़ाने और फ़ैक्ट्रियां बनना शुरू हो गयीं। इन फ़ैक्ट्रियों में काम करने के लिए जब मर्दों की संख्या कम पड़ गयी तो और अधिक हाथ उपलब्ध कराने के लिए पूंजीपति ने औरत को चादर और चारदीवारी से निकाल कर औद्योगिक प्रगति के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनायी जिसके लिए औरत मर्द में

---

1. देखिए समाचार 23 फ़रवरी 1997 और नवाए वक़्त 11 मार्च 1997 ई०।

2. इस प्रकार के संगठन औरतों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए किस प्रकार की कोशिशें कर रही हैं इसका पता निम्न दो समाचारों से लगाया जा सकता है।
1994 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में विभिन्न महिला संगठनों ने सरकार से निम्न मांगे कीं– 1. एक से अधिक शादी पर रोक लगायी जाए और इसे दंडनीय अपराध ठहराया जाए। 2. हुदूद आर्डिनेन्स, क़ानून शहादत, क़िसास और दैत आर्डिनेन्स निरस्त किया जाए। 3. औरतों व मर्दों को समस्त कार्यों में समान अधिकार दिए जाएं।

Www.IslamicBooks.Website

समानता, औरतों की स्वतंत्रता और औरतों के अधिकार जैसे सुन्दर नारे और फ़लसफ़े तराशे गए। कम अक़्ल औरत "मर्द व औरत में समानता" के दिल लुभाने वाले जाल को अपने सम्मान और दर्जो की बुलन्दी समझते हुए मर्दों के कांधे से कांधा मिलाकर आर्थिक मैदान में कूद पड़ी। जिसका असल लाभ तो पूंजीपति ही को हुआ लेकिन इसका उपलाभ यह भी हुआ कि पहले जहां केवल एक मर्द की कमाई से घर के चार या पांच लोगों को केवल जीवन के साधन उपलब्ध होते थे वहीं उसके घर के दो तीन लोगों के रोज़गार पर होने से जीवन के संसाधनों की दौड़ की शुरूआत हो गयी और इस तरह मर्दों, औरतों का फ़ैक्ट्रियों और कारख़ानों में दिन रात मशीनों की तरह काम करना ही जीवन का एक मात्र उद्देश्य ठहरा।

कार्यालयों, फ़ैक्ट्रियों और कारख़ानों में औरतों और मर्दों के खुले तौर पर एक साथ रहने का दायरा केवल वहीं तक सीमित रहना संभव न था धीरे धीरे यह दायरा खेतों, होटलों, कल्बों, नाचघरों, बाज़ारों से लेकर राजनीति के अखाड़ों, सैरगाहों और मनोरंजन स्थलों पार्कों और खेल के मैदानों तक फैल गया। पूरे समाज में मर्दों और औरतों में एक साथ काम करने ने शर्म व लज्जा के मूल्यों को एक एक करके रौंद कर रख दिया। मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाली औरत में साज सज्जा, हुस्न का प्रदर्शन शरीर का बनाव सिंगार, आकर्षक बनने की चाह, दिलों को लुभाने वाली अदाएं दिखाने की भावना पैदा होना स्वभाविक बात थी जिसके लिए बारीक, तंग, भड़कीले, अर्धनंगे कपड़े पहनना, अधिक बनाव सिंगार करना, मर्दों के साथ नंगी हालत में नहाना, नंगी तस्वीरें खिंचवाना, कल्बों, स्टेज ड्रामों, नाचघरों और फिल्मों में नंगे रोल अदा करना पूरे समाज का अनिवार्य अंग बन गया जिसका नतीजा यह है कि आज पश्चिम में "आज़ादी ए निसवां (महिला की आज़ादी)" और महिला अधिकारों के नाम पर औरतों का बाज़ारों में नंगा होना और बिन ब्याही माओं का वजूद कोई बुरी बात नहीं रही।

विगत दिनों एक अमेरिकी स्कूल में दो महिला टीचरों ने एनाटामी की आठवीं कक्षा में नंगी होकर पढ़ाने का अनोखा तरीक़ा इस्तेमाल किया, दोनों महिला टीचरों की दलील यह थी कि इस बोर विषय में इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं की दिलचस्पी बनाए रखी जा सकती है। इटली में मसूलेनी की पोती ने विधान सभा की सदस्यता के लिए नंगे होकर सदस्यों से संबोध किया और वोट

Www.IslamicBooks.Website

मांगे। दुनिया में मानवाधिकार के सबसे बड़े दावेदार के नाम से एक शहर आबाद है जिसके नागरिकों के शरीर पर ज़मीन व आसमान ने लिबास कभी नहीं देखा, वहां हर साल पूरी दुनिया की पूरी तरह नंगी होने की शौक़ीन औरतों के 'वीमेन नेविड वर्ल्ड'' मुक़ाबले भी होते हैं।

1966 ई० में फ्रांस के राष्ट्रपति शेराक की बेटी क्लाड के यहां शादी के बिना बच्ची पैदा हुई तो क्लाड ने बच्चे के बाप का नाम तक बताने से इन्कार कर दिया लेकिन बाप के माथे पर कोई बल तक न आया। पूर्व राष्ट्रपति रेगन की पत्नी नेन्सी रेगन ने यह रहस्य खोला है कि जब मैंने रेगन से शादी की थी उस समय गर्भवती थी। सात महीने बाद हमारे यहां बेटी पैदा हुई। ब्रिटेन संसद के चुनाव 1997 ई० में एक ऐसी महिला ने भाग लिया जो विगत 18 साल से निकाह के बिना ब्याय फ्रेन्ड के साथ रह रही है जिससे उसके तीन बच्चे हैं। यह महिला स्कूल टीचर, स्कूल इंसपैक्टर और मजिस्ट्रेट भी रह चुकी है। ब्रिटेन की बनने वाली मलिका डियाना ने टेलीविज़न पर अपने पति की मौजूदगी में दूसरे लोगों के साथ अपने जिन्सी संबंधों को बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ स्वीकार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल किलिन्टन के जिन्सी स्कैन्डिल अब तक समाचार पत्रों के पृष्ठों पर छपते रहे हैं। अमेरिका के बिशप आज़म और ईसाई दुनिया के महान प्रचारक जिम्मी स्वागट ने अमेरिकी टीवी पर पत्नी की मौजूदगी में अपने जिन्सी गुनाहों को स्वीकारा। इसका साफ़ मतलब यह है कि पश्चिमी समाज में बदकारी और हरामकारी के सामने नैतिकता व धार्मिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है? आम आदमी तो अलग रहा किसी बड़ी से बड़ी धार्मिक हसती का भी इस बिगड़े हुए समाज में साफ़ सुथरा रहना संभव नहीं रहा।

प्रगतिशील देशों में ज़िना, अश्लीलता और हरामकारी के इस कल्चर की एक और तस्वीर नीव्ज़ वीक की इस रिपोर्ट से सामने आती है जिसमें अमेरिका और यूरोप के 17 देशों में बिन ब्याही माओं की दर प्रतिशत प्रकाशित की गयी जो इस प्रकार है–

1. स्वेडस– 50 प्रतिशत 2. डेन्मार्क– 47 प्रतिशत
3. नार्वे– 46 प्रतिशत 4. फ्रांस– 35 प्रतिशत
5. ब्रिटेन– 32 प्रतिशत 6. फिनलैंड– 31 प्रतिशत
7. अमेरिका– 30 प्रतिशत 8. आस्टीरिया– 27 प्रतिशत
9. आयरलैन्ड– 20 प्रतिशत 10. पुरतगाल– 17 प्रतिशत

Www.IslamicBooks.Website

11. जर्मनी– 15 प्रतिशत 12. नेदरलैन्ड– 13 प्रतिशत
13. बर्ग– 13 प्रतिशत 14. बेलजियम– 13 प्रतिशत
15. स्पेन– 11 प्रतिशत 16. इटली– 7 प्रतिशत
17. स्वीज़रलैन्ड– 6 प्रतिशत 18. यूनान– 3 प्रतिशत

ज़िनाकारी, बदकारी और अश्लीलता के इस शैतानी तूफ़ान ने पश्चिम के सभी प्रगतिशील देशों को जिन्सी दरिन्दों का जंगल बना दिया है। अमेरिकी पत्रिका 'टाइम्स'' की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, चैक, रोमानिया, हंगरी और बलगारिया की बड़ी बड़ी सड़कों पर बदकार औरतें लाइनें लगाए खड़ी रहती हैं। बर्लिन और प्राग को मिलाने वाली बारह सौ किलो मीटर लम्बी सड़क शायद दुनिया का सबसे सस्ता और बड़ा वैश्यालय है जहां से गुज़रने वालों को बड़ी ही सस्ती अय्याशी के लिए कमसिन व सुन्दर लड़कियां मिल जाती हैं।

एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी आक्सफ़ोर्ड में शिक्षा ग्रहण करने वाले 76 प्रतिशत छात्र शादी के बिना जिन्सी संबंध जोड़ने के पक्ष में हैं। 51 प्रतिशत छात्राओं ने माना कि वे यूनीवर्सिटी में आने के बाद कुंवारी नहीं रहीं। 25 प्रतिशत छात्राओं ने गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करने की बात मानी। 56 प्रतिशत छात्रों को जिन्सी आनन्द की प्राप्ती के लिए एडस की कोई चिन्ता नहीं। 48 प्रतिशत समलिंग के शौक़ से आनन्द प्राप्ती को प्राकृकि और सुरक्षित तरीक़ा समझते हैं। ब्रिटेन के समाचार पत्र एक्सप्रेस के अनुसार हर साल एक लाख अंग्रेज़ छात्राएं गर्भवती होती हैं।

याद रहे कि इंग्लैंड के क़ानून के अनुसार चार साल के बाद हर बच्चे को स्कूल भिजवाना अनिवार्य है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुरू ही से एक दूसरे के साथ नंगे होकर नहाने की नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी क्लासों में पहुंचने के बाद नवजवान लड़कों और लड़कियों के लिए संयुक्त स्वीमिंग (तेराकी) अनिवार्य होती है इसके साथ साथ बच्चों को रात में देर तक घर से बाहर रहने की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं और यह भी बताया जाता है कि यदि तुम्हारे मां-बाप तुम्हें किसी बात पर डाटें या मारें तो पुलिस को फ़ोन करके उन्हें थाने भिजवा दो।[1] अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है एक स्कूल

1. इस व्यवस्था का ग़ैर मुस्लिम बच्चों पर जो प्रभाव है वह तो है ही पश्चिम में रहने वाले बच्चों पर इसके प्रभाव का अनुमान निम्न घटनाओं से लग सकता है जो दैनिक ''जंग'' लंदन

शेष अगले पृष्ठ पर

Www.IslamicBooks.Website

में दो लड़कों ने पन्द्रह साल की लड़की से ज़िना किया। मुक़दमा अदालत में गया तो जज ने फ़ैसले में लिखा— लड़कों ने लड़कपन में शरारत की है इसे ज़िना नहीं कहा जा सकता। (नवाए वक़्त 30 दिसम्बर 1991)

एक मासिक अमेरिकी पत्रिका के सर्वे के अनुसार 1980 से 1985 के बीच शादी करने वाली औरतों में से केवल 14 प्रतिशत औरतें वास्तव में कुंआरी थी शेष 86 प्रतिशत शादी से पूर्व ही अपनी इज़्ज़त गंवा चुकी थीं। 80 प्रतिशत से अधिक लड़के और लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले ही जिन्सी संबंध स्थापित कर चुके होते हैं। (अलजुमा मासिक U.S.A- 20 अक्टूबर 1997)

एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में गर्भपात कराने वाली औरतों की दर 33 प्रतिशत है। (जस्ट द फैक्टस डायटन राइट टू लाइफ़ यू. एस. ए)

वायस आफ़ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस की सब समेटी के सामने सेना में काम करने वाली अनेक औरतों ने अपने सैनिक अफ़सरों के हाथों जिन्सी शोषण की शिकायत की तो कमेटी ने अपराधियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। एक औरत ने बताया कि उसके "बास" ने उसकी इज़्ज़त लूटी है तो उसे कहा गया "इसे भूल जाओ" (नवाए वक़्त 2 जुलाई 1992 ई०)

जिन्सी आनन्द की इस हविस ने राष्ट्रों के अन्दर मानवता तो क्या ममता जैसी महान भावनाओं तक को पामाल कर डाला है। नीव जर्सी के एक स्कूल की छात्रा ने नाच गाने की महफ़िल के दौरान स्कूल के रेस्ट रूम में बच्चे को जन्म दिया और उसे वहीं कूड़ेदान में फेंककर नाच गाने के प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो गयी। (उर्दू न्यूज़ जद्दा 19 अगस्त 1997)

सत्यता तो यह है कि पश्चिम का यह आज़ाद जिन्सी समाज वासना की भावनाओं का एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है जो किसी तरह भी ठंडा होने का नाम नहीं लेता बल्कि दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। अतएव अब आचरण

के 25 अक्टूबर 92 में छपी है। ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमान मां-बाप से अपील की जाती है कि चूंकि सेकेन्डरी स्कूल की लड़कियां सामान्य रूप से नैतिक और जिन्सी हमलों का आसानी से शिकार बन जाती हैं और इस तरह समय से पहले ही माएं बन जाती हैं जिसका कारण यह है कि लड़कियों को अपने ब्वाय फ्रेंड से "छव" कहने में संकोच होता है अतः मां-बाप से विनती की जाती है कि वे अपनी बच्चियों को "छव" कहने की ट्रेनिंग दें। (सिराते मुस्तक़ीम बरमिंधम नवम्बर, दिसम्बर 92)

Www.IslamicBooks.Website

से नंगे पश्चिम में ज़िना के साथ साथ समलिंग की महामारी भी जंगल की आग की तरह फैल रही है। ब्रिटेन की पुलिस के सेन्ट्रल कंप्यूटर पर ऐसे दस हज़ार लोगों के नाम मौजूद हैं जिनके बारे में यह प्रमाणित तथ्य हैं कि वे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं लेकिन पुलिस का कहना है कि यह संख्या असल संख्या का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है इसलिए कि पुलिस ने यह रिकार्ड केवल पिछले चार साल से तैयार करना शुरू किया है। ("तकबीर" 29 मार्च 1997)

लन्दन में ईसाई रस्म व रिवाज के अनुसार हज़ारों मेहमानों की मौजूदगी में टाउन हाल के पादरी ने दो औरतों का आपस में निकाह पढ़ाकर समलिंग की शर्मनाक हरकत की मिसाल क़ायम की (तकबीर 29 मार्च 1997) अमेरिका में महिला आन्दोलन की एक लीडर "पैटरीशिया" ने यह स्वीकारा कि वह अपने पति के अलावा एक औरत के साथ भी जिन्सी संबंध रखती है। "न्यूयार्क टाइम्स" के अनुमान के अनुसार अमेरिका में महिला आन्दोलन की तीस से चालीस प्रतिशत औरतें अपनी साथियों के साथ जिन्सी संबंध रखती हैं। (तकबीर 13 अप्रैल 1995) यह है पश्चिमी समाज की एक संक्षिप्त सी झलक जिस पर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, दार्शनिक और रहनुमा मोहित हैं और जिसके अनुसरण में पूर्वी औरत के समस्त मसाइल का सम्पूर्ण हल समझा जाता है।

पश्चिमी समाज में औरत मर्द के बीच समानता का नारा कुछ औरतों व लोगों को बड़ा दिलकश महसूस होता है क्या पश्चिम में वास्तव में औरतों को व्यवहारिक रूप से मर्दों के बराबर अधिकार हासिल हैं या यह केवल एक धोखे से भरपूर प्रोपगंडा है? यहां हम इसके सार में अवलोकन पेश कर रहे हैं–

औरत व मर्द की समानता

वायस आफ़ जर्मनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में औरतों को मर्दों के मुक़ाबले में कम वेतन मिलता है। जर्मनी में समाजी मदद पर गुज़ारा करने वाले मज़दूरों में अधेड़ उम्र औरतों का अनुपात 90 प्रतिशत है जिन्हें बुढ़ापे की पेन्शन नहीं मिलती। जर्मनी में काम करने वाली तीन चौथाई औरतों की आमदनी इतनी नहीं होती कि वे अकेली घर का ख़र्च चला सकें। जर्मनी में उच्च पदों पर काम करने वाली चालीस हज़ार औरतें मर्दों की हिंसा के कारण घर से भाग कर सुरक्षा गृहों में शरण लेती हैं।

औरत मर्द की समानता के सबसे बड़े दावेदार देश अमेरिका की सुप्रीम

Www.IslamicBooks.Website

कोर्ट में आज तक कोई औरत जज नहीं बन सकी। फेडरल एपलेट कोई के 97 जजों में से केवल एक औरत जज है। अमेरिकी बार एसोसिएशन में आज तक कोई औरत अध्यक्ष नहीं बन सकी। अमेरिका में जिस काम के लिए मर्द को पांच डालर मिलते हैं औरत को उसी काम के तीन डालर मिलते हैं। (ख़ातून इस्लाम– मौ० वहीदुद्दीन खां पृ० 73)

1978 में हास्टन अमेरिका में "महिला स्वतंत्रता आन्दोलन" की कान्फ्रेंस में औरतों ने सरकार से मांग की कि एक ही तरह के काम के लिए मर्दों और औरतों को समान पैसा मिलना चाहिए। जापान में डेढ़ करोड़ औरतें विभिन्न स्थानों पर काम करती हैं। जिनमें से अधिकांश औरतें मर्द अफ़सरों के साथ सहायक के रूप में काम करती हैं। क्या यह बात विचारणीय नहीं कि औरत मर्द की समानता का नारा लगाने वाले देशों ने अपनी सेना में कमांडर इन्चीफ़ के पद पर किसी औरत को आज तक क्यों नहीं नियुक्त किया या कम से कम जरनल के दर्जे पर ही औरतों को मर्दों के समान पद क्यों नहीं दिए जाते? क्या कोई पश्चिमी देश जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों के पदों पर मर्दों व औरतों को समान जगह देने के लिए तैयार है? यह है वह औरत मर्द की समानता जिसका प्रोपगंडा दिन रात किया जाता है। औरत मर्द की समानता के अलावा एक और नारा जो आम आदमी के लिए बड़ा आकर्षक रखता है वह है महिला की स्वतंत्रता का। क्या पश्चिम में औरत को हर प्रकार की आज़ादी हासिल है? यहां हम इसी बात को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं–

महिला की स्वतंत्रता

क्या पश्चिम में औरत को इस बात की आज़ादी हासिल है कि वह घर बैठे हर महीने अपना वेतन वसूल करती रहे? क्या उसे इस बात की आज़ादी हासिल है कि वह यातायात से संबंधित क़ानूनों की पाबन्दी किए बिना अपनी कार सड़क पर चला सके? क्या उसे इस बात की आज़ादी हासिल है कि वह जिस बैंक को चाहे लूट ले? जी नहीं कदापि नहीं। औरत भी देश के क़ानूनों की उसी तरह पाबन्द है जिस प्रकार मर्द पाबन्द है। औरत को तो पश्चिम में इतनी आज़ादी भी हासिल नहीं है कि वह डयूटी के दौरान अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन सके।

नार्वे, स्वेडन और डेनमार्क की एयर लाइन्स की एयर होस्टेस ने एक बार सख़्त ठंड के कारण मिनी स्कर्ट की बजाए गर्म पाजामा इस्तेमाल करने की

Www.IslamicBooks.Website

इजाज़त चाही तो प्रशासन ने यह मांग ठुकरा दी। (नवाए वक़्त 26 जून 96) औरत को पश्चिम में जिन बातों की आज़ादी हासिल है वे केवल यह हैं– बाज़ार में खुले तौर पर नंगी होना चाहे तो हो जाए, अपनी नंगी तस्वीरे समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में छपवाना चाहे तो छपवा सकती है। फ़िल्मों में नंगे पोज़ देना चाहे तो छूट है। गर्भवती होने के बाद उसे गिराना चाहे तो इजाज़त है। ब्वाय फ्रेन्ड जितनी बार बदलना चाहे बदल सकती है। अपनी औरत साथी के साथ जिन्सी सम्पर्क क़ायम रखने का शौक़ हो तो बिना किसी रोक टोक के क़ायम रख सकती है।

"महिला आन्दोलन" की प्रसिद्ध पत्रिका "नेश्नल आर्गनाइज़ेशन फ़ार वीमेन टाइम्स" ने जनवरी 1988 के अंक में महिला स्वतंत्रता आन्दोलन के विषय पर लिखते हुए "महिला स्वतंत्रता" का मतलब ही यह बताया कि औरत की वास्तविक आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि औरतें आपस में जिन्सी संबंध स्थापित करें। (तकबीर 13 अप्रैल 1995)

मतलब यह कि मर्दों से जिन्सी संबंध बनाए रखने से अपने आपको अलग कर लें। होटलों, कलबों, मारकीटों, सरकारी और ग़ैर सरकारी संस्थानों यहां तक कि सेना में भी मर्दों का दिल बहलाने के लिए "नौकरी" करना चाहें तो कर सकती हैं मानो पश्चिम में औरत को हर उस काम की आज़ादी हासिल हे जिससे मर्दों की जिन्सी भावनाओं को तसकीन हालिस हो सके। यह है वह आज़ादी जो पश्चिम में मर्दों ने औरत को दे रखी है। यदि इसके अलावा औरतों को कोई दूसरी आज़ादी हासिल है तो पश्चिमी सभ्यता के मत वालों से हम विनती करते हैं कि वे कृपया हमें इससे अवगत करें। क्या औरतों की इस आज़ादी को "महिला की स्वतंत्रता" की बजाए "मर्दों की स्वतंत्रता" कहना ज़्यादा उचित नहीं जिन्होंने औरत को आज़ादी के इस आशय से अवगत करके इतना महत्वहीन और मूल्यहीन कर दिया है कि जब चाहें जहा चाहें बिना रोक टोक उसे अपनी हविस का निशाना बना सकते हैं? कोई मुसलमान औरत अपने दीन से चाहे कितनी ही अन जान क्यों न हो क्या ऐसी आज़ादी की कल्पना कर सकती है?

पश्चिम के इस आज़ाद जिन्सी समाज ने पश्चिम के लोगों को कैसे कैसे उपहार प्रदान किए हैं, चलते चलते इसका भी उल्लेख हो जाए। इन उपहारों में पारिवारिक व्यवस्था की बर्बादी, ख़तरनाक रोगों की अधिकता, जन्म की दर में कमी और आत्महत्या के रुझान में वृद्धि सर्वोपरि हैं। कुछ तथ्य इस प्रकार हैं–

Www.IslamicBooks.Website

पारिवारिक व्यवस्था की बर्बादी

यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति ने औरत को आर्थिक ठहराव तो प्रदान कर दिया परन्तु पारिवारिक व्यवस्था पर उसके प्रभाव बड़े भारी पड़े। औरत जब मर्द की किफ़ालत और आर्थिक मदद से बेनियाज़ हो गयी तो फिर स्वभाविक रूप से यह सवाल पैदा हुआ कि जो औरत स्वयं कमाए वह मर्द की सेवा क्यों करे? घरदारी की ज़िम्मेदारी क्यों संभाले? ब्रिटेन की नेश्नल वीमेन्स कौन्सिल की एक औरत (सदस्या) का कहना है कि यह विचार मज़बूत होता जा रहा है कि शादी करके पति की सेवा के झमेले में क्यों पड़ा जाए। बस जीवन का आनन्द लिया जाए। बहुत सी औरतें यह फ़ैसला कर चुकी हैं कि उनको अपने जीवन के लिए मर्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं। (तकबीर 4 सितम्बर 1997)

"महिला आन्दोलन" की ज़िम्मेदार शीला क्रोइन कहती हैं– "औरत के लिए शादी का अर्थ दासता है इसलिए महिला आन्दोलन को शादी की परम्परा पर हमला करना चाहिए। शादी की परम्परा को ख़त्म किए बिना औरत को आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती" महिला आन्दोलन से जुड़ी औरतों का कहना है कि औरत का मर्द को चाहना और उसकी ज़रूरत महसूस करना औरत के लिए अपमान व तुच्छता का कारण है। औरतों का बच्चों और घर की देखभाल करना उनको तुच्छ बनाता है। (तकबीर 13 अप्रैल 1995)

अमेरिका में रहने वाले एक पाकिस्तानी अमेरिकी समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं– "नयी नवजवान नस्ल में निकाह का रिवाज नहीं रहा। इसके बिना ही लड़का लड़की या मर्द औरत इकट्ठे रहते हैं बच्चे भी पैदा करते हैं और हर दो चार साल बाद अपना जीवन साथी भी बदल लेते हैं। जिस प्रकार लिबास बदला जाता है। बूढ़े मां-बाप बुढ़ापे की पेंशन पर गुज़ारा करते करते मर जाएं तो सामान्य रूप से बेमुरव्वत औलाद दफ़नाने भी नहीं आती।" (उर्दू डायजेस्ट, जून 1996)

औरत की आर्थिक दृढ़ता ने न केवल निकाह का सर से बोझ उतार दिया है बल्कि तलाक़ की दर में भी अताह वृद्धि कर दी है। अमेरिकी जन गणना ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रोज़ाना 7 हज़ार जोड़े निकाह के बंधन में बांधे जाते हैं जिनमें से तीन हज़ार तीन सौ पति पत्नी एक दूसरे को तलाक़े दे देते हैं। अर्थात पचास प्रतिशत निकाह तलाक़ पर आ पड़ते हैं। हक़ीक़त यह है कि पश्चिम में औरत की आज़ादी और आर्थिक दृढ़ता ने पारिवारिक व्यवस्था को पूर्ण

Www.IslamicBooks.Website

रूप से नष्ट कर दिया है। जवजवान नस्ल की एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों पर आधारित है जिन्हें अपनी मां का पता है तो बाप का पता नहीं, बाप का पता है तो मां का पता नहीं या फिर मां-बाप दोनों का ही पता नहीं। बहन और भाई के पवित्र रिश्ते की कल्पना तो बहुत दूर की बात है।

ख़तरनाक रोगों की अधिकता

ज़िना, बदकारी और समलिंग परस्ती की अधिकता के नतीजे में ख़तरनाक रोग (सूज़ाक, आतिश्क और एडस आदि) की अधिकता ने पूरे अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी लपेट में ले रखा है। 1997 ई० में डेनमार्क में होने वाली मेडिकल कान्फ्रेंस में यह रहस्योदघाटन किया गया है कि दुनिया में हर साल 16 करोड़ तीस लाख लोग सूज़ाक और आतिश्क का शिकार हो जाते हैं। प्रगतिशील देशों में औरतों की मौत की दूसरी बड़ी वजह यही आतिश्क व सूज़ाक है।

1975 ई० में इंग्लैंड के अस्पतालों में जिन्सी रोगियों की संख्या चार लाख तीस हज़ार नोट की गयी जिनमें से एक लाख 60 हज़ार औरतें और दो लाख 70 हज़ार मर्द थे। 1978 तक दुनिया एडस के नाम से परिचित न थी याद रहे एडस अंग्रजी शब्द Acquired Immane Deficiency Syndrom का सार है जिसका मतलब है शरीर की सुरक्षा व्यवस्था की तबाही के लक्षण। आज़ाद जिन्सपरस्ती के नतीजे में सामने आने वाली यह ख़तरनाक बीमारी प्रगतिशील देशों में भयानक प्रकोप का रूप ले चुकी है। अमेरिका में इस समय एडस के रोगियों की संख्या एक करोड़ पचास लाख है जबकि अफ़्रीका में एक मोटे अनुमान के अनुसार यह संख्या सात करोड़ पचास लाख तक पहुंच चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील देशों को केवल एडस से बचने के लिए डेढ़ अरब डालर सालाना ख़र्च करने पड़ेंगे। (तकबीर, 10 अक्टूबर 1992, उकाज़ अरबी दैनिक जद्दा 8 जून 1993)

अमेरिकी वैज्ञानिक डा० स्ट्रेकर ने एडस पर अपना एक तहक़ीक़ी लेख प्रकाशित किया है जिसमें उसने लिखा है दुनिया की सारी हुकूमतों को एडस के बारे में गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए वर्ना इक्कीसवीं सदी में एडस के कारण बहुत कम इन्सान बाक़ी हर जाएंगे जो हुकूमत करने योग्य होंगे। (तकबीर, 10 अक्टूबर 92)

Www.IslamicBooks.Website

जन्म दर में कमी

पश्चिम में आज़ाद व्यभिचार व वासना के कल्चर ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों की आबादी पर कितने नकारात्मक प्रभाव अंकित किए हैं इसका अनुमान इस समाचार से लगाया जा सकता है–

ब्रिटेन में मुसलमानों की संख्या ईसाइयों में थूडिस्ट सम्प्रदाय से बढ़ गयी है। स्थानीय समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के अनुसार इसका कारण मुसलमानों का मज़बूत पारिवारिक निज़ाम है जबकि अंग्रेज़ लोग गर्ल फ्रेंड बनाकर जवानी गुज़ार देते हैं। गर्भपात की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। शादी करते हैं मगर अधिकांश शादियां तलाक़ पर ख़त्म हो जाती हैं इसलिए उनकी संख्या मुसलमानों से कम हो रही है।

1991 ई० में अमेरिकी पत्रकार वाइन बर्ग ने अपनी पुस्तक "पहली अन्तर्राष्ट्रीय क़ौम" में लिखा है कि यह मान लेने के असंख्य कारण हैं कि आने वाले दौर में मुसलमानों के प्रभाव व सम्पर्क में वृद्धि होगी जिसका एक कारण दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी की दर में निरंतर होने वाली वृद्धि भी है।

जन्म दर में कमी के कारण दूसरे यूरोपीय देश जिस परेशानी और चिंता का शिकार हैं इसका अनुमान इस समाचार से लगाया जा सकता है कि रोमानिया सरकार ने क़ानून लागू किया है कि पांच से कम बच्चों वाली औरतें और जिनकी उम्र पचास साल से कम हो गर्भपात नहीं करा सकेंगी और जिन जोड़ों के यहां कोई बच्चा नहीं है उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और अधिक बच्चों वाले घरानों को अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। यहूदी जोड़ों को इसराइली प्रधान मंत्री शमऊन ने निर्देश दिया है कि वे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें क्योंकि इसराईल की आबादी कम हो रही है। यदि आबादी इसी रफ़्तार से घटती रही तो यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि होगी। 1991 ई० में अमेरिकी सेना की योजना के सिलसिले में होने वाली कांफ्रेंस में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में न केवल मुस्लिम देशों की बढ़ती हुई आबादी पर चिंता व्यक्त की गयी है बल्कि यह भी कहा गया है कि दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम देशों में जंग, गिरोही, राजनीति और परिवार नियोजन द्वारा आबादी को कम करना आवश्यक है। ("जंग" लाहौर 25 जून 1996, तकबीर 30 मई 1996)

काश मुसलमान इस हक़ीक़त को जान सकें कि अमेरिका और यूरोपीय

Www.IslamicBooks.Website

देशों की ओर से उन्हें परिवार नियोजन के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद का असल उद्देश्य मुस्लिम देशों की भलाई या हित नहीं है बल्कि इसका असल निशाना मुस्लिम देशों को उसी प्रकोप अर्थात जन्म दर की कमी का शिकार बनाना है जिसमें वे स्वयं फंसे हैं। मुसलमानों के दीन और दुनिया की भलाई रसूले अकरम सल्ल० के इसी कथन में मौजूद है कि– "अधिक बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो क़ियामत के दिन मैं दूसरे नबियों के मुक़ाबले में तुम्हारी वजह से अपनी उम्मत की अधिक संख्या चाहता हूं।" (अहमद, तबरानी)

आत्महत्या के रुझान में वृद्धि

इस ब्रहमांड को बस में करने के जुनून में फंसी लेकिन इस सृष्टि के स्वामी की बाग़ी क़ौमों को इस संसार के स्वामी ने जीवन की सबसे बड़ी दौलत "सुख" से वंचित कर रखा है। भोग विलासी, शराब व ज़िना में लिप्त, हसब व नसब से वंचित पश्चिमी क़ौमों की नयी नस्लें अपराधी, निराश और डेपरेशन का शिकार होकर आत्महत्या में अपनी नजात तलाश कर रही हैं।[1] बी. बी. सी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय अमेरिका में 20 लाख नवजवान ऐसे हैं जो अपना शरीर घायल करके सुख शान्ति पाते हैं इनमें 11 प्रतिशत लड़कियां हैं। माहिरों के कथनानुसार उनकी यह हालत सख़्त निराश और डेप्रेशन की वजह से है। 1963 ई० में अमेरिका जैसे सांसारिक संसाधनों से मालामाल देश में दस लाख लोगों ने आत्महत्या की। मार्च 1997 में अमेरिका के एक धार्मिक सम्प्रदाय हेवेन्स गेट के 39 लोगों ने जन्नत में जाने के लिए आत्महत्या की। 1978 ई० में ग्याना दक्षिणी अफ़्रीका के एक क़सबे में 9 सौ लोगों ने मुक्ति की तलाश में ज़हरीली शराब

1. अमेरिकी समाचार पत्र लास एन्जिल्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हर 23 सेकेंड में एक औरत पर मुजरिमाना हमला होता है। हर चार सेकेंड के बाद चोरी होती है। 12 सेकेंड के बाद नक़ब लगती है और हर 20 सेकेंड के बाद साइकिल चोरी हो जाती है। 1995 में अमेरिका में 23305 लोग क़त्ल हुए। एक लाख 2 हज़ार 96 औरतें जिन्सी हमलों का शिकार हुईं। रिपोर्ट के अनुसार हर अमेरिकी अपने घर से जब निकलता है तो वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि उसे किसी भी मोड़ पर लूट लिया जाएगा क्योंकि मुक़ाबला करना जान दे देने जैसा है (नवाए वक़्त 3 जनवरी 1996) प्रसिद्ध समाचार एजेन्सी ऐसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1985 के मुक़ाबले में अब तक अपराधों की दर में 131 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1990 में अमेरिका में छः लाख औरतों की इज़्ज़तें लूटी गयी जबकि हत्या व मारपीट की वारदात इससे भी अधिक हैं। (नवाए वक़्त 20 दिसम्बर 1991)

Www.IslamicBooks.Website

पीकर आत्महत्या की। 1979 ई० में केनेडा और स्वीज़रलैंड और फ्रांस में भी ऐसी ही सामूहिक आत्महत्याओं की घटनाएं घट चुकी हैं। 1982 में यूरोप के प्रख्यात धार्मिक सम्प्रदाय "द सोलन टैम्पिल" के अनुयायियों में भी आत्महत्या का क्रम चलता रहा। (उर्दू डाइजेस्ट जून 1997)

आइए एक नज़र इस्लामी जीवन व्यवस्था को भी निकट से देखें और फिर न्याय की तुला में फ़ैसला दें कि कौन सी जीवन व्यवस्था औरत के अधिकारों की सुरक्षा करती है और कौन सी व्यवस्था औरत के अधिकारों का शोषण कर रही है।

इस्लाम क्या चाहता है?

इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है जिसे अल्लाह ने इन्सानों के स्वभाव और प्रकृति के ठीक अनुसार बनाया है इसमें सन्तुलन है। इन्सान के अन्दर मौजूद हैवानी व इन्सानी भावनाओं, दोनों से इस्लाम इस प्रकार बहस करता है कि इन्सान इन्सान ही रहे जानवर न बनने पाए। इस्लामी जीवन व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए पहले निकाह के बारे में कुछ ज़रूरी बहस के बाद तर्क दिए गए हैं इसके बाद व्यक्ति के सुधार के लिए इस्लामी दीक्षा व प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला गया है और अन्त में पश्चिमी और इस्लामी समाज का तुल्नात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। हमें आशा है कि इससे पाठकगण को किसी नतीजे पर पहुंचने में इन्शाअल्लाह आसानी रहेगी।

निकाह से कुछ अहम तर्क

मसनून ख़ुत्बा निकाह

शादी की रात में मर्द व औरत के इकट्ठा होने से पहले जबकि दोनों की जिन्सी भावनाओं में सख़्त उत्तेजना और तूफ़ान पैदा होता है। इस्लाम मर्द और औरत दोनों की नफ़सानी इच्छा और उत्तेजनापूर्ण भावनाओं को मानवता के दाएरे में रखने के लिए ग्रहण एवं स्वीकृति के समय एक बहुत ही सुभाषी व तत्वपूर्ण ख़ुत्बा देता है जिसमें अल्लाह की प्रशंसा एवं स्तुति भी है जीवन के मसाइल और मुश्किलों में अल्लाह से मदद मांगने की शिक्षा, पिछले जीवन के गुनाहों पर नदामत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार का निर्देश भी है और आने वाले जीवन में

Www.IslamicBooks.Website

अपने नफ़्स के शर से अल्लाह की पनाह का सवाल भी किया गया है। निकाह के ख़ुत्बे में क़ुरआन की तीन आयतों को केन्द्रीय विषय के रूप में शामिल किया गया है। इन तीनों आयतों में चार बार तक़वा को अपनाने की बड़ी सख़्त ताकीद की गयी है। (देखिए मसला 91)

शरीअत की परिभाषा में तक़वा एक ऐसा शब्द है जिसमें अर्थों की एक दुनिया आबाद है संक्षिप्त शब्दों में यूं समझए कि एकान्त का जीवन हो या प्रत्यक्ष का, चारदीवारी के अन्दर हो, या बाहर दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, हर समय और हर क्षण अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञापालन का नाम है तक़वा।

इस अवसर पर तक़वा की इतनी ताकीद का मतलब यह है कि अत्यन्त ख़ुशी के अवसर पर भी मनुष्य का दिल, दिमाग़, अंग अर्थात सारा शरीर व जान अल्लाह और उसके रसूल के आदेश के अन्तर्गत रहने चाहिए। शैतानी और हैवानी विचार व आमाल उस पर हावी नहीं होने चाहिए और औरत को मर्द के अधिकारों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। मर्द को प्रकृति ने जो ज़िम्मेदारियां सौंपी हैं औरत उन्हें पूरा करे और दोनों पति पत्नी इस मामले में अल्लाह की सीमाओं को पार न करें।

निकाह का ख़ुत्बा मानो पूरे जीवन का एक संविधान है जो नए परिवार की बुनियाद रखते हुए परिवारजनों को अल्लाह और उसके रसूल की ओर से प्रदान किया जाता है। निकाह का ख़ुत्बा केवल दुल्हा दुल्हन को ही नहीं बल्कि निकाह की मज्लिस में मौजूद सभी ईमान वालों को सम्बोधित करके निकाह की मज्लिस को एक भोग विलास की मज्लिस ही नहीं रहने देता बल्कि उसे एक अत्यन्त विशिष्ठ और संजीदा इबादत का दर्जा दे देता है लेकिन दुख की बात यह है कि पहले तो दुल्हा दुल्हन सहित निकाह की मज्लिस में शरीक लोगों में से निकाह के मतलब व मायनों को समझने वालों की संख्या न होने के बराबर होती है। दूसरे एक नई और पहले के मुक़ाबले अधिक ज़िम्मेदारी की जीवन यात्रा शुरू करने वाले इस नए जोड़े को भविष्य के उतार चढ़ाव से गुज़रने का सलीक़ा सिखलाने वाले इस महत्वपूर्ण ख़ुत्बे की शिक्षाओं से परिचित किया जाए।

ज़रूरत इस बात की है कि निकाह पढ़ाने वाले लोग या मज्लिसे निकाह में शामिल कोई भी दूसरा आलिम निकाह के ख़ुत्बे का अनुवाद करके उसकी संक्षिप्त व्याख्या और स्पष्टीकरण कर दे। भले व अच्छे और नेक ख़ुत्बए निकाह के

Www.IslamicBooks.Website

आदेशों में से बहुत सी नसीहत की बातों को उम्र भर के लिए अपने पल्ले बांध ा लेंगे जो उनके सफ़ल दाम्पत्य जीवन की ज़मानत साबित होंगी और इस तरह निकाह की मज्लिस का आयोजन किसी रस्म की बजाए एक उद्देश्यपूर्ण और लाभकारी अमल बन जाएगा। (इन्शाअल्लाह)

निकाह में संरक्षक की रज़ामंदी व अनुमति

निकाह के आयोजन के लिए आज तक इस्लामी और पूर्वी परम्परा भी यही रही है कि बेटियों के निकाह पिता की मौजूदगी में घरों पर आयोजित होते। दोनों परिवारों के बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बेटियां नेक आशीर्वाद व तमन्नाओं के साथ बड़े सम्मान व इज़्ज़त के साथ घरों से विदा होतीं और मां बाप अल्लाह के सामने शुक्र का सज्दा करते कि जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य पूरा हो गया मां बाप के चेहरों पर गंभीर इत्मीनान और सन्तुष्टि की निशानियां मौजूद होतीं लेकिन जब से पश्चिम की कुरुप व गन्दी सभ्यता ने देश के अन्दर अपना प्रभाव जमाना आरंभ किया है तब से निकाह का एक और तरीक़ा प्रचलित होने लगा है।

लड़का और लड़की चोरी छुपे प्यार करते हैं। एक साथ मरने जीने की क़समें खाते हैं। मां-बाप से बग़ावत करके भागने की योजना बनती है और एक आध दिन कहीं छुपे रहने के बाद अचानक लड़का और लड़की अदालत में पहुंच जाते हैं। ग्रहण और स्वीकृति होती है और अदालत इस फ़तवे के साथ कि "संरक्षक के बिना निकाह जायज़ है" निकाह की डिग्री प्रदान कर देती है। मां-बाप बेचारे अपमान व तिरस्कार का दाग़ दिल पर लिए उम्र भर के लिए मुंह छुपाए फिरते हैं इस प्रकार के अदालती निकाह को "कोर्ट मेरिज" कहा जाता है। यह तरीक़ा न केवल इस्लामी शिक्षाओं बल्कि पूर्वी परम्पराओं से भी खुला विद्रोह है जिसका उद्देश्य केवल यह है कि ऐसे निकाहों को इस्लामी सनद मिल जाए ताकि पश्चिम की नंगी स्वतंत्र सभ्यता को देश के अन्दर थोपने में आसानी पैदा हो जाए।

निकाह के समय संरक्षक की मौजूदगी और उसकी स्वीकृति और अनुमति के बारे में क़ुरआन व हदीस के आदेश बड़े स्पष्ट हैं। क़ुरआन में जहां कहीं औरतों के निकाह का हुक्म आया है वहां सीधे तौर पर औरतों को सम्बोध करने की बजाए उनके संरक्षकों को सम्बोध किया गया है जैसे "मुसलमान औरतों के निकाह मुश्रिकों से न करो यहां तक कि वे ईमान ले आएं।" (सूरह बक़रा 221)

Www.IslamicBooks.Website

जिसका साफ़ मतलब यह है कि औरत स्वयं निकाह करने की मालिक नहीं बल्कि उसके संरक्षकों को हुक्म दिया जा रहा है कि वे मुसलमान औरतों को मुश्रिक मर्दों के साथ निकाह न करें। संरक्षक की रज़ामंदी और अनुमति के बारे में नबी सल्ल० की कुछ हदीसें भी देख लीजिए–

नबी करीम सल्ल० का इर्शाद है– "वली (की अनुमति) के बिना निकाह नहीं।" (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

दूसरी हदीस में इर्शाद है– "जिस औरत ने संरक्षक की अनुमति के बिना निकाह किया उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है उसका निकाह बातिल है।" (अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

इमाम इब्ने माजा की रिवायत की हुई एक हदीस में तो शब्द इतने सख़्त हैं कि अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखने वाली कोई भी मोमिना औरत संरक्षक की अनुमति के बिना निकाह की कल्पना तक नहीं कर सकती।

नबी सल्ल० का मुबारक इर्शाद है– "अपना निकाह स्वयं करने वाली तो केवल ज़ानिया ही है।"

यहां सरसरी तौर पर दो बातें स्पष्ट करने योग्य हैं एक यह कि यदि किसी औरत का संरक्षक ज़ालिम हो और वह औरत के हितों की बजाए व्यक्तिगत हितों को प्रमुखता दे रहा हो तो शरअी रूप से ऐसे संरक्षक की संरक्षकता आप से आप ही समाप्त हो जाती है और कोई दूसरी निकटतम रिश्तेदार औरत को संरक्षक ठहरा दिया जाता है। यदि ख़ुदा न करे पूरे परिवार में कोई भी भला चाहने वाला व्यक्ति संरक्षक बनने का हक़दार न हो तो फिर उस गांव या शहर का शासक उसका संरक्षक बनकर औरत का निकाह कर सकता है।

नबी सल्ल० का इर्शाद है– "जिसका कोई संरक्षक न हो उसका संरक्षक वहां का शासक है।" (तिर्मिज़ी)

दूसरे इस्लाम ने जहां औरत को संरक्षक की अनुमति के बिना निकाह करने से रोक दिया है वहां संरक्षक को भी औरत की मर्ज़ी के बिना निकाह करने से रोक दिया है। एक कुंवारी लड़की नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और कहा– "उसके बाप ने उसका निकाह कर दिया है जिसे वह नापसन्द करती है।"

नबी सल्ल० ने उसे अख़्तियार दिया कि "चाहे तो निकाह बाक़ी रखे चाहे तो ख़त्म कर दे।" (अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

Www.IslamicBooks.Website

इसी प्रकार एक व्यक्ति ने अपनी विधवा बेटी का निकाह अपनी मर्ज़ी से कर दिया तो नबी सल्ल० ने उस निकाह को तोड़ दिया। (बुख़ारी)

इसका मतलब यह कि निकाह में संरक्षक और औरत दोनों की रज़ामंदी एक दूसरे की पूरक है। यदि किसी कारणवश दोनों की राय में मतभेद हो तो संरक्षक को चाहिए कि वह औरत को जीवन की ऊंच नीच से अवगत करके उसे राय बदलने पर तैयार करे। यदि ऐसा संभव न हो तो फिर संरक्षक को औरत का निकाह किसी ऐसी जगह करना चाहिए जहां लड़की भी राज़ी हो।

निकाह में संरक्षक और औरत दोनों की रज़ामन्दी को एक दूसरे के लिए पूरक ठहरा कर इस्लामी शरीअत ने एक ऐसा सन्तुलित और उचित रास्ता अपनाया है जिसमें किसी भी पक्ष के न तो अधिकारों का हनन होता है न ही किसी पक्ष के साथ अन्याय ही होता है।

क़ुरआन व हदीस के इन आदेशों के बाद आख़िर इस बात की कितनी गुंजाइश बाक़ी रह जाती है कि लड़की और लड़का मां-बाप से विद्रोह करें। जवानी के जोश में घर से भाग कर अदालत में पहुंचने से पहले ही एक दूसरे की समीपता से आनन्द उठाते रहें और फिर अचानक अदालत में पहुंच कर निकाह का ड्रामा रचाएं और क़ानूनी पति पत्नी होने का दावा करें? यदि संरक्षक के बिना इस्लाम में निकाह जायज़ है तो फिर इस्लामी समाज के तौर तरीक़ों और पश्चिमी समाज के तौर तरीक़ों में फ़र्क़ ही क्या रह जाता है?

पश्चिम में औरत की यही तो "आज़ादी" है जिसके विनाशकारी नतीजों पर स्वयं पश्चिम का संजीदा वर्ग परेशान और बेचैन है। 1995 ई० में अमेरिकी महिला ओल हैलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर आयीं तो इस्लामाबाद कालेज फ़ार गर्ल्स की छात्राओं से बात करते हुए बड़ी हसरत भरे स्वर में इन विचारों को प्रकट किया कि अमेरिका में सबसे बड़ा मसला यह है कि वहां बिना शादी के छात्राएं और लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। इस मसले का हल केवल यह है कि नवजवान लड़के और लड़कियां चाहे ईसाई हों या मुस्लिम अपने धर्म और सामाजिक मूल्यों से विद्रोह न करें बल्कि धार्मिक व सामाजिक परम्पराओं और उसूलों के अनुसार शादी करें और अपने मां-बाप की इज़्ज़त और सुकून को नष्ट न करें।

Www.IslamicBooks.Website

औरत व मर्द में समानता

पश्चिम में औरत मर्द के बीच समानता का मतलब यह है कि औरत हर जगह मर्द के कांधा से कांधा मिलाकर खड़ी नज़र आ जाए। दफ़्तर हो या दुकान, फ़ैक्ट्री हो या कारख़ाना, होटल हो या क्लब, पार्क हो या मनोरंजन स्थल, नाचघर हो या प्ले ग्राउंड औरत मर्द की समानता या औरत की आज़ादी या औरतों के अधिकारों का यह फ़लसफ़ा बघारने की असल ज़रूरत औरत को नहीं बल्कि मर्द को पड़ी है जिसके सामने दो ही उद्देश्य थे एक औद्योगिक क्रान्ति के लिए फ़ैक्ट्रियों और कारख़ानों की पैदावार में वृद्धि, दूसरे जिन्सी लज़्ज़त की प्राप्ती। दूसरे शब्दों में पश्चिम में औरत की आज़ादी के आन्दोलन का असल प्रेरक दो ही चीज़ें हैं "पेट और शर्मगाह"

तथ्य तो यह है कि पश्चिम के लोगों का सारा जीवन इन्हीं दो चीज़ों के चारों ओर घूम रहा है[1] जीवन के इस फ़लसफ़े ने मानव जाति को क्या दिया इस पर हम इससे पहले विस्तार से बहस कर चुके हैं यहां हम "औरत मर्द की समानता" के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहते हैं। इस्लाम ने मर्द और औरत की मानसिक और शारीरिक बनावट और भौतिक गुणों को समक्ष रखते हुए दोनों के अलग अलग अधिकार निर्धारित किए हैं। कुछ मामलों में दोनों को समान दर्जा दिया गया है कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा। जिन कामों में समान दर्जा दिया गया है वे निम्न हैं–

1. इज़्ज़त व आबरू की सुरक्षा

इस्लाम में इज़्ज़त व आबरू की सुरक्षा के लिए जो आदेश मर्दों के लिए हैं वही आदेश औरतों के लिए भी हैं। क़ुरआन में जहां मर्दों को यह हुक्म दिया है कि वे एक दूसरे का उपहास न उड़ाएं वहीं औरतों को भी यह हुक्म है कि वे एक दूसरी का उपहास न उड़ाएं। मर्दों और औरतों को समान हुक्म दिया गया है। "एक दूसरे व्यंग पर व्यंग न करो, एक दूसरे को बुरे नामों से याद न करो, एक

1. क़ुरआन में अल्लाह ने हर समय पेट और हर समय शर्मगाह का फ़लसफ़ा रखने वाले मनुष्य की कुत्ते से उपमा दी है जिसकी आदत में दो ही चीज़ें रखी गयी हैं या तो वह हर जगह उठते बैठते चलते फिरते खाते पीने की चीज़ों को सूंघता फिरता है इससे समय मिले तो फिर शर्मगाह को चाटने और सूंघने में मगन रहता है इसके अलावा उसे दुनिया का तीसरा काम नहीं। (देखें सूरह आराफ़ 176)

Www.IslamicBooks.Website

दूसरी की ग़ीबत न करो।" (सूरह हुजरात)

नबी सल्ल० का इर्शाद है– "हर मुसलमान (मर्द या औरत) का ख़ून, माल और इज़्ज़त एक दूसरे पर हराम है।" (मुस्लिम)

इज़्ज़त और आबरू के हवाले से औरत का मामला मर्द की तुलना में अधिक नाज़ुक है इसलिए इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त और आबरू की सुरक्षा के लिए अलग से कड़े आदेश उतारे हैं। अल्लाह का इर्शाद है– "जो लोग पाक दामन, बे ख़बर मोमिन औरतों पर आरोप लगाते हैं उन पर दुनिया व आख़िरत में लानत (फटकार) की गयी है और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है।"

(सूरह नूर 23)

दूसरी आयत में पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने की सज़ा अस्सी कोड़े निर्धारित की गयी है (सूरह नूर-4) जबकि औरत की इज़्ज़त लूटने की सज़ा अस्सी कोड़े हैं (सूरह नूर-2) यदि मर्द विवाहित है तो इसकी सज़ा संगसार (पत्थर मारना) है। (अबू दाऊद)

नबी सल्ल० के जीवन काल में एक औरत अंधेरे में नमाज़ के लिए निकली। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे गिरा लिया और उसके साथ बलात्कार किया। औरत के शोर मचाने पर लोग आ गए। और बलात्कारी पकड़ा गया। नबी सल्ल० ने उसे संगसार करा दिया और औरत को छोड़ दिया। (तिर्मिज़ी)

औरत की इज़्ज़त और आबरू के मामले में उल्लेखनीय और अहम बात यह है कि इस्लामी शरीअत ने इसका कोई भौतिकी या वित्तीय बदला क़ुबूल करने की इजाज़त नहीं दी और न ही इसे क़रारनामे के तौर पर गुनाह का दर्जा दिया है। नबी सल्ल० के ज़माने में एक लड़का किसी व्यक्ति के घर काम करता था लड़के ने उस व्यक्ति की पत्नी से ज़िना किया तो लड़के के बाप ने पत्नी के पति को सौ बकरियां और एक लौंडी देकर राज़ी कर लिया। मुक़दमा नबी सल्ल० की अदालत में गया तो आपने इर्शाद फ़रमाया कि बकरियां और लौंडी वापस लो और ज़ानी व ज़ानिया को सज़ा दी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरत की इज़्ज़त और आबरू की यह धारणा न इस्लाम से पहले कभी रही है न इस्लाम आने के बाद किसी दूसरे धर्म या समाज ने प्रस्तुत की है। कहना चाहिए कि औरत की इज़्ज़त और आबरू के मामले में इस्लाम ने प्रमुख आदेश देकर मर्द के मामले में औरत को कहीं अधिक महत्वपूर्ण और उच्च स्थान प्रदान किया है।

Www.IslamicBooks.Website

2. जान की सुरक्षा

इन्सानी जान के तौर पर मर्द और औरत दोनों की जान की सुरक्षा समान है। अल्लाह का इर्शाद है–

"जो व्यक्ति किसी मोमिन (मर्द हो या औरत) को जान बूझ कर क़त्ल करे उसकी सज़ा जहन्नम है।" (बुख़ारी)

अन्तिम हज के अवसर पर दिए गए ख़ुत्बे में नबी सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया–

"अल्लाह ने तुम सब (मर्दों और औरतों) के ख़ून और माल एक दूसरे पर हराम कर दिए हैं।" (मुसनद अहमद)

"नबी सल्ल० के ज़माने में एक यहूदी ने एक लड़की को क़त्ल कर दिया। नबी सल्ल० ने लड़की के बदले में यहूदी को क़त्ल करा दिया।" (बुख़ारी)

स्पष्ट रहे जानते बूझते किए जाने वाले क़त्ल में इस्लाम ने मर्द और औरत की दैत में कोई फ़र्क़ नहीं रखा। ज़िम्मियों के अधिकारों का उल्लेख करते हुए आपने फ़रमाया– "जिसने किसी ज़िम्मी (मर्द हो या औरत) को क़त्ल किया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है।" (नसाई)

अज्ञानता के दौर में औरत की जान का चूंकि कोई महत्व न था बल्कि उसकी पैदाइश को अशुभ की अलामत माना जाता था इसलिए अल्लाह ने औरत की जान की सुरक्षा के लिए बड़े कठोर स्वर में आयतें नाज़िल कीं–

"और जब ज़िन्दा गाड़ी गयी लड़की से पूछा जाएगा कि वह किस अपराध में क़त्ल की गयी।" (सूरह तकवीर)

3. भलाई का सवाब

भले कर्मों के सवाब में मर्द व औरत पूरी तरह समान हैं। अल्लाह का इर्शाद है– "जो नेक काम करेगा चाहे मर्द हो या औरत बशर्ते कि वह मोमिन हो ऐसे सब लोग जन्नत में दाख़िल होंगे जहां उन्हें बे हिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा।" (सूरह ग़ाफ़िर-40)

एक दूसरी आयत में इर्शाद है– "मर्दों और औरतों में से जो लोग सदक़ा देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को क़र्ज़ हसना दिया है उन सबको निश्चय ही कई गुना बढ़ाकर दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन बदला है।"

(सूरह हदीद-18)

Www.IslamicBooks.Website

सूरह आले इमरान में अल्लाह का इर्शाद है– "मैं तुममें किसी का अमल बर्बाद नहीं करता चाहे मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के जिन्स से हो।" (आयत-195)

इस्लाम में कोई अमल ऐसा नहीं जिसका सवाब मर्दों को केवल इसलिए ज़्यादा दिया गया हो कि वे मर्द हैं और औरतों को इसलिए कम दिया गया कि वे औरतें हैं बल्कि इस्लाम ने फ़ज़ीलत का पैमाना तक़वा को बनाया है। यदि कोई औरत मर्द के मुक़ाबले में अल्लाह से अधिक डरती है तो निश्चय ही औरत ही अल्लाह के निकट श्रेष्ठ होगी क्योंकि अल्लाह का इर्शाद है–

"अल्लाह के निकट तुम सब (मर्दों और औरतों) में अधिक इज़्ज़त वाला वह है जो सबसे अधिक अल्लाह से डरता है।" (सूरह हुजुरात-13)

4. ज्ञान की प्राप्ती

इस्लाम ने ज्ञान की प्राप्ती के मामले में भी औरत को मर्द के समान दर्जा दिया है। नबी सल्ल० ने सहाबियात की शिक्षा के लिए हफ़्ते में एक दिन मुक़र्रर कर रखा था जिसमें आप औरतों को नसीहतें करते और शरीअत के अहकाम बतलाते (बुख़ारी किताबुल इल्म) हज़रत आइशा रज़ि० और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने दीन का ज्ञान सीखने और उम्मत तक पहुंचाने में मिसाली रोल निभाया। हज़रत आइशा रज़ि० दीन का ज्ञान हासिल करने वाली औरतों का साहस बढ़ाया करतीं। एक अवसर पर आप फ़रमाती हैं– "अन्सारी औरतें कितनी अच्छी हैं कि दीनी मसाइल मालूम करने में झिझकती नहीं हैं।" (मुस्लिम)

क़ुरआन मजीद की बहुत सी आयतें और नबी करीम सल्ल० की हदीसें ऐसी हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इस्लाम औरतों को मर्दों की तरह न केवल दीन का ज्ञान हासिल करने की इजाज़त देता है बल्कि उसे ज़रूरी ठहराता है। क़ुरआन में अल्लाह फ़रमाता है–

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो! अपने आपको और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।" (सूरह तहरीम-9)

स्पष्ट है जहन्नम की आग से बचने और औलाद को बचाने के लिए ज़रूरी है कि स्वयं भी वह शिक्षा हासिल की जाए और औलाद को भी उस शिक्षा से सुसज्जित किया जाए जो जहन्नम से बचने का साधन बन सकती है। नबी करीम सल्ल० का इर्शाद है– "हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना अनिवार्य है।"

Www.IslamicBooks.Website

(तबरानी) उलमा के निकट इस हदीस शरीफ़ में मुसलमान से तात्पर्य मर्द ही नहीं बल्कि मुसलमान मर्द और औरतें दोनों हैं। उपरोक्त आदेशों से यह बात स्पष्ट है कि इस्लाम में औरत को भी ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही हक़ हासिल है जितना मर्द को। जहां तक सांसारिक शिक्षा का संबंध है शरअी सीमाओं के अन्दर रहते हुए ऐसा ज्ञान जो औरतों को उनके धर्म और अक़ीदे का बाग़ी न बनाए और व्यवहारिक जीवन में औरतों के लिए लाभकारी भी हो, सीखने में इन्शाअल्लाह कोई हरज नहीं।

5. सम्पत्ति का अधिकार

जिस प्रकार मर्दों के सम्पत्ति के अधिकार को सुरक्षा हासिल है उसी तरह इस्लाम ने औरतों की सम्पत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षा प्रदान की है। यदि औरत किसी जायदाद की मालिक है तो किसी दूसरे को इसमें से कुछ लेने का कोई हक़ नहीं जैसे मेहर औरत की सम्पत्ति है जिसमें उसके भाई बाप यहां तक कि बेटे या पति को कुछ लेने का हक़ नहीं है। इस्लाम ने जिस प्रकार मर्दों के लिए विरासत के हिस्से मुक़र्रर किए हैं वैसे ही औरतों के लिए भी मुक़र्रर किए हैं। इस्लाम ने औरत की सम्पत्ति के अधिकार को इतनी सुरक्षा दी है कि औरत चाहे कितनी ही मालदार क्यों न हो और पति कितना ही ग़रीब क्यों न हो, पत्नी का भरण पोषण बहरहाल मर्द ही के ज़िम्मे है। औरत अपनी सम्पत्ति में से यदि एक पैसा भी घर पर ख़र्च न करे तो शरीअत की ओर से उस पर कोई गुनाह नहीं। यहां यह मसला स्पष्ट करना भी ज़रूरी मालूम होता है कि औरत से स्वयं कह कर मेहर माफ़ कराना जायज़ नहीं। यदि कोई औरत अपनी स्वयं मर्ज़ी से हंसी ख़ुशी माफ़ कर दे तो जायज़ है वर्ना निश्चित मेहर अदा करना उसी तरह वाजिब है जिस प्रकार किसी का क़र्ज़ अदा करना वाजिब होता है। जो लोग केवल इस नीयत से लाखों का मेहर मुक़र्रर कर लेते हैं कि औरत से काफ़ करा लेंगे वे निश्चय ही गुनाहगार होते हैं।

6. पति का चयन

जिस तरह मर्द को इस्लाम ने इस बात का हक़ दिया है कि वह अपनी स्वयं की मर्ज़ी से जिस भी मुसलमान औरत से निकाह करना चाहे कर सकता है इसी तरह औरत को भी इस्लाम इस बात का पूरा पूरा हक़ देता है कि वह अपनी मर्ज़ी

Www.IslamicBooks.Website

से पति का चयन कर ले लेकिन कम उम्री और ना तजुरबेकारी के तक़ाज़ों को समक्ष रखते हुए शरीअत ने निकाह में संरक्षक को भी आवश्यक ठहराया है जिसका विवरण पिछले पृष्ठों में आ चुका है।

7. ख़ुलअ़ का अधिकार

जिस प्रकार शरीअत ने मर्द को ना पसन्दीदा औरत से अलहदगी के लिए तलाक़ का अधिकार दिया है उसी तरह औरत को ना पसन्दीदा मर्द से अलग होने के लिए ख़ुलअ़ का अधिकार दिया है जिसे औरत आपसी बातचीत या न्यायालय के द्वारा हासिल कर सकती है। एक औरत नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अपने पति की शिकायत की। आपने उससे पूछा– "क्या तुम मेहर में दिया गया बाग़ वापस कर सकती हो?

औरत ने कहा– "हां ऐ अल्लाह के रसूल!" आपने उसके पति को हुक्म दिया कि उससे अपना मेहर वापस ले लो और उसे अलग कर दो।" (बुख़ारी)

उपरोक्त सात कामों में इस्लाम ने औरतों को मर्दों के समान अधिकार प्रदान किए हैं जिन कामों में औरतों को मर्दों के असमान (अर्थात कम) अधिकार दिए हैं वे यह हैं–

1. परिवार का मुखिया होना

इस्लाम मर्द और औरत दोनों की शारीरिक बनावट और प्राकृतिक क्षमताओं को सामने रखते हुए दोनों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। इस्लाम का दृष्टिकोण यह है कि मर्द और औरत अपनी अपनी शारीरिक बनावट और भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए पैदा किए गए हैं। शारीरिक बनावट की दृष्टि से प्रौढ़ अवस्था के बाद मर्दों के अन्दर कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं होता सिवाए इसके कि चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के बाल उगने लग जाते हैं और उनके अन्दर जिन्सी भावनाएं जाग जाती हैं जबकि औरत के अन्दर प्रौढ़ अवस्था के बाद जिन्सी जागरुकता के अलावा बड़े प्रमुख परिवर्तन हो जाते हैं वे यह कि औरत को हर महीने मासिकधर्म का ख़ून आने लगता है जिससे उसकी शारीरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी पैदा हो जाते हैं। औरत का श्वांस, पाचन, पट्ठों की व्यवस्था, ख़ून की गर्दिश, मानसिक व शारीरिक क्षमताएं मानो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है।

Www.IslamicBooks.Website

व्यस्क मर्द व औरतें अच्छी तरह जानते हैं कि औरत को प्रकृति हर महीने इस कष्टदायक स्थिति से केवल इसलिए दोचार करती है कि उसे मानव जाति के वजूद जैसे महान उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। औरत का व्यस्क होने के बाद हर महीने हफ़्ता दस दिन इस कष्टदायक स्थिति से दोचार रहना, फिर गर्भ के दिनों में सख़्तियां सहन करना, बच्चा होने के बाद अनेक शारीरिक बीमारियों के कारण मुर्दा जैसी हालत से दोचार होना, इसके बाद कमज़ोरी की हालत में दो साल तक अपने शरीर का ख़ून निचोड़ कर बच्चे को दूध पिलाने का बोझ उठाना और फिर एक लम्बे समय तक रातों की नींद हराम करके बच्चे की पैदाइश, देखभाल और प्रशिक्षण की ज़िम्मेदारियां पूरी करना, क्या ये सारे मेहनत व परिश्रम वाले काम औरत को वास्तव में इस बात की इजाज़त देते हैं कि वह घर की चार दीवारी से बाहर निकले और उस मर्द के कांधे से कांधा मिलाकर जीवन की दौड़ में हिस्सा ले जिसे मानव जाति की प्रगति व वजूद में सिवाए बीज डाल देने और भरण पोषण दे देने के कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी है।[1]

भौतिक गुणों की दृष्टि से मर्द को अल्लाह ने शासन, अधिकार, नेतृत्व, श्रेष्ठता, मेहनत, प्रतिरोध, जंग व लड़ाई और ख़तरों का सामना करने जैसी विशेषताओं से नवाज़ा है जबकि औरत को अल्लाह ने त्याग, बलिदान, निष्ठा, अताह सहनशक्ति, लचक, नर्मी, सुन्दरता, और दिल लुभाने के गुणों से सुशोभित किया है।

मर्द और औरत की शारीरिक बनावट और दोनों को अलग अलग प्रदान किए गए गुण क्या इस बात का स्पष्ट सबूत नहीं है कि औरत का कार्य क्षेत्र घर के अन्दर, मानव जाति के अस्तित्व, बच्चों के प्रशिक्षण, घरदारी और घर के अन्य कामों की देखभाल पर आधारित है जबकि मर्द का कार्यक्षेत्र अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाना, अपने परिवार को समाज की बुराइयों से बचाना, राष्ट्रीय मामलों में भाग लेना और ऐसे ही अन्य कामों पर आधारित है। मर्द और औरत का प्राकृतिक कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के बाद इस्लाम दोनों के अधिकारों को निश्चित भी करता है अतएव घर की व्यवस्था में मर्द को अल्लाह ने मुखिया का दर्जा प्रदान किया है। अल्लाह का इर्शाद है—

---

1. मानव जाति के वजूद में औरत की इस महान सेवा को देखते हुए इस्लाम ने औरत को जिहाद जैसी महान इबादत से मुक्त करके हज को औरत के लिए जिहाद का दर्जा प्रदान किया है।

Www.IslamicBooks.Website

"मर्द औरतों पर मुखिया है इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर वरीयता दी है और इसलिए कि मर्द अपने माल ख़र्च करते हैं।"

(सूरह निसा-34)

जिसका मतलब यह है कि मर्द को अल्लाह ने उसके भौतिक गुणों के आधार पर घर का रक्षक और चौकीदार बनाया है जबकि औरत को उसके भौतिक गुणों के आधार पर मर्द की सुरक्षा और देखभाल का मोहताज बनाया है। मर्द को ख़ानदान का रक्षक या मुखिया नियुक्त करने के बाद उसे यह ज़िम्मेदारी सौंपी गयी कि वह अपने घर वालों का आर्थिक बोझ सहन करे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, उनके साथ सदव्यवहार करे। जबकि औरत पर यह ज़िम्मेदारी डाली गयी कि वह मर्द की सेवा में कोई कसर न उठा रखे, उसके माल और सम्मान (इज़्ज़त) की रक्षा करे और हर जायज़ काम में उसकी मदद करे व उसका पालन करे।

2. ग़ल्ती से हत्या करने में आधा दैत (हत्या के बदले जुर्माना)

जीवन चक्र में इस्लाम मर्द की ज़िम्मेदारियों को औरत की ज़िम्मेदारियों की तुलना में ज़्यादा अहम समझता है। परिवार का आर्थिक बोझ सहना, पत्नी व बच्चों को सामाजिक बुराइयों से बचाना, समाज में बुराई के ख़ात्मे और भलाई के फैलाने का काम करना, इस उद्देश्य के लिए आज़माइशें और तकलीफ़ें सहन करना कि जान की बाज़ी तक लगा देना, देश व क़ौम की दुश्मनों से रक्षा करना आदि ये सारे काम शरीअत ने मर्दों को ही सौंपे हैं।

ज़िम्मेदारियों के इसी अन्तर को सामने रखते हुए शरीअत ने मर्द और औरत के पैमाने में भी अन्तर रखा है अतः ग़लती से की जाने वाली हत्या में औरत की दैत (हत्या का जुर्माना) मर्द की दैत से आधी रखी है। स्पष्ट रहे कि जान बूझ कर हत्या करने में मर्द व औरत की दैत बराबर है लेकिन दैत के आधा होने का मतलब यह नहीं कि मानव जाति की हैसियत से दोनों में कोई फ़र्क़ है।

मानव जाति की हैसियत से इस्लाम ने दोनों में कोई अन्तर नहीं रखा (इसके बारे में हम बता चुके हैं) दैत के अन्तर को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि दो फ़ौजों के बीच होने वाली जंग के अन्त में दोनों पक्ष जब क़ैदियों का तबादला करते हैं तो सिपाही के बदले सिपाही का तबादला होता है लेकिन

Www.IslamicBooks.Website

जरनैल के बदले में सिपाही का तबादला कभी नहीं होता यद्यपि इन्सान होने के नाते दोनों बराबर हैं लेकिन जंग के मैदान में दोनों का पैमाना एक जैसा नहीं अतः एक जरनैल का तबादला कभी कभी कई सौ या कई हज़ार सिपाहियों के साथ होता है। यही अन्तर शरीअत ने मर्द और औरत के कार्यक्षेत्र को सामने रखते हुए रखा है जो पूरी तरह न्याय के तक़ाज़ों को पूरा करता है।

3. विरासत

शरीअत ने औरत को हर हाल में सुरक्षा उपलब्ध की है। यदि वह पत्नी है तो उसका सारा ख़र्च पति के ज़िम्मे है, मां है तो बेटे के ज़िम्मे है, बहन है तो भाई के ज़िम्मे है, बेटी है तो बाप के ज़िम्मे है। पत्नी होते हुए वह न केवल मेहर की हक़दार है बल्कि यदि कोई औरत जागीर की मालिक है और पति फ़ाक़ा कर रहा हो तब भी शरअी रूप से पत्नी घर पर एक पैसा तक ख़र्च करने की पाबन्द नहीं। मर्द की इन ज़िम्मेदारियों और औरत के इन अधिकारों को सामने रखते हुए इस्लाम ने औरत को विरासत में मर्द के मुक़ाबले आधा हिस्सा दिया है। अल्लाह का इर्शाद है–

"मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है।" (सूरह निसा-11)

4. स्मरण शक्ति और नमाज़ों की कमी

एक बार नबी अकरम सल्ल० ने औरतों को सम्बोधित करते हुए फ़रमाया– "औरतो! सदक़ा करो और इस्तग़फ़ार किया करो। मैंने जहन्नम में मर्दों की तुलना में औरतों को अधिक देखा है।"

एक औरत ने कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल! इसका कारण क्या है?" आपने फ़रमाया– "तुम फटकार अधिक करती हो और पतियों की नाशुक्री करती हो। कम अक़्ल और दीन की कमी रखने के बावजूद मर्दों की मत मार देती हों।" इस औरत ने फिर कहा– " ऐ अल्लाह के रसूल! औरत के कम अक़्ल और उसके दीन में कमी किस तरह से है?" आपने इर्शाद फ़रमाया– " उसकी अक़्ल (स्मरण शक्ति) में कमी का सबूत तो यही है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है और दीन में कमी (का सबूत) यह है कि (हर माह) तुम कुछ दिन नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं और रमज़ान में (कुछ दिन) रोज़े भी नहीं रख सकतीं।" (सही मुस्लिम)

Www.IslamicBooks.Website

हदीस शरीफ़ में औरतों की अक़्ल (अर्थात स्मरण शक्ति) और दीन में कमी की जो दलील दी गयी है उससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ने क़ुरआन में जगह जगह इन्सान की प्राकृतिक कमज़ोरियों का ज़िक्र किया है जैसे "इन्सान बड़ा ही ज़ालिम और नाशुक्रा है" (सूरह इबराहीम-34) "इन्सान बड़ा जल्दबाज़ है।" (सूरह बनी इसराइल-11) "इन्सान थुर्ड़ला पैदा किया गया है।" (सूरह मआरिज-19) "बेशक इन्सान बड़ा ज़ालिम और जाहिल है।" (सूरह अहज़ाब-72)

इन आयतों में इन्सान का अपमान या तुच्छ मानना तात्पर्य नहीं है बल्कि उसकी प्राकृतिक कमज़ोरियों का बयान अपेक्षित है। इसी तरह औरत के भूलने का उल्लेख अल्लाह ने औरत के अपमान या तिरस्कार के लिए नहीं किया बल्कि उसकी प्राकृतिक कमज़ोरियों को बतलाने के लिए किया है।

उपरोक्त हदीस से किसी को यह ग़लत फ़हमी नहीं होनी चाहिए कि औरत को सम्पूर्ण रूप से पूरी तरह नाक़िस व अक़्ल व दीन में अल्प कहा गया है जैसा कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि अक़्ल में कम केवल स्मरण शक्ति के मामले में है और दीन में कम केवल नमाज़ों के मामले में है वर्ना कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो शरीअत के आदेशों को समझने में मर्दों से अधिक बुद्धिमान और चालाक होती हैं और कितनी ही औरतें ऐसी हैं जिनका दीन ईमान, नेकी और तक़वा हज़ारों नर्दों के दीन, ईमान, नेकी और तक़वा पर भारी है। नबी सल्ल० के काल में पाक पत्नियां और सहाबियात के उदाहरण इसका सबसे बड़ा सबूत है।

5. अक़ीक़ा

अक़ीक़े के मामले में भी इस्लाम ने मर्द और औरत में फ़र्क़ रखा है। अधिक संभावना यही है कि यह फ़र्क़ भी मर्द और औरत की महत्वकांक्षा को देखते हुए रखा गया है। जैसा कि इससे पहले हम दैत के तहत विस्तार से बहस कर चुके हैं। अल्लाह के नबी का इर्शाद है– "लड़के की ओर से (अक़ीक़ा में) दो बकरियां ज़िब्ह की जाएं और लड़की की ओर से एक बकरी।" (तिर्मिज़ी)

6. निकाह में वली का अधिकार

औरत को शरीअत ने न तो स्वयं निकाह करने की इजाज़त दी है न ही

Www.IslamicBooks.Website

औरत को किसी दूसरी औरत के निकाह में वली बनने की इजाज़त दी है। नबी सल्ल० का इर्शाद है– "कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह करे न ही कोई औरत अपना निकाह स्वयं करे। जो औरत अपना निकाह स्वयं करेगी वह ज़ानिया है।" (इब्ने माजा)

7. तलाक़ का हक़ – इस्लाम ने तलाक़ देने का हक़ मर्दों को दिया है औरतों को नहीं (देखें सूरह अहज़ाब-49) शरीअत के हर हुक्म में कितनी हिक्मत (युक्ति) है इसका पता पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था से लगाया जा सकता है जहां मर्दों के साथ औरतों को भी तलाक़ का हक़ हासिल है वहां तलाक़ें इतनी अधिकता से दी जाती हैं कि लोगों ने सिरे से निकाह ही को छोड़ दिया है जिसका नतीजा यह है कि ख़ानदानी व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ख़ानदानी व्यवस्था को सुरक्षा देने के लिए ज़रूरी था कि तलाक़ का हक़ दोनों पक्षों में से किसी एक को ही दिया जाता चाहे मर्द को या औरत को। मर्द को उसकी ज़िम्मेदारियों और भौतिक गुणों के आधार पर इस बात का हक़दार समझा गया है कि तलाक़ का हक़ केवल उसी को दिया जाए। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर औरत को शरीअत ने "ख़ुलअ" का हक़ दिया है।

8. नुबूवत, जिहाद, इमामते कुबरा व इमामते सुग़रा– नुबूवत का काम, तलवार द्वारा जिहाद और मुल्की सरबराही व मार्ग दर्शन (इमामते कुबरा) तीनों काम बड़े मुश्किल, मुसीबत और आज़माइश वाले हैं जिसके लिए बड़ी ताक़त, साहस, दृढ़ता और फ़ौलादी आसाब (फ़ौलादी स्नायु) की ज़रूरत है। अतएव शरीअत ने ये तीनों काम केवल मर्दों के ज़िम्मे लगाए हैं औरतों को इनसे मुक्ति दे दी है यहां तक कि नमाज़ में मर्दों की इमामत (छोटी इमामत) से भी औरतों को अलग रखा गया है।

उपरोक्त आठ कामों में इस्लाम ने मर्द को औरत पर श्रेष्ठता (नेकी और तक़वा) की दृष्टि से नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक क्षमताओं और भौतिक गुणों की दृष्टि से प्रदान की है। ज़रूरी मालूम होता है कि इस्लाम ने मर्द के मुक़ाबले में औरत को जिस मामले में श्रेष्ठता प्रदान की है उसका उल्लेख भी यहां कर दिया जाए जो कि इस प्रकार है–

औरत मां के रूप में– एक सहाबी नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० मेरे सदव्यवहार का सबसे अधिक हक़दार कौन है?" आपने फ़रमाया– तेरी मां।" उसने दोबारा पूछा– "फिर

Www.IslamicBooks.Website

कौन?" आपने फ़रमाया– "तेरी मां।" उसने तीसरी बार पूछा– "फिर कौन?" आपने फ़रमाया– "तेरी मां।" उसने चौथी बार पूछा– "फिर कौन?" आपने फ़रमाया– "तेरा बाप।" (बुख़ारी)

पारिवारिक व्यवस्था में औरत को मर्द पर तीन दर्जो की यह श्रेष्ठता इस्लाम की ओर से दिया गया वह सम्मानित और इज़्ज़त का मक़ाम है कि दुनिया भर की "महिला अधिकार" संस्थाएं सदियों तक संघर्ष करती रहें तब भी उन्हें दुनिया का कोई देश, कोई धर्म और कोई क़ानून यह मक़ाम देने के लिए तैयार नहीं होगा। मुसलमान घराने में औरत निकाह के बन्धन में बन्ध कर अपने व्यवहारिक जीवन में क़दम रखती है तो उसे मर्द का शक्तिशाली सहारा मिल जाता है। उसके सन्तान होती है तो उसकी इज़्ज़त और मान सम्मान में कई गुना वृद्धि हो जाती है और जब पोते पोतियां हो जाती हैं तो वह सही अर्थों में एक राज्य की "शासक" बन जाती है।

एक ओर अपने पति की निगाहों में उसका महत्व बढ़ जाता है तो दूसरी ओर चालीस या पचास साला "बेटा" अपनी अम्मी जान के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाता। घर के बड़े बड़े मामलों में फ़ैसले मुसल्ले पर बैठी बड़ी अम्मी के इशारों से तै हो जाते हैं। नवासे पोते हर समय सेवकों की तरह दादी अम्मी और नानी अम्मी को ख़ुश करने के लिए तैयार रहते हैं कहीं बड़ी अम्मी नाराज़ न हो जाएं। और बड़ी अम्मी भी अपने गुलशन के फूलों और कलियों को देख देखकर सदक़े और निछावर होती रहती हैं कि उनका जीवन निरुद्देश्य और बेकार नहीं था। प्रकृति की सौंपी गयी ज़िम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया और अपने सामने जीवन की यह गाड़ी देखकर बड़ी अम्मी के चेहरे पर सुख शान्ति का नूर बरसने लगता है काश महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली संस्थाओं को इस्लाम की ओर से औरत को प्रदान किए गए इस उच्च स्थान व दर्जे के बारे में भी सोचने का समय मिल जाए?[1]

---

1. क्षण भर के लिए पश्चिम की चमक दमक से भरपूर सामाजिक व्यवस्था में दिन रात बसर करने वाली की कल्पना कीजिए जो निकाह को मर्द की ग़ुलामी मानती है। अविवाहित रहकर जवानी का आकर्षक समय महफ़िलों की शोभा बनती हैं आज यहां कल वहां। जब जवानी ढलने लगती है तो सुन्दरता भी फ़ीकी पड़ जाती है महफ़िलें सूनी सूनी दिखायी देती हैं, अचानक उसे महसूस होता है कि वह रौनक़ तो केवल एक सपना था दाएं बाएं आगे पीछे कोई हमदर्द है न साथी। जीवन के विस्तृत रेगिस्तान में पतझड़ों का शिकार हुए पेड़ों की भान्ति अकेली अकेली। तब बुढ़ापा गुज़ारने के लिए उसे किसी बिल्ली या कुत्ते का चयन करना पड़ता है।

Www.IslamicBooks.Website

हम न तो यह मानने में कोई शर्म महसूस करते हैं कि इस्लाम ने औरत को मां के रूप में मर्द पर तीन गुना श्रेष्ठता प्रदान की है न ही यह लिखने में कोई झिझक है कि इस्लाम ने मर्दों को औरत पर आठ मामलों में उसके भौतिक गुणों के आधार पर श्रेष्ठता प्रदान की है जहां तक उन लोगों की बात है जिन्हें इस्लाम के हवाले से हर क़ीमत पर औरत को मर्द के समान साबित करने की बीमारी हो गयी है उनसे हम यह पूछना चाहते हैं कि आख़िर दुनिया के कौन से धर्म और कौन से क़ानून में औरत को व्यवहारिक रूप से मर्द के समान अधिकार हासिल हैं?

यदि ऐसा नहीं (और वास्तव में ऐसा नहीं) तो फिर हम उनसे निवेदन करेंगे कि दुनिया के अन्य धर्मों की भान्ति यदि इस्लाम ने भी औरत को मर्द के समान दर्जा नहीं दिया तो इसमें शर्म या मुंह छुपाने की आख़िर बात ही क्या है। मर्द और औरत के अधिकारों के बारे में इस्लाम का विभाजन अन्य समस्त धर्मों के मुक़ाबले में वही अधिक न्याय और सन्तुलन पर आधारित है। इस्लाम ने आज से चौदर सौ साल पहले औरत को जो अधिकार प्रदान किए हैं अन्य धर्म और क़ानून हज़ार कोशिशों के बावजूद वे अधिकार आज भी औरत को देने के लिए तैयार नहीं?

5. ससुर और सास के अधिकार

हमारे देश की नव्वे प्रतिशत आबादी या इससे भी अधिक उन घरानों पर आधारित है जो शादी के तुरन्त बाद अपने बेटे और बहु को अलग घर बनाकर देने की हैसियत नहीं रखते। कुछ न कुछ समय और कुछ हालतों में लम्बी अवधि तक बहु बेटे को अपनी ससुराल (या मां-बाप) के यहां रहकर गुज़ारा करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण भी हमारे समाज में मौजूद हैं कि बेटे की शादी केवल इस उद्देश्य के लिए की जाती है कि घर में बूढ़े मां-बाप की सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। बहु की सूरत में घर को एक सहारा मिल जाएगा। यही कारण है कि कुछ साल पहले तक पुराने तौर तरीक़े वाले बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चों के रिश्ते तै करते समय नातेदारी व रिश्तेदारी को बड़ा महत्व देते थे। आम तौर पर ख़ाला, फूफी, चचा, मामूं आदि अपनी सन्तानों को आपस की शादी की लड़ी में पिरोने की कोशिश करते, मां-बाप अपनी बेटी को विदा करते समय नसीहत करते बेटी! जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उसी घर से तुम्हारा जनाज़ा उठना चाहिए।

Www.IslamicBooks.Website

मतलब यह होता कि अब उम्र भर के लिए तुम्हारा मरना जीना दुख सुख, ख़ुशी और ग़मी उसी घर से जुड़ी है। इस नसीहत का नतीजा यह निकलता है कि बहु अपने पति के मां-बाप को अपने मां-बाप जैसा आदर सम्मान देती और उनकी सेवा में कोई कमी न होने देती और इस तरह सास बहु की पारम्परिक नोक झोंक के बावजूद लोग शान्ति और सुख का जीवन बसर करते थे जब से पश्चिमी सभ्यता के अनुसरण का शौक़ पैदा हुआ है तब से एक नयी सोच ने जन्म लेना शुरू कर दिया है वह यह कि शरअी तौर पर औरत पर सुसराल की सेवा करना वाजिब नहीं और यह कि पति के लिए खाना पकाना कपड़े धोना और अन्य काम (घरेलू) करना भी पत्नी पर वाजिब नहीं, न ही पति इन बातों की मांग कर सकता है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? आइए नक़ली और अक़ली दलीलों की रोशनी में जायज़ा लें कि यह "फ़तवा" इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार है या शरीअत के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण का शौक़।

जहां तक पति की सेवा का संबंध है इस बारे में रसूले अकरम सल्ल० के इर्शादात इतने स्पष्ट हैं और इतनी अधिक संख्या में हैं कि इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यहां केवल तीन हदीसें सार में नक़ल कर रहे हैं–

1. पति पत्नी की जन्नत और और जहन्नम है। (तबरानी, हाकिम, अहमद)

2. यदि मैं किसी को सज्दा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा करे। (तिर्मिज़ी)

3. औरतों की जहन्नम में अधिकता इसलिए होगी कि वह अपने पतियों की नाशुक्री करती हैं। (बुख़ारी)

यह बात मालूम है कि पाक पत्नियां नबी सल्ल० के लिए खाना पकातीं, आपके लिए बिस्तर बिछातीं, आपके कपड़े धोतीं यहां तक कि आपके सर मुबारक में कंघी करतीं। रसूले अकरम सल्ल० के कथनों और पाक पत्नियों की सेवा के बाद आख़िर वह कौन सी शरीअत है जिससे यह साबित किया जाएगा कि पति के लिए खाना पकाना, कपड़े धोना और अन्य घरेलू काम करना पत्नी पर वाजिब नहीं।

जहां तक सुसराल (ससुर और सास) की सेवा करने की बात है इस बारे में कुछ कहने से पहले यह बात समझ लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम सरासर भाइचारे, हमदर्दी, मुहब्बत, रहमत व स्नेह और सम्मान का दीन है। एक बूढ़ा व्यक्ति नबी सल्ल० से मुलाक़ात की मन्शा से सेवा में हाज़िर हुआ। लोगों ने उस बूढ़े को

Www.IslamicBooks.Website

रास्ता देने में कुछ देरी कर दी तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया–

"जो व्यक्ति हमारे छोटों पर दया नहीं करता और हमारे बड़ों का हक़ नहीं पहचानता वह हम से नहीं।" (अबू दाऊद)

इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में एक हदीस रिवायत की है कि हज़रत कबशह बिन्त काअब बिन मालिक रज़ि० अपने ससुर हज़रत अबू क़तादा रज़ि० के लिए वुज़ू का पानी लायीं ताकि उन्हें वुज़ू कराएं। हज़रत कबशह रज़ि० ने वुज़ू कराना शुरू किया तो एक बिल्ली आयी और बर्तन से पानी पीने लगी। हज़रत अबू क़तादा रज़ि० ने बर्तन बिल्ली के आगे कर दिया और कहा रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया–

"बिल्ली नापाक (गन्दी) नहीं है।" (तिर्मिज़ी) इस हदीस से यह बात स्पष्ट होती है कि सहाबियात में सुसराल की सेवा की धारणा मौजूद थी।

सुसराल की सेवा का एक अत्यन्त नाज़ुक और कमज़ोर पहलू यह है कि रसूले अकरम सल्ल० ने औलाद के लिए उसके मां-बाप को उसकी जन्नत या जहन्नम क़रार दिया है (इब्ने माजा) जिसका मतलब यह है कि औलाद पर मां-बाप की सेवा करना, आज्ञा पालन करना और हर हाल में उन्हें राज़ी रखना वाजिब है। इसके साथ ही औरत के लिए उसके पति को उसकी जन्नत या जहन्नम क़रार दे दिया मानो पूरे परिवार मां-बाप (ससुर और सास) बेटा (पति) पत्नी (बहु) को आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है कि उनके सांसारिक और पारलौकिक मामले एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं। बेटा अपने मां-बाप की सेवा करने का पाबन्द है। पत्नी अपने पति की सेवा करने की पाबन्द है फिर यह कैसे संभव है कि बेटा तो दिन रात मां-बाप की सेवा में लगा रहे और पत्नी "शरअी तौर पर सुसराल की सेवा वाजिब नहीं" के फ़तवे की चादर ओढ़कर मज़े की नींद सोती रहे? यदि यह मान लिया जाए कि चूंकि शरीअते इस्लामिया में ससुर और सास के अलग अधिकारों का उल्लेख नहीं मिलता अतः बहु पर ससुर और सास की सेवा करना वाजिब नहीं तो आप अन्दाज़ा कर सकते हैं कि यह फ़लसफ़ा ख़ानदान को बर्बाद करने में कितना अहम रोल निभाएगा?

इसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि पति अपने सास ससुर (अर्थात पत्नी के मां-बाप) की अवहेलना करेगा और आख़िरकार दोनों घरों में आपसी प्यार मुहब्बत, हमदर्दी, रहमत, आदर सम्मान के बदले अपमान, गुस्ताख़ी, नाराज़

Www.IslamicBooks.Website

होना, अनादार और नफ़रत की भावना पैदा होगी। इससे न केवल बुज़ुर्गों का जीना हराम हो जाएगा बल्कि स्वयं पति पत्नी के बीच एक मुस्तक़िल झगड़े की सूरत पैदा हो जाएगी। यह फ़लसफ़ा पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था में व्यवहार में लाने योग्य हो सकता है जहां औलाद को अपने मां-बाप का पता ही नहीं होता। दूसरे यदि पता भी है तो बेटा भी अपने मां-बाप से इतना ही बे ताल्लुक़ होता है जितनी बहु। लेकिन इस्लामी जीवन व्यवस्था में इस फ़लसफ़े के व्यवहार में लाने की कल्पना कैसी की जा सकती है?

इस्लाम की प्रशिक्षण व्यवस्था

व्यक्ति के समूह का नाम समाज है और व्यक्ति समाज का एक अट्ट अंग है। इस्लाम समाज के सुधार का आरंभ करता है ताकि चरित्रवान और भले लोग तैयार होकर एक पाकीज़ा व स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। व्यक्ति के सुधार के लिए इस्लाम की प्रशिक्षण व्यवस्था को समझने के लिए मानव जीवन को चार दौरों में विभाजित किया जा सकता है।

1. पहला दौर—गर्भ ठहरने से लेकर जन्म तक
2. दूसरा दौर— जन्म से लेकर व्यस्क होने तक
3. तीसरा दौर—व्यस्क आयु से निकाह तक
4. चौथा दौर— निकाह के बाद से अन्तिम सांस तक

पहला दौर— गर्भ ठहरने से लेकर जन्म तक

यह एक ठोस हक़ीक़त है कि औलाद का सौभाग्य या दुष्टता बड़ी हद तक मां-बाप की दीनदारी, ईशभय, सदाचार, चरित्र एवं शिष्टाचार पर निर्भर होती है मां-बाप में से भी मां-बाप के दृष्टिकोण, भावनाएं, बुद्धिमानी, आचरण की छाप औलाद पर बाप की तुलना में अधिक गहरी होती है। इस तथ्य को सामने रखते हुए इस्लाम ने निकाह के समय औरत की दीनदारी को बड़ा महत्व दिया है।

अल्लाह के नबी सल्ल० का इर्शाद है कि "औरत में चार चीज़ों को देखकर निकाह किया जाता है— 1. माल व दौलत 2. हसब व नसब 3. सुन्दरता 4. दीनदारी। तुम्हारे हाथ धूल में अटें तुम्हें दीनदार औरत से निकाह करने से कामयाबी हासिल करना चाहिए।" (बुख़ारी)

हम यहां हज़रत उमर रज़ि० की शिक्षा प्रद घटना बयान करना चाहते हैं जो

Www.IslamicBooks.Website

नबी करीम सल्ल० के इस इर्शाद की सबसे अच्छी व्यवहारिक टीका है। हज़रत उमर रज़ि० का तरीक़ा था कि रात को शहर में जनता का हाल मालूम करने के लिए गश्त किया करते थे। एक रात गश्त करते करते थक गए और एक मकान की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। इतने में मकान के अन्दर से एक औरत के बोलने की आवाज़ आयी जो अपनी बेटी से कह रही थी– "उठो और दूध में थोड़ा-सा पानी डाल दो।" लड़की ने कहा– "मां! अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना कर रखा है।" मां ने जवाब दिया– "यहां कौन से अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं उठकर पानी मिला दो।" बेटी ने कहा– "मां! अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे हैं पर अल्लाह तो देख रहा है।"

सुबह होते ही हज़रत उमर रज़ि० ने अपनी पत्नी से कहा "जल्दी से फ़लां घर में जाओ और देखो कि उनकी बेटी विवाहित है या अविवाहित।" मालूम हुआ कि बेटी विधवा है। आपने बिना किसी संकोच अपने बेटे हज़रत आसिम से उसकी शादी कर दी। इसी लड़की की औलाद से पांचवे ख़लीफ़ा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए।

गर्भ के दौरान मां के दृष्टिकोण और आदतों के अलावा मां की दैनिक कार्रवाई और काम काज जैसे आपस में की जाने वाली बातचीत अध्ययन में रहने वाली पत्र पत्रिकाएं, सुनी जाने वाली कैसिटें या अन्य पसन्दीदा या नापसन्दीदा आवाज़ें, बहस में रहने वाली चीज़ें, खाके और चित्र आदि सब कुछ गर्भ के ज़माने में बच्चे पर प्रभाव डालते हैं अतएव इस्लाम पहले ही दिन से इस बात की व्यवस्था करता है कि मर्द और औरत दोनों को जिन्सी तूफ़ान की उमड़ती भावनाओं में भी शैतान के हमले से सुरक्षित रखा जाए। और अल्लाह से रिश्ता व संबंध किसी भी समय टूटने न पाए। अतएव अल्लाह का इर्शाद है कि शादी के बाद पहली रात में मुलाक़ात पर पति को पत्नी के लिए यह दुआ मांगनी चाहिए– "ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस (पत्नी) की भलाई का सवाल करता हूं और जिस प्रकृति पर तूने इसे पैदा किया है उसकी भलाई का सवाल करता हूं और तुझसे इस (पत्नी) के शर से पनाह मांगता हूं और जिस प्रकृति पर तूने इसे पैदा किया है उसके शर से पनाह मांगता हूं।" (अबू दाऊद)

संभोग से पहले जब पति पत्नी भावनाओं की दुनिया में हर चीज़ से बेनिाज़ हो जाते हैं उस समय भी इस्लाम यह चाहता है कि उनकी भावनाएं व इच्छाएं बेलगाम न हों और पत्नी से जिन्सी कार्य करने को केवल एक आनन्द हासिल

Www.IslamicBooks.Website

करने का साधन न समझें बल्कि उनकी निगाह इस जिन्सी कार्य के मूल उद्देश्य एक नेक और भली औलाद पर होना चाहिए।

अतएव रसूले अकरम सल्ल० ने निर्देश दिया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के पास आने का इरादा करे तो उसे यह दुआ मांगनी चाहिए–

"अल्लाह के नाम से ऐ अल्लाह! हमें शैतान से दूर रख और उस चीज़ से भी शैतान को दूर रख जो तू हमें प्रदान करे।" (बुख़ारी)

गर्भ ठहरने से पहले ही पति पत्नी को अल्लाह की ओर ध्यान लगाने, अल्लाह से भलाई चाहने और शर से पनाह मांगने की शिक्षा देकर इस्लाम दोनों पति पत्नी की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को शर से ख़ैर (भलाई) की ओर, गुनाह से नेकी की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर मोड़ देना चाहता है ताकि गर्भ के दौरान पति पत्नी के कामों पर नेकी और भलाई छायी रहे और आने वाली रूह (बच्चा) नेकी और भलाई के गुणों को लेकर इस दुनिया में आए।

दूसरा दौर– जन्म से लेकर व्यस्क होने तक

बच्चे की पैदाइश पर सबसे पहले उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कहने की हिदायत की गयी है और फिर किसी नेक व दीन का ज्ञान रखने वाले से तहनीक[1] और बरकत की दुआ कराना मसनून है। सातवें दिन बच्चे की ओर से अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िब्ह करना (अक़ीक़ा करना) और अच्छा नाम रखना मसनून है।[2] ये सारे काम बच्चे को एक पाकीज़ा, भाग्यवान और भला जीवन प्रदान कराने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं।

नबी सल्ल० का इर्शाद है– "जब बच्चा सात साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़े तो उसे मार कर नमाज़ पढ़ाओ और उनके सोने की जगह (अर्थात बिस्तर या कमरा) अलग अलग कर दो।" (बुख़ारी) ज़रा सोचिए रसूले अकरम सल्ल० के इस छोटे से हुक्म में बच्चे के प्रशिक्षण के कितने अहम सूत्र मौजूद हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले बच्चे को पेशाब पाखाना से फ़राग़त, ग़ुस्ल और वुज़ू की प्रारम्भिक बातें बतायी जाएंगी।

---

1. कोई मीठी चीज़ जैसे खजूर आदि चबाकर बच्चे के मुंह में डालने को तहनीक कहते हैं।
2. मनो वैज्ञानिकों के निकट अच्छे नाम इन्सान के व्यक्तित्व और चरित्र पर बड़े गहरे प्रभाव डालते हैं। आप सल्ल० का इर्शाद है– "अल्लाह के निकट सबसे अधिक पसन्दीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है।" (मुस्लिम)

Www.IslamicBooks.Website

कपड़ों की पाकी और पाक जगह का महत्व बताया जाएगा। मस्जिद और मुसल्ला का परिचय करा दिया जाएगा। इमामत और संगठनात्मक वाला जीवन बसर करने की सूझ बूझ पैदा होगी।

उपरोक्त हदीस शरीफ़ के अन्तिम भाग में यह निर्देश दिया गया है कि दस साल की उम्र में बच्चों के बिस्तर (या हो सके तो कमरे) अलग अलग कर दो। हर आदमी जानता है कि नींद की हालत में इन्सान किस हाल में होता है। कमरे अलग करने में हिक्मत यह है कि बच्चों के अन्दर अल्लाह ने स्वाभाविक रूप से लाज की जो भावना रखी है वह न केवल क़ायम रहे बल्कि और अधिक बढ़ती जाए। आराम के समयों में नाबालिग़ बच्चों को भी अपने मां-बाप के पास इजाज़त लेकर आने का हुक्म देकर इस्लाम ने सतीत्व व लोक लाज का ऐसा ऊंचा पैमाना निर्धारित कर दिया है जिसकी दूसरे धर्म कल्पना तक नहीं कर सकते।

अल्लाह का इर्शाद है– "ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ज़रूरी है कि तुम्हारे ग़ुलाम और नाबालिग़ बच्चे तीन समयों में इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आएं– 1. सुबह की नमाज़ से पहले 2. दोपहर को जब तुम (आराम के लिए) कपड़े उतार कर रख देते हो 3. इशा की नमाज़ के बाद (जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर चले जाओ।) (सूरह नूर-59)

व्यस्क की उम्र से पहले ये सारे आदेश बच्चे के अन्दर जिन्सी भावना पैदा होने के अवसर कम से कम कर देते हैं और बच्चा स्वभाविक रूप से एक पाकीज़ा साफ़ सुथरे माहौल का आदी बन जाता है।

तीसरा दौर–व्यस्क आयु से निकाह तक

व्यस्क आयु की हदों में दाख़िल होते ही मर्द औरत पर वे सारे क़ानून लागू हो जाते हैं जो इससे पहले नाबालिग़ होने की वजह से लागू नहीं थे।[1] व्यस्क आयु के बाद मर्द और औरत में जिन्सी भावनाएं जागने लगती हैं। लड़की के लिए प्राकृतिक तौर पर आकर्षण का एहसास होने लगता है। इस्लाम इन भावनाओं को धीरे धीरे विभिन्न आदेशों द्वारा बड़ी सूझ बूझ और बा कमाल तरीक़ से निकाह के होने तक जिन्सी बुराइयों व गन्दगी से पाक साफ़ रखने की व्यवस्था

1. स्पष्ट रहे लड़कों के लिए बालिग़ होने की पहचान स्वप्नदोष का होना है और लड़कियों के लिए मासिक धर्म का आना है।

Www.IslamicBooks.Website

करता है इस सिलसिले में दिए गए अहम आदेश इस प्रकार हैं–

1. मेहरम और ग़ैर मेहरम रिश्तों का विभाजन

मुसलमान घराने में आंख खोलने वाला बच्चा सोचने समझने की उम्र तक पहुंचने से पहले यह जान चुका होता है कि उसके साथ घर के अन्दर रहने वाले तमाम लोग जैसे दादा दादी, मां-बाप और बहन भाई ऐसे मुक़द्दस और आदर सम्मान वाले रिश्ते हैं जहां जिन्सी भावनाओं के बारे में सोचना भी गुनाह है। मां-बाप और बहन भाइयों के बाद कुछ दूसरे रिश्तेदार जिनसे ज़िन्दगी में बहुत अधिक मेल जोल रहता है और किसी हद तक इन्सान उनके साथ घुल मिलकर रहने पर मजबूर होता है जैसे चचा, मामू, फूफी, ख़ाला आदि इनको भी हराम रिश्ते क़रार देकर शरीअत ने हर मर्द व औरत के चारों ओर रिश्तेदारों का एक ऐसा हलक़ा बना दिया है जिसमें इन्सान की जिन्सी भावनाओं में आवेश पैदा होने के अवसर न होने के बराबर रह जाते हैं। हराम रिश्तों के इस हलक़े से बाहर ग़ैर मेहरम रिश्तेदारों या अजनबियों के लिए जहां जिन्सी भावनाओं में आवेश पैदा होने के अवसर हर क्षण मौजूद रहते हैं वहां शरीअत ने कुछ दूसरी तदबीरें अपनायी हैं जिनका उल्लेख आगे आ रहा है।

2. सातिर लिबास पहनने का हुक्म

घर के आम चौबीस घंटों के जीवन में इस्लाम ने मर्दों और औरतों को यह हुक्म दिया है कि वे ऐसा लिबास इस्तेमाल करे कि जिससे उनका सतर (शरीर का विशेष भाग) खुलने न पाए। स्पष्ट रहे कि मर्द का सतर नाड़ी से घुटनों तक है। नबी सल्ल० का इर्शाद है– "मर्द का नाड़ी के नीचे और घुटने से ऊपर (का हिस्सा) सब छुपाने योग्य है जबकि औरतों का सतर हाथ पांव और चेहरे के अलावा सारा शरीर है। औरतों को नबी सल्ल० ने यह हुक्म दिया है कि " जब औरत व्यस्क हो जाए तो उसके शरीर का कोई अंग नज़र नहीं आना चाहिए सिवाए चेहरे और कलाई के जोड़ तक।" (अबू दाऊद)

सातिर लिबास में यह बात भी शामिल है कि लिबास इतना तंग और बारीक या छोटा न हो जिससे शरीर के अंग ज़ाहिर हो रहे हों। नबी सल्ल० का इर्शाद है कि ऐसी औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी रहती हैं जन्नत में दाख़िल न होंगी, न ही जन्नत की ख़ुश्बू पाएंगी।" (मुस्लिम) याद रहे कि सातिर

Www.IslamicBooks.Website

लिबास का यह हुक्म घर के अन्दर मेहरम रिश्तेदारों (दादा, बाप, या भाई आदि) के लिए है। ग़ैर मेहरम रिश्तेदारों या अजनबियों से पर्दे का हुक्म दिया गया है जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा।

3. घर में इजाज़त लेकर दाख़िल होने का हुक्म

व्यस्क होने के बाद घर के मर्दों (बाप या भाई या बेटे) को यह हुक्म भी दिया गया है कि जब वे अपने घर में दाख़िल हों तो इजाज़त लेकर दाख़िल हों[1] ख़ामोशी के साथ अचानक दाख़िल न हों। कहीं ऐसा न हो कि घर की औरतें (पत्नी के अलावा) ऐसी हालत में हों जिससे उन्हें देखने से मना किया गया है। अल्लाह का इर्शाद है कि– "जब तुम्हारे लड़के बालिग़ हो जाएं तो उनको चाहिए कि घर में इसी तरह इजाज़त लेकर आएं जिस तरह उनसे पहले (घर के दूसरे बालिग़) लोग इजाज़त लेकर आते हैं।" (सूरह नूर-159) अपने ही घर से बाहर ग़ैर मेहरम औरतों और मर्दों का एक दूसरे के साथ खुले रूप से बातचीत और मुलाक़ात करने का स्वभाव ही न बनने पाए।

4. पर्दे का आदेश

घर के अन्दर औरतों को यह हुक्म है कि वे अपने सतर के हिस्सों (हाथ पांव और चेहरे के अलावा बाकी सारा शरीर) को पूरी तरह छुपा कर रखें। घर से बाहर निकलते हुए मुसलमान औरतों को यह हुक्म दिया गया है कि वे अपने चेहरे को भी ढांप कर रखें। नबी करीम सल्ल० के मुबारक ज़माने में सहाबियात इस पर सख़्ती से अमल करती थीं। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हज का ज़िक्र करते हुए फ़रमाती हैं कि हज के दौरान क़ाफ़िले हमारे सामने से गुज़रते तो हम अपनी चादरें मुंह पर लटका लेतीं। जब वे आगे चले जाते तो चादरें मुंह से हटा लेतीं।" (अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

याद रहे एहराम की हालत में औरतों को चेहरे का पर्दा न करने का हुक्म है जो कि अपने आप में स्वयं चेहरे के पर्दे का बड़ा स्पष्ट सबूत है। हज़रत आइशा रज़ि० की रिवायत की गयी हदीस में नहनु (अर्थात हम सहाबियात

---

1. घर में दाख़िल होने के लिए इजाज़त हासिल करने का तरीक़ा यह है कि दरवाज़े पर खड़े होकर "अस्सलामु आलयकुम" कहा जाए। अन्दर से "वाअलयकुमुस्सलाम" की आवाज़ आ जाए तो आदमी अन्दर चला जाए वर्ना इन्तिज़ार करे।

Www.IslamicBooks.Website

(रज़ि०)) के शब्द इस बात पर गवाह हैं कि नबी सल्ल० के ज़माने में चेहरे का पर्दा केवल पाक पत्नियों ही में नहीं बल्कि सारी सहाबियात में पूरी तरह प्रचलित हो चुका था।

पश्चिमी सभ्यता के मतवाले लोगों ने चेहरे के पर्दे से जान छुड़ाने के लए क़ुरआनी आयतों और पवित्र हदीसों पर बड़ी लम्बी बहसें की हैं हमारे निकट असल मसला दलीलों का नहीं बल्कि ईमान का है अतः हम इल्मी बहस से हटकर यहां तक जापानी नव मुस्लिम "खौला लुकाला" जो कि जापान मैं पैदा हुई फ्रांस में शिक्षा प्राप्त की और वहीं मुसलमान हुई। मिस्र, सऊदी अरब के दौरे ज्ञान प्राप्ती के लिए किए, उसके पर्दे के शीर्षक पर प्रकाशित उद्गारों के कुछ हिस्से उसी के शब्दों में यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

"इस्लाम क़ुबूल करने से पहले चुस्त पैन्ट और मिनी स्कर्ट पहनती थी लेकिन अब मेरी लम्बी पोशाक ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मैं एक राजकुमारी हूं। पहली बार मैंने पर्दे में रहने के बाद अपने आपको पाक साफ़ और सुरक्षित समझा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह से अधिक निकट हो गयी हूं। मेरा पर्दा करना केवल अल्लाह की आज्ञा का पालन करना ही नहीं था बल्कि मेरे अक़ीदे का खुला प्रदर्शन भी था। पर्दा करने वाली मुसलमान औरत भीड़ भाड़ में भी पहचानी जाती है (कि वह मुसलमान है) जबकि ग़ैर मुस्लिम का अक़ीदा केवल शब्दों के द्वारा ही मालूम हो सकता है।

मिनी स्कर्ट का मतलब यह है कि यदि आपको मेरी ज़रूरत है तो मुझे ले जा सकते हैं। पर्दा साफ़ बताता है कि मैं आपके लिए प्रतिबन्ध हूं।

गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति गर्मी महसूस करता है लेकिन मैंने पर्दे को अपने सर पर गर्दन पर सीधी पड़ने वाली सूरज की किरनों से बचने का प्रभावी साधन पाया। पहले मुझे हैरत होती थी कि मुस्लिम बहनें बुरक़े के अन्दर कैसे आसानी से सांस ले सकती हैं इसका दारोमदार आदत पर है जब औरत उसकी आदी हो जाती है तो कोई परेशानी नहीं रहती। पहली बार मैंने नक़ाब लगाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़ा ही आश्चर्यजनक। ऐसा लगा कि मैं एक महत्वपूर्ण प्राणी हूं। मुझे एक ऐसी दुनिया की मलिका होने का आभास हुआ जो अपनी छुपी ख़ुशियों से आनन्द उठाए। मेरे पास एक ख़ज़ाना था जिसके बारे में किसी को मालूम न था जिसे अजनबियों को देखने की इजाज़त न थी।

जब मैंने सर्दियों का बुरक़ा बनाया तो उसमें आंखों का बारीक नक़ाब भी

Www.IslamicBooks.Website

लगाया। अब मेरा पर्दा पूर्ण हो गया था इससे मुझे बड़ा आराम मिला अब मुझे भीड़ में कोई परेशानी न थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं मर्दों के लिए अछूती सी हो गयी हूं आंखों के पर्दे से पहले मुझे उस समय बड़ी परेशानी होती थी जब अचानक मेरी नज़र किसी मर्द की नज़रों से टकरा जाती थी। इस नए नक़ाब ने काली ऐनक की तरह मुझे अजनबियों की घूरती निगाहों से बचा दिया।"

सम्मान योग्य जापानी नवमुस्लिम महिला के उपरोक्त विचारों में पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करने वालों की आपत्तियों का जवाब मौजूद है वहीं उन मुसलमान औरतों के लिए शिक्षा भी है नसीहत भी है जिन्हें दोपट्टे का बोझ उठाना भी किसी भारी बोझ से कम मालूम नहीं होता।[1]

हक़ीक़त तो यह है कि समाज में अश्लीलता, नग्नता और बुराई का कैंसर फैलाने, औरत के अन्दर जिन्सी आवेश उभारने और भावनाओं में आग लगाने का सबसे बड़ा कारण बे पर्दगी और नग्नता ही है जबकि पर्दा न केवल मुस्लिम समाज के कल्चर का महत्वपूर्ण अंश है बल्कि चोरी छुपे मुलाक़ातों से लेकर खुले आम आप प्रेम प्रसंगों तक हर फ़िल्ने का प्रभावी निवारण भी है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज के आम आदमी से लेकर ख़ास लोगों में भी बे पर्दगी की बीमारी आम हो चुकी है कि पर्दादार औरतें अब ढूंडने से भी नहीं मिलतीं।

5. ग़स्से बसर (नज़रें मिलाना)

समाज को जिन्सी आवेश और बिखराव से पाक साफ़ रखने के लिए पर्दा

---

1. यहां हम एक पाकिस्तानी महिला शहनाज़ लुग़ारी का ज़िक्र करना चाहेंगे जो पिछले 9 सालों से पाकिस्तान में बुरक़ा पहनकर पायलेट और इन्सटरक्टर का काम कर रही हैं और "पाकिस्तान वीमेन्स पाइलेट एसोसिएशन" की चेयर परसन और "इन्टरनेश्नल हिजाब तहरीक" की मुखिया भी हैं। उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र को इन्टरव्यू देते हुए बताया "जब मैं पांचवी कक्षा में थी तो मुझे मां-बाप ने पर्दा करना शुरू कराया। लड़कियां मेरा उपहास उड़ाती पर मैंने पर्दे को नहीं छोड़ा। आज सारी दुनिया की लड़कियां मेरा हवाला देती हैं कि यदि शहनाज़ बुर्का पहन कर जहाज उड़ा सकती है तो हम बुरक़ा पहनकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर सकतीं?
शहनाज़ ने आगे बताया कि उसे विभिन्न मुस्लिम देशों से बड़ी अच्छी आफ़र आ चुकी हैं कि मैं उन देशों में बुर्क़ा पहनकर हवाई जहाज़ उड़ाऊं। इस उदाहरण से यह आपत्ति भी ख़त्म हो जाती है कि पर्दा प्रगति की राह में रुकावट का कारण है।

Www.IslamicBooks.Website

एक ज़ाहिरी तदबीर है जबकि "ग़स्से बसर" का हुक्म एक बातिनी तदबीर है जिस पर सारे मर्द व औरतें अपने अपने ईमान और तक़वा के अनुसार अमल करते हैं। ग़स्से बसर का मतलब यह है कि मर्द औरतों से और औरतें मर्दों से आंखें मिलाएं न लड़ाएं। एक दूसरे को ताड़ें न ताकें न झांकें। कहा जाता है आंखें शैतान के तीरों में से एक ज़हरीला तीर है। इश्क़ व मुहब्बत की दास्तानों में निगाहों के मिलाप निगाहों में इशारों और निगाहों ही निगाहों में पैग़ाम व सन्देशों और बोलचाल के स्वाद का अन्दाज़ा हर व्यस्क मर्द और औरत को हो सकता है। निगाहों के इसी मिलाप के स्वाद को अल्लाह के रसूल सल्ल० ने आंख का ज़िना क़रार दिया है जिससे बचने के लिए मर्दों को यह हुक्म दिया गया है—

"(ऐ मुहम्मद!) मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें (औरतों को देखने से) बचा कर रखें, अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें (अर्थात शर्मगाहों को नंगा न होने दें और ज़िना न करें) यही तरीक़ा पाकीज़गी वाला है।" (सूरह नूर-30) औरतों को ग़स्से बसर का हुक्म इन शब्दों में दिया गया है— "ऐ नबी! मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें (मर्दों को देखने से) बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें।" (सूरह नूर-30)

स्पष्ट रहे कि अचानक ग़ैर इरादा तौर पर पड़ने वाली नज़र को शरीअत ने माफ़ रखा है। दोबारा इरादे से देखना मना फ़रमाया गया है। रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज़रत अली रज़ि० को नसीहत फ़रमायी "ऐ अली! औरत पर पहली नज़र (अर्थात ग़ैर इरादा) के बाद दूसरी नज़र न डालना क्योंकि पहली माफ़ है दूसरी नहीं।" (अबू दाऊद)

6. मर्द व औरत के घुलने मिलने की मनाही

औरत और मर्दों का आपस में घुलना मिलना दोनों में सुन्दरता का प्रदर्शन और एक दूसरे के प्रति आकर्षक जैसी प्राकृतिक कमज़ोरियों को जगाने का बहुत बड़ा प्रेरक है मुख्य रूप से व्यस्क आयु में दाख़िल होने के बाद मिली जुली महफ़िलों और कार्यक्रमों में आकर्षक चेहरे नज़रों ही नज़रों में कितना सफ़र तै कर लेते हैं और फिर इसके बाद चोरी छुपे सन्देशों का आदान प्रदान, ख़ुफ़िया मुलाक़ातें, प्यार करने के वायदों का क्रम शुरू हो जाता है जो घर से भागने, अपहरण, मुक़दमा बाज़ी, कोर्टमेरिज से होता हुआ बदले और हत्या तक जा पहुंचता है। यह सारी ख़राबियां बे पर्दगी और मिली जुली महफ़िलों की पैदावार

Www.IslamicBooks.Website

हैं अतः इस्लाम समाज में अश्लीलता और बेहयायी फैलाने और सोसाइटी की सुखशान्ति अस्त व्यस्त करने वाले इस प्रेरक पर जीवन के हर विभाग में प्रतिबन्ध लगाता है।

मर्द व औरत का घुलना मिलना रोकने के लिए शरीअत ने औरतों के लिए कुछ इस्लामी आदेश तक बदल डाले हैं जैसे मर्दों के लिए जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब है औरतों से यह सब निकाल दिया गया है। मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है जबकि औरतों के लिए घर में नमाज़ पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है। मर्दों के लिए जुमा की नमाज़ वाजिब है जबकि औरतों पर नहीं, मर्दों पर जिहाद वाजिब है औरतों पर नहीं। जनाज़े की नमाज़ मर्दों के लिए फ़र्ज़ (किफ़ाया) है औरतों के लिए नहीं।

इस्लाम के इन अहकाम को सामने रखकर यह अन्दाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि जो शरीअत समाज को जिन्सी आवेश और जिन्सी बिखराव से बचाने के लिए मिली जुली इबादतों व इबादतगाहों की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं वह शरीअत समाज में मिली जुली महफ़िलों, मिले जुले ड्रामों, लड़कों लड़कियों के खेलों, शिक्षा, नौकरियों और राजनीति की इजाज़त कैसे दे सकती है? विडम्बना यह है कि हमारे यहां जीवन के समस्त स्थलों में जिस दुस्साहस के साथ सरकारी व असरकारी सतह पर शरीअत के इस आदेश की अवज्ञा की जा रही है वह सारी क़ौम को अल्लाह के अज़ाब का शिकार बना देने के लिए काफ़ी है। औरत मर्द के घुलने मिलने की बुराई समाज में इतनी फैल चुकी है कि बीमारी का इलाज करने वाले स्वयं इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। पतन और गिरावट के इस स्थान से क़ौम की वापसी का दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आता।

7. कुछ अन्य आवेश बढ़ाने वाले कामों की मनाही

इस्लाम चूंकि समाज को यथा संभव जिन्सी आवेश और जिन्सी बिखराव से पाक और साफ़ रखना चाहता है। अतः जहां शरीअत अश्लीलता और बे हयायी फैलाने वाली बड़ी बड़ी बुराइयों का निवारण करती है वहां प्रत्यक्ष में छोटी छोटी लेकिन अत्यन्त ख़तरनाक बुराइयों पर पाबन्दी लगा कर हर प्रकार के चोर दरवाज़ों को बन्द कर देती है। यहां हम ऐसी ही कुछ बातों का उल्लेख कर रहे हैं—

1. ख़ुश्बू लगाकर घर से निकलने की मनाही— नबी सल्ल० का इर्शाद

Www.IslamicBooks.Website

है– "जो औरत नमाज़ के लिए मस्जिद जाना चाहे वह (ख़ुश्बू का असर ख़त्म करने के लिए इसी तरह) ग़ुस्ल करे जिस तरह जनाबत से ग़ुस्ल करती है।"

(नसाई)

2. ग़ैर मेहरम से साथ मिलने की मनाही– नबी सल्ल० का इर्शाद है– "कोई मर्द किसी औरत के साथ कदापि तन्हाई में न मिले या यह कि उसका मेहरम साथ हो न ही औरत मेहरम के बिना सफ़र करे।" (मुस्लिम)

नबी सल्ल० का इर्शाद है– "पतियों की ग़ैर मौजूदगी में औरतों के पास न जाओ क्योंकि शैतान तुममें से हर किसी के अन्दर इस प्रकार गर्दिश कर रहा है जिस तरह ख़ून करता है।" (तिर्मिज़ी)

3. ग़ैर मेहरम को छूने की मनाही– नबी सल्ल० का इर्शाद है– "कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत किसी दूसरी औरत का सतर न देखे।"

(मुस्लिम)

4. इकट्ठा सोने की मनाही– नबी सल्ल० का इर्शाद है– "कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ या कोई औरत दूसरी औरत के साथ एक चादर में न लेटे न सोए।"

(मुस्लिम)

5. ग़ैर मेहरमों के सामने शोभा के प्रदर्शन की मनाही– अल्लाह का इर्शाद है– "ऐ नबी! मोमिन औरतों से कहो अपनी निगाहें (मर्दों की निगाहों में डालने से) बचा के रखें। अपने सतीत्व की रक्षा करें और अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें सिर्फ़ उस शोभा के जो आप से आप ज़ाहिर हो जाए। और अपने पांव ज़मीन पर मारती हुई न चलें। ऐसा न हो कि वह शोभा जो उन्होंने छुपा रखी है उसका लोगों को पता लग जाए (सूरह नूर-31) याद रहे सिवाय हाथों और चेहरे के जो आप स्वयं ज़ाहिर होने वाले हैं औरत का बाक़ी सारा शरीर सर से लेकर पांव तक सतर है जिसे घर के अन्दर मेहरमों से भी (सिवाए पति के) छुपाना ज़रूरी है। शोभा से तात्पर्य घर के अन्दर रोज़ की तरह वे कार्य हैं जिनमें कंघी करना, ख़ुश्बू लगाना, सुर्मा लगाना, मेंहदी लगाना या अच्छे ज़ेवर और कपड़े पहनना शामिल हैं जिसका प्रदर्शन केवल मेहरमों के सामने जायज़ है।[1]

---

1. जिन रिश्तेदारों के सामने शोभा का प्रदर्शन करना जायज़ है वे यह हैं– बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, पति का बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना आदि। बेटे, पोते, पड़पोते, नवासे, पड़नवासे आदि भाई और उनके बेटे, पोते पड़पोते, नवासे और पड़नवासे, बहनों के पोते, पड़पोते, नवासे और पड़नवासे।

Www.IslamicBooks.Website

ग़ैर मेहरमों के अलावा शरीअत ने निर्लज्ज और बदकार औरतों के सामने भी शोभा के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी ताकि वह समाज में फ़ित्ने न फैलाती फिरें।

6. ग़ैर मेहरम मर्दों को बिना ज़रूरत आवाज़ सुनाने की मनाही– अल्लाह के नबी सल्ल० का इर्शाद है– "नमाज़ के दौरान किसी ज़रूरत के लिए (जैसे इमाम की भूल आदि) मर्द सुबहानल्लाह कहें लेकिन औरतें ताली बजाएं।" (बुख़ारी व मुस्लिम) इसी कारण औरत को अज़ान देने की इजाज़त भी नहीं दी गयी।

7. गाने बजाने की मनाही– मर्दों और औरतों की जिन्सी भावनाओं को भड़काने का सबसे प्रभावी साधन गाना बजाना और संगीत है। यदि इस गाने के साथ चलती फिरती तस्वीरें भी हों तो यह एक ऐसा दो धारी शैतानी हथियार बन जाता है जो जिन्सी भावनाओं में आग लगा कर इन्सान को हैवान बना देने के लिए काफ़ी है अतएव नबी सल्ल० ने हर तरह के संगीत और गाना सुनने से मना किया है और ऐसा करने वाले को अल्लाह की कठोर यातना की ख़बर सुनाई है। नबी सल्ल० का इर्शाद है– "इस उम्मत के लोगों पर ज़मीन में धंसने, शक्लें बिगड़ने और (आसमान से) पत्थरों की बारिश बरसने का अज़ाब आएगा" किसी सहाबी ने कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! यह कब होगा?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "जब गाने बजाने वाली औरतें ज़ाहिर होंगी, संगीत के संयत्र आम इस्तेमाल होंगे और शराबें पी जाएंगी।" (तिर्मिज़ी)

8. दुराचारी साहित्य– औरत की नंगी और अर्ध नंगी रंगीन तस्वीरों पर आधारित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और साहित्य के नाम पर अश्लील गन्दे और ग़लीज़ नाविल और अन्य चरित्र से गिरा हुआ साहित्य समाज में अश्लीलता व निर्लज्जता फैलाने का एक बहुत बड़ा शैतानी हथियार है। अल्लाह ने ऐसे चरित्र को बिगाड़ने वाले साहित्य के प्रकाशन पर क़ुरआन मजीद में दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी है। अल्लाह का इर्शाद है– "जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में अश्लीलता फैले वे दुनिया व आख़िरत में दर्दनाक यातना के हक़दार हैं।" (सूरह नूर-19)

8. निकाह का हुक्म

व्यक्ति के नफ़्स के सुधार और पाकी की विभिन्न तदबीरें अपनाने के साथ

Www.IslamicBooks.Website

साथ इस्लाम निकाह करने का हुक्म भी देता है जो कि न केवल पारिवारिक व्यवस्था की शक्तिशाली और सदृढ़ बुनियाद बनता है बल्कि इन्सान के अन्दर शर्म व लज्जा और सतीत्व की भावना भी पैदा करता है। अल्लाह के नबी का इर्शाद है– "निकाह आंखों को नीचा करता है और शर्मगाह को बचाता है।"
(मुस्लिम)

और आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया– "निकाह आधा दीन है।" (बैहेक़ी) निकाह के महत्व को देखते हुए इस्लाम ने निकाह का तरीक़ा बड़ा सरल व सहज रखा है न मेहर की हद न दहेज की पाबन्दी न बारात का झंझट न ज़बान, रंग व नस्ल, क़ौम, क़बीला की क़ैद, बस केवल मुसलमान होने की शर्त है।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० ने मदीना में शादी की और नबी सल्ल० को पता तक न चला। आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० के कपड़ों पर जाफ़रान का रंग देखकर पूछा– "यह क्या है?" हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा– "मैंने अन्सार की एक औरत से निकाह किया है।"
(बुख़ारी)

हज़रत जाबिर रज़ि० ने एक जंगी मुहिम से वापसी पर नबी अकरम सल्ल० को बताया– "ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नयी नयी शादी की है।" पूछा– "कुंवारी से या विधवा से?" हज़रत जाबिर रज़ि० ने बताया– "विधवा से।" आपने फ़रमाया– "कुंवारी से शादी क्यों न की? वह तुझसे खेलती तू उससे खेलता।"
(मुस्लिम)

मतलब यह कि न तो सहाबा किराम रज़ि० अपने निकाह की समय रहते ख़बर देना नबी सल्ल० को ज़रूरी समझते थे न नबी सल्ल० ने कभी इस बात पर अपनी नाराज़गी प्रकट की कि मुझे दावत क्यों नही दी गयी? एक सहाबी के पास निकाह के लिए कुछ भी नहीं था कि मेहर में देने के लिए लोहे की अंगूठी भी उपलब्ध नहीं थी। आपने उसका निकाह क़ुरआन की आयतों पर ही कर दिया। (बुख़ारी) न मेहर न दहेज़ न बारात, इन तमाम सुविधाओं के बावजूद यदि कोई निकाह न करे तो उसके बारे में इर्शाद मुबारक है– "वह मुझसे नहीं।"
(मुस्लिम)

Www.IslamicBooks.Website

9. रोज़ा– निकाह का विकल्प

जब तक निकाह के लिए हालात ठीक न हों उस समय तक रसूल अकरम सल्ल० ने (यथा सामर्थ) रोज़े रखने का हुक्म दिया है। क़ुरआन मजीद में अल्लाह ने रोज़े का उद्देश्य बयान करते हुए यह बताया है– "ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ।" (सूरह बक़रा) नबी सल्ल० ने भी रोज़े का उद्देश्य बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया है– "रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि बेकार के और गन्दे कामों से रुकने का नाम है।" (इब्ने ख़ज़ीमा) जिसका मतलब यह है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इन्सान के अन्दर मौजूद वासना संबंधी और हैवानी भावनाओं को सख़्ती से ख़त्म कर देता है। अतएव नबी सल्ल० का इर्शाद है– "नमाज़ बुराई और अश्लील कामों से रोकती है।" (सूरह अन्कबूत-45) नमाज़ के इन लाभों के साथ रोज़ा के हुक्म की वृद्धि मानो इन्सान को जिन्सी बिखराव से सुरक्षित रखने के लिए दोहरी मदद देता है।

10. अन्तिम रास्ता

नफ़्स के सुधार एवं पाकीज़गी की सारी बाहरी और आन्तरिक तदबीरों के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अपनी वासना संबंधी भावनाओं को कन्ट्रोल नहीं करता और वह कुछ कर गुज़रता है जिसे इस्लाम हर सूरत में रोकना चाहता है अर्थात ज़िना, तो इसका मतलब यह है कि वह मर्द या औरत इस्लामी समाज में रहने के योग्य नहीं। उन पर मानवता की बजाए जानवरपन छाया हुआ है। ऐसे अपराधियों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इस्लाम ने अन्तिम रास्ता के तौर पर लोगों की भीड़ के सामने बिना किसी रिआयत सौ कौड़े मारने का आदेश दिया है।

अल्लाह का इर्शाद है– "ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द दोनों में से हरेक को सौ कोड़े मारो और अल्लाह के क़ानून के लागू करते समय तुम्हें उनपर दया नहीं आनी चाहिए यदि तुम वास्तव में अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो और जब उनको सज़ा दी जाए तो मुसलमानों में से एक जमाअत उनको देखने के लिए मौजूद रहे।" (सूरह नूर-1)

ज़िना के अलावा किसी बे गुनाह औरत पर ज़िना का आरोप लगाने वाले के लिए भी शरीअत ने अस्सी कोड़ों की सज़ा मुक़र्रर की है जिसे हदे क़ज़फ़ कहा

Www.IslamicBooks.Website

जाता है। ऐसे अवज्ञाकारी दुष्ट स्वभाव लोगों को और अधिक अपमानित करने के लिए यह हुक्म भी दिया गया है कि आगे उनकी किसी भी मामले में गवाही न मानी जाए। अल्लाह का इर्शाद है– "और जो लोग पाक दामन औरतों पर (बदकारी का) आरोप लगाएं और फिर चार गवाह पेश न करें उन्हें अस्सी कोड़े मारो और आगे कभी उनकी गवाही क़ुबूल न करो। ऐसे लोग स्वयं ही बदकार हैं।" (सूरह नूर-1)

स्पष्टीकरण– निकाह के बाद ज़िना की सज़ा संगसार करना है जिसका ज़िक्र अगले पन्नों में आएगा। इन्शाअल्लाह

4. चौथा दौर– निकाह के बाद से अन्तिम समय तक

निकाह के बाद जिन्सी दृष्टि से इन्सान के अन्दर सुकून, शान्ति और सन्तोष की स्थिति पैदा हो जानी चाहिए फिर भी इसका दारोमदार पति पत्नी के आपसी रवैयों पर है इसलिए इस अवसर पर भी इस्लाम दोनों पक्षों की जिन्सी भावनाओं को बिगड़ने व भटकने से बचाने के लिए पूरी पूरी रहनुमाई करता है। निकाह के बाद पति पत्नी के लिए इस्लामी शिक्षाएं निम्न हैं–

1. पति की जिन्सी भावनाओं का सम्मान– औरत को यह हुक्म दिया गया है कि वह अपने पति की जिन्सी भावनाओं का सम्भावित हद तक सम्मान करे और उसकी नफ़सानी इच्छा पूरी करे। अल्लाह के रसूल सल्ल० का इर्शाद है– "उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है जब पति पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह इन्कार कर दे तो वह ज़ात जो आसमानों में है नाराज़ रहती है यहां तक कि उसका पति उससे राज़ी हो जाए।" (मुस्लिम) इस्लाम ने औरत को पति की जिन्सी भावनाओं का ख़्याल रखने की इस हद तक ताकीद की है कि यदि औरत नफ़्ली रोज़ा रखना चाहे तो वह भी पति से इजाज़त लेकर रखे। (बुख़ारी)

2. चार शादियों की इजाज़त– इस्लाम चूंकि हर समय पर समाज से जिन्सी अराजकता और जिन्सी बिखराव रोकना चाहता है अतः उसने मर्दों को स्वेच्छा से एक से अधिक एक साथ चार शादियां करने की इजाज़त दी है। अल्लाह का इर्शाद है–

"यदि तुमको शंका हो कि यतीमों के साथ न्याय न कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसन्द आएं उनमें से दो दो, तीन तीन या चार चार से निकाह कर

Www.IslamicBooks.Website

लो लेकिन यदि तुम्हें शंका हो कि इन (विधवाओं) के बीच न्याय न कर सकोगे तो फिर एक ही करो।" (सूरह निसा-3)

अर्थात इस्लाम को यह तो पसन्द है कि न्याय को क़ायम रखते हुए कोई व्यक्ति दो या तीन यहां तक कि चार औरतों से निकाह करके आनन्दित हो जाए लेकिन यह कदापि पसन्द नहीं कि मर्द ग़ैर मेहरम औरतों से चोरी छुपे आंखे लड़ाते फिरें। ग़ैर मेहरम औरतों से दिल बहलाएं या उनसे आंखें लड़ाएं। न ही यह पसन्द है कि मर्द नाइट कल्बों, वैश्यालयों और वैश्याओं के डेरों को आबाद करें, न ही यह पसन्द है कि समाज में छोटी उम्र की बच्चियां जिन्सी हिंसा का शिकार हों। ज़िना की अधिकता हो और ऐसे हरामी बच्चे पैदा हों जिन्हें अपनी मां का पता हो न बाप का।

एक से अधिक शादियों के हवाले से हम यहां इस बात का ज़िक्र करना भी आवश्यक समझते हैं कि हिन्द व पाक के प्राचीन रस्म व रिवाज और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमारे यहां आज भी दूसरे निकाह के बारे में सख़्त नफ़रत और घृणा की भावना पायी जाती हैं यहां तक कि कभी कभी उचित कारण (जैसे औरत की निरन्तर बीमारी या सन्तान न होना आदि) के बावजूद मर्द के दूसरे निकाह को निंदा योग्य और मलामत योग्य समझा जाता है। इसी रस्म व रिवाज को देखते हुए सरकार ने यह क़ानून लागू कर रखा है कि मर्द के लिए दूसरे निकाह से पहले पहली पत्नी से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है जो कि सरासर ग़ैर इस्लामी है। इस्लाम में दूसरी, तीसरी या चौथी शादी के लिए न्याय की शर्त के अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं और इसकी मसलेहत व हिक्मत का ज़िक्र पिछली पंक्तियों में हो चुका है। यहां हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि अल्लाह के उतारे गए आदेशों के बारे में दिल में कराहत या नापसन्दीदगी महसूस करते हुए सौ बार डरना चाहिए। कहीं इस वजह से उम्र भर की सारी मेहनत और कमाई बर्बाद न हो जाए।

अल्लाह का इर्शाद है– "चूंकि उन्होंने इस चीज़ को नापसन्द किया जिसे अल्लाह ने भेजा है अतः अल्लाह ने उनके सारे कर्मों को बर्बाद कर दिया।" (सूरह मुहम्मद-9)

3. पति के सामने ग़ैर मेहरम औरतों का उल्लेख करने की मनाही– अल्लाह के रसूल सल्ल० का इर्शाद है– "कोई व्यक्ति किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह (भेद भरी बातें करके) न रहे कि फिर (जाकर) अपने पति से

Www.IslamicBooks.Website

उसका हाल यूं बयान करे जैसे वह उसे देख रहा है।" (बुख़ारी)

4. जिन्सी जीवन के भेद खोलने की मनाही– नबी सल्ल० का इर्शाद है– "क़ियामत के दिन अल्लाह के निकट सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा जो अपनी पत्नी के पास जाए और पत्नी उसके पास आए और फिर वह अपनी पत्नी की राज़ की बातें दूसरों को बताए।" (मुस्लिम)

5. पति के रिश्तेदारों से पर्दे का हुक्म– एक बार नबी सल्ल० ने सहाबा किराम (रज़ि०) को नसीहत की– "औरतों के पास एकान्त में न जाओ।" एक सहाबी ने कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! पति के रिश्तेदारों के बारे में क्या हुक्म है?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "वह तो मौत है।" (तिर्मिज़ी)

याद रहे कि पति के रिश्तेदारों से तात्पर्य उसके भाइयों के अलावा निकटतम रिश्तेदार भी हैं जैसे चचाज़ाद, फूफीज़ाद, ख़ालाज़ाद, मामूज़ाद। (तिर्मिज़ी)

6. अन्तिम रास्ता– जो व्यक्ति निकाह के बावजूद ज़िना जैसे घिनौने अपराध को करे उसके लिए शरीअत ने वास्तव में ऐसी कड़ी सज़ा रखी है कि वह दूसरों के लिए शिक्षा प्रद बन जाता है। देखने वाले ज़िना की कल्पना से ही कांपने लगते हैं। असल में शरीअत ने इतनी कड़ी सज़ा (संगसार) मुक़र्रर ही इसलिए की है कि एक आध अपराधी को सज़ा देकर पूरे समाज को इसकी गन्दगी और नापाकी से पूरी तरह और साफ़ कर दिया जाए।

सामाजिक जीवन के बारे में इस्लाम के वे आदेश जिनपर अमल करके समाज को न केवल जिन्सी आवेश और जिन्सी बिखराव से बचाया जा सकता है बल्कि औरत पर होने वाले ज़ुल्म व अत्याचार को ख़त्म करके सम्मान व इज़्ज़त का स्थान भी दिलाया जा सकता है। जब तक हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर नेक नीयती से किताब व सुन्नत के इन आदेशों पर अमल नहीं करते हमारा समाज जटिल समस्याओं की आग में निरन्तर जलता रहेगा। इस आग को ठंडा करने का केवल एक ही रास्ता है कि पूरी विनम्रता और विनय के साथ अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर झुका दिया जाए।

प्रिय पाठक गण! विगत पृष्ठों में हम पश्चिमी जीवन व्यवस्था और इस्लामी समाज का विस्तार से अवलोकन कर चुके हैं। एक नज़र में दोनों सभ्यताओं का तुल्नात्मक विवरण निम्न चार्ट में देखा जा सकता है–

क्रसं०	सामाजिक प्रणाली	पश्चिम	इस्लाम

Www.IslamicBooks.Website

1. निकाह! मर्दों की ग़ुलामी! सुन्नते रसूल, पारिवारिक व्यवस्था का आधार
2. पति का आज्ञापालन! महिला की आज़ादी में रुकावट! वाजिब है
3. परिवार में मर्द की हैसियत! औरत के बराबर! परिवार का मुखिया
4. घर दारी! आयाओं के ज़िम्मे! औरत के ज़िम्मे
5. आर्थिक ज़िम्मेदारी! मर्द की तरह औरत भी ज़िम्मेदार! केवल मर्द ज़िम्मेदार है
6. औरत का कार्य क्षेत्र! मर्द के साथ साथ! केवल घर के अन्दर
7. बहुपत्नी विवाह! हास्यस्पद धारणा! चार तक इजाज़त है
8. गर्ल फ्रेन्ड/ब्वाय फ्रेन्ड! जीवन का अंश! पूरी तरह हराम
9. घर के अन्दर सतर! कल्पना ही एक बोझ है! सर से पांव तक सिवाए हाथ और चेहरे के
10. घर से बाहर पर्दा! रुढ़िवाद! सतीत्व की निशानी
11. नंगापन! रोशन सोच! जिहालत की रस्म
12. मर्द औरत का मिलना जुलना! समाज का अनिवार्य अंश! पूरी तरह हराम
13. ज़िना! आनन्द का साधन और दिल्लगी का शौक़! पूरी तरह हराम
14. शराब! जीवन का अंश! पूरी तरह हराम
15. बिन ब्याही औलाद! क़ानूनी औलाद के मुक़ाबले में वरीयता योग्य! जीवन भर के लिए शर्म व नदामत की निशानी
16. सन्तान का लालन पालन! जीवन की रंगीनी में एक बड़ी रुकावट! मां-बाप के ज़िम्मे है
17. मां-बाप की सेवा! एक बोझ! इबादत व सौभाग्य की बात
18. तलाक़! मर्द की तरह औरत भी दे सकती है! केवल मर्द दे सकता है।

इस चार्ट को देखकर यह अन्दाज़ा करना मुश्किल नहीं कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की विलोम हैं। दोनों में पूरब पश्चिम का फ़र्क़ है। जो बात एक सभ्यता में अच्छी निगाह से देखी जाती है वही बात दूसरी सभ्यता में बुरी निगाह से देखी जाती है। जो चीज़ एक सभ्यता में रोशन ख़्याल मानी जाती है दूसरी सभ्यता में वह निरी जिहालत है।

पश्चिम वालों की गवाहियां

मुसलमानों की इस्लामी सामाजिक प्रणाली के बारे में सकारात्मक राय रखना एक स्वभाविक बात है कि यह उनके ईमान व अक़ीदे में शामिल है। यहां

Www.IslamicBooks.Website

हम कुछ ऐसे लोगों की राय पेश कर रहे हैं जिन्होंने पश्चिमी सामाजिक प्रणाली में आंख खोली, लालन पालन पाया, उसी प्रणाली में शिक्षा प्राप्त की और बरसों इसी सामाजिक प्रणाली का हिस्सा बन कर रहे लेकिन जब इस्लामी सामाजिक प्रणाली का गंभीरता से अवलोकन किया तो उन्हें इस नतीजे पर पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आयी कि इस्लामी सामाजिक प्रणाली ही असल में वह प्रणाली है जिसमें मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग है।

1. शहज़ादा चार्लिस इन दिनों क़ुरआन पाक की टीका व अनुवाद के अलावा अन्य इस्लामी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और अधिकांश मुसलमानों के दीनी कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों में वे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इस्लाम की शाश्वत शिक्षाओं को आम किया जाए और अन्य धर्म वालों में उसके बारे में भ्रम को दूर करने का काम बड़े पैमाने पर किया जाए। 19 मार्च 1996 ई० को मुहम्मदी पार्क लन्दन की मस्जिद की एक सभा में उन्होंने डेढ़ घंटा मुसलमानों के बीच गुज़ारा। याद रहे शहज़ादा चार्लिस 1993 ई० से आक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ सेन्टर के संरक्षक भी हैं।

2. आक्सफ़ोर्ड के इस्लामिक स्टडीज़ सेन्टर में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेलसन मंडेला ने तक़रीर करते हुए कहा—

"इस्लाम सम्पूर्ण मार्ग दर्शन करने वाला एक मात्र जीवन दर्शन है। महाद्वीप अफ्रीका में लोग ज्यों ज्यों इस्लाम का अध्ययन कर रहे हैं इस्लाम से निकट होते जा रहे हैं। यदि पश्चिमी लोग भी इस महान अन्तर्राष्ट्रीय धर्म का गहरी नज़र से अध्ययन करें तो उनके दिलों में इस्लाम के बारे में पायी जाने वाली भ्रान्तियों का निवारण हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि अब यहां (पश्चिम में) भी इस्लाम का धीरे धीरे विकास होना निश्चित हो गया है।

3. मराकश में नियुक्त जर्मनी दूत वेल फ़रेड हाफ़ मेन ने इस्लाम क़ुबूल करने के बाद इस्लामी दंड विधान पर एक किताब लिखी है जिसमें चोरी की सज़ा हाथ काटना, हत्या का बदला क़त्ल और ज़िना की सज़ा संगसार करने पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला है। और यह साबित किया है कि मानवता को शान्ति का स्थल बनाने के लिए इन सज़ाओं के बिना कोई रास्ता नहीं।

4. राष्ट्रपति निक्सन के राजनीतिक सलाहकार डेनिस क्लारक ने एक बार राष्ट्रपति को मश्विरा दिया कि अमेरिका को इस्लाम के बारे में अपनी राय में सुखद परिवर्तन लाने होंगे। राष्ट्रपति के कहने पर श्री डेनिस को ही यह सुखद

Www.IslamicBooks.Website

परिवर्तन लाने के लिए इस्लाम का अध्ययन करना पड़ा जिसके बाद डेनिस क्लारक मुसलमान हो गए।

5. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के पड़ पौते जान अशफ़ून को पत्रकारिता से संबंधित कुछ काम पूरे करने के लिए बेरूत, मराकश, अरटीरिया, अफ़ग़ानिस्तान और बोसनिया जाना पड़ा। जहां उसकी मुलाक़ातें मुसलमान डाक्टरों और पत्रकारों से हुई। इस्लाम के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के बाद जार्ज अशफ़ून ने क़ुरआन का अध्ययन शुरू कर दिया। अध्ययन के बाद उसने स्वीकारा कि क़ुरआन पढ़ने के बाद मुझे अपने उन तमाम सवालों का सन्तोष जनक जवाब मिल गया है जिनके लिए मैं बरसों से परेशान था और जिनके लिए मुझे इंजील और उसके विद्वानों ने निराश कर दिया था।

कुछ दिनों के बाद जार्ज अशफ़ून अमेरिका में ही थे एक मुसलमान की मौत हो गयी। उसके जनाज़े में शिर्कत के लिए गया। दफ़न कफ़न के अमल से वे इतने प्रभावित हुए कि मय्यित के ग़ुस्ल के दौरान ही उसने कलिम-ए-शहादत पढ़कर अपने इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया।

6. अमेरिका कांग्रेस कमेटी के सदस्य जेम मोरन का कहना है कि "मैं अपने बच्चों को इस्लामी शिक्षाओं का अध्ययन करने की हिदायत करता रहता हूं। दीन इस्लाम के आवाहक हज़रत मुहम्मद सल्ल० एक ऐसी महान हसती थे कि इतिहास में उन जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती मगर दुख की बात है कि उनकी शिक्षाओं को न पढ़ने की दो वजह हैं। एक ग़ैर मुस्लिमों की हठधर्मी, दूसरे मुसलमानों की कोताही।"

7. अमेरिका के पूर्व अटारनी जनरल रेम्ज़ क्लारक ने अपने एक इन्टरव्यू में माना है कि इस्लाम दुनिया की एक अत्यन्त प्रभावी आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है। अमेरिकी जेलों में हज़ारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर बार हैं, मां-बाप, शिक्षा से अनभिज्ञ, नशे के आदी, भ्रष्टाचार और अपराध उनके जीवन का ओढ़ना बिछौना है लेकिन इन क़ैदियों ने जब इस्लाम की दावत क़ुबूल कर ली तो अचानक वे बुलन्दियों को छूने लगे। जेल में हंगामें होते हैं तो यही लोग दूसरों की जानें बचाते नज़र आते हैं।

8. जापानी नो मुस्लिमा "ख़ौला लुकाता" जापान में इस्लाम की तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान पर विचार प्रकट करते हुए कहती हैं कि "अब अधिक से अधिक जापानी औरतें इस्लाम क़ुबूल कर रही हैं। मुश्किल हालात के बावजूद

Www.IslamicBooks.Website

सरों तक को छुपा रही हैं। वे सब यह मानती हैं कि वे अपने पर्दे पर गर्व करती हैं और इसी से उनके ईमान को ताक़त मिलती है। मैं पैदइशी रूप से मुसलमान नहीं हूं मैंने तथा कथित आज़ादी (निसवां) और आधुनिक जीवन व्यवस्था की लुभाने वाली लज़्ज़तों को छोड़कर इस्लाम का चयन किया है। यदि यह सही है कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो औरतों पर ज़ुल्म कर रहा है तो आज यूरोप, अमेरिका, जापान और दूसरे देशों में बहुत सी महिलाएं क्यों क़ुबूल कर रही हैं? काश कि लोग इस पर रोशनी डालते।"

उपरोक्त मिसालों से यह हक़ीक़त खुल कर सामने आती है कि इस्लाम कि आफ़ाक़ी शिक्षाएं इन्सान के स्वभाव और प्रकृति के ठीक ठीक अनुसार हैं उनमें दिल व दिमाग़ को बस में करने की बहुत अधिक ताक़त मौजूद है। पश्चिम वालों के इन बयानों व गवाहियों में ईमान वालों के लिए बड़ा ही शिक्षा प्रद का सामान है। हमें विचार करना चाहिए कि जब ग़ैर मुस्लिम क़ौमें सदियों तक कुफ़र के अंधेरों में भटकने के बाद नजात के लिए इस्लाम की ओर पलट रही हैं तो फिर हमें पहल करते हुए खुले दिल के साथ इस्लाम की ओर पलट आना चाहिए। काश हमारे बड़े, संरक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग को भी इस हक़ीक़त को समझने का सौभाग्य प्रदान हो?

मां-बाप की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण बातें

नबी करीम सल्ल० का मुबारक इर्शाद है—

"हर बच्चा प्रकृति (इस्लाम) पर पैदा होता है लेकिन उसके मां-बाप उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं।" (बुख़ारी) इस हदीस शरीफ़ से औलाद के प्रशिक्षण की अहमियत का अन्दाज़ा किया जा सकता है। औलाद के प्रशिक्षण के बारे में वैसे तो मां-बाप पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आती हैं लेकिन हम यहां केवल दाम्पत्य जीवन के हवाले से कुछ बातें पेश करना चाहते हैं—

प्रौढ़ अवस्था के मसाइल

प्रौढ़ अवस्था की सीमाओं में दाख़िल होने वाले लड़के और लड़कियों को प्रौढ़ अवस्था के मसलों से अवगत होना ज़रूरी है। हमारे यहां इस बारे में दो भिन्न राएं पायी जाती हैं। एक वर्ग तो वह है जो अपनी व्यस्क औलाद के सामने न स्वयं ऐसे मसाइल का ज़िक्र करना पसन्द करता है न ही बच्चों की ज़बान से

Www.IslamicBooks.Website

उनका ज़िक्र सुनना पसन्द करता है।

दूसरा वर्ग वह है जो पश्चिम जीवन प्रणाली का इस हद तक मतवाला है कि उन्हीं की तरह स्कूलों में बाक़ायदा जिन्सी शिक्षा पर बल देता है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न सोच हैं। सन्तुलित रास्ता यह है कि व्यस्क होने के क़रीब पहुंचते हुए बच्चों के मसाइल का मां-बाप स्वयं एहसास करें और इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में उनका मार्ग दर्शन करें वर्ना मीडिया के फ़िल्मे, रेडियो, टी वी, वी सी आर, बाज़ारी नाविल, अश्लीलता फैलाने वाले दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मैगज़ीन और अन्य साहित्य का सैलाब अधकचरे ज़हन और उठती हुई जवानी की उम्र में बड़ी आसानी से बच्चों को ग़लत रास्ते पर डाल सकता है। याद रखिए कभी कभी मामूली सी कोताही और ग़लती की पूर्ति उम्र भर के संघर्ष से भी संभव नहीं रहती।

सहाबा किराम रज़ि० और सहाबियात प्रौढ़ अवस्था के मसाइल, पाकी, नजासत, जनाबत, मासिक धर्म, निफ़ास, इस्तिहाज़ा आदि के मसाइल नबी करीम सल्ल० से आकर मालूम करते थे और अल्लाह के रसूल सल्ल० सारी मानवता में सबसे अधिक शर्म व हया वाले और स्वाभिमान थे लेकिन आपने कभी मसाइल बताने में शर्म या झिझक महसूस नहीं की। न सहाबा किराम को ऐसे मसाइल मालूम करने से कभी रोका या टोका बल्कि कभी कभी अपनी व्यक्तिगत ज़िन्दगी के हवाले से मसाइल बताकर सहाबा किराम का साहस बढ़ाया।

हज़रत आइशा रज़ि० अन्सारी महिलाओं की इस बात पर बड़ी प्रशंसा किया करती थीं कि वे दीनी मसले मालूम करने में झिझक महसूस नहीं करतीं। (मुस्लिम)

निकाह में लड़कियों की रज़ामंदी

इससे पूर्व हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस्लाम औरत को भी मर्द की तरह अपना जीवन साथी चुनने की पूरी पूरी आज़ादी देता है लेकिन हमारे यहां रिवाज यह है कि लड़के की पसन्द या नापसन्द को तो बड़ा महत्व दिया जाता है कभी कभी लड़के स्वयं भी ज़िद करके या किसी न किसी तरह अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट कर देते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं लेकिन इसके मुक़ाबले में लड़कियों की पसन्द या नापसन्द को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कुछ तो लड़कियों में कुदरती तौर पर लड़कों की तुलना में झिझक अधिक होती है और

Www.IslamicBooks.Website

वे अपनी पसन्द या नापासन्द का इज़हार भी नहीं कर पातीं। कुछ पूर्वी रस्म व रिवाज भी ऐसा है कि इस मामले में लड़की का कुछ कहना बेशर्मी की बात समझी जाती है और मां-बाप अपनी बेटियों से यह आशा रखते हैं कि वे जहां कहीं उनके रिश्ते कर दें, बेटियों को ज़बान बन्द करके वहां चली जाना चाहिए।

शरअी रूप से यह तरीक़ा ठीक नहीं। लड़की की मर्ज़ी के बिना किए गए निकाह के मामले में नबी करीम सल्ल० ने लड़की को पूरा अख़्तियार दिया है कि वह चाहे तो निकाह को बाक़ी रखे चाहे तो ख़त्म कर दे। (अबू दाऊद)

अतः निकाह से पहले लड़कों की तरह लड़कियों को भी अपनी पसन्द या नापसन्द की बात कहने का पूरा पूरा मौक़ा देना चाहिए। यदि मां-बाप लड़की के चयन को किसी वजह से ग़लत समझते हैं तो उसे जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत करके यह तो कह सकते हैं कि उसकी पसन्द को बदल दें लेकिन यह नहीं कर सकते कि उसकी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती किसी जगह उसका निकाह कर दें। यह तरीक़ा व अमल न केवल शरअी तौर पर बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी इसके नतीजे कष्टदायक और परेशान करने वाले निकल सकते हैं।

बे जोड़ रिश्ते

रसूले अकरम सल्ल० का इर्शाद मुबारक है– "औरत से चार चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। उसके माल व दौलत के कारण, उसके हसब व नसब के कारण, उसकी सुन्दरता की वजह से या उसकी दीनदारी की वजह से। तेरे हाथ ख़ाक में हों दीनदार औरत से निकाह करने मे कामयाबी हासिल कर।"

(बुख़ारी)

इस हदीस शरीफ़ में स्पष्ट रूप से इस बात का हुक्म दिया गया है कि रिश्ता तै करते समय दीनदारी का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा ख़ानदान, अच्छी शक्ल, अच्छा कारोबार देखना शरअी तौर पर मना है न ऐब। यदि ये सब या इनमें से कुछ मिल जाएं तो बहुत अच्छा है लेकिन शरीअत जिस चीज़ को इन सब पर मुक़द्दम रखने का हुक्म देती है वह दीनदारी है। दुर्भाग्य से जब से भौतिकवाद की दौड़ शुरू हुई है। कितने ही दीनदार घराने ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को किताब व सुन्नत की शिक्षा दिलाते हैं पाकीज़ा और साफ़ सुथरे माहौल में उनका प्रशिक्षण करते हैं लेकिन निकाह के समय दुनिया की चमक दमक से प्रभावित होकर बेटी के अच्छे भविष्य की तमन्ना में बेदीन या बिदअती या

Www.IslamicBooks.Website

मुश्रिक घरानों में अपनी बेटियां ब्याह देते हैं और यह कल्पना कर लेते हैं कि बेटी नए घर में जाकर स्वयं अपना माहौल बना लेगी। कुछ साहसी, सुशील और भाग्यशाली महिलाओं के कुछ उदाहरणों से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन आम तथ्य यही बतलाते हैं कि ऐसी महिलाओं को बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वयं मां-बाप भी जीवन भर हाथ मलते रहते हैं। हमें इस हक़ीक़त को भुलाना नहीं चाहिए कि अल्लाह तआला ने औरत के स्वभाव में दूसरों को ढालने की बजाए स्वयं ढलने की विशेषता ग़ालिब रखी है। यही कारण है कि किताब वालों की औरतें लेने की इजाज़त है देने की नहीं।

कम से कम दीनदार घरानों को कफ़ू दीन का उसूल (हसब व नसब व सामाजिक स्तर पर समानता का उसूल) किसी क़ीमत पर भी नज़र अन्दाज़ नहीं करना चाहिए। रिश्ता तै करते समय यह बात भी याद रखनी चाहिए कि नेक मर्द व औरत का यही सांसारिक निकाह क़यामत के दिन जन्नत में हमेशा के ताल्लुक़ की बुनियाद बनेगा। लेकिन यदि दोनों पक्षों में से एक तौहीद पर क़ायम रहने वाला और अल्लाह से डरने वाला हो और दूसरा पक्ष इसके विपरीत हो तो इस दुनिया में ताल्लुक़ निभाने के बावजूद आख़िरत में यह ताल्लुक़ टूट जाएगा और जन्नत में जाने वाले मर्द या औरत का किसी दूसरे तौहीद परस्त और नेक औरत या नेक मर्द से निकाह कर दिया जाएगा अतः निकाह के समय अल्लाह का यह इर्शाद याद रखना चाहिए–

"दुष्ट औरतें दुष्ट मर्दों के लिए हैं और दुष्ट मर्द दुष्ट औरतों के लिए, पवित्र औरतें पवित्र मर्दों के लिए हैं और पवित्र मर्द पवित्र औरतों के लिए हैं।"

(सूरह नूर-26)

दहेज की रस्म– दहेज जो असल में "जहेज़" है इसकी उत्पत्ति "जहज़" जिसका मतलब है सामान की तैयारी। इसी शब्द से तजहीज़ का शब्द बना है जो मय्यित के लिए तकफ़ीन की वृद्धि के साथ इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है मय्यित को क़ब्र में पहुंचाने के लिए सामान तैयार करना। जहेज़ उस सामान को कहते हैं जो दुल्हन को नया घर बनाने या बसाने के लिए मां-बाप की ओर से दिया जाता है।

विगत पन्नों में आप पढ़ चुके हैं कि परिवार की व्यवस्था को बनाने में अल्लाह तआला ने मर्दों को रक्षक या मुखिया बनाने की वजह यह बतायी है कि मर्द अपने परिवार (अर्थात पत्नी बच्चों) पर अपने माल ख़र्च करते हैं। (देखिए

Www.IslamicBooks.Website

सूरह निसा-33) जिसका मतलब यह है कि निकाह के बाद पहले दिन से ही घर बनाने और चलाने के सारे ख़र्च मर्द के ज़िम्मे हैं। नबी सल्ल० ने पति पत्नी के अधिकार निर्धारित करते हुए यह बात पत्नी के अधिकारों में शामिल कर दी है कि उसका भरण पोषण हर हाल में मर्द के ज़िम्मे है चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों न हो।

निकाह के समय शरीअत ने मर्द पर यह अनिवार्य किया है कि वह यथा सामर्थ औरत को "मेहर" अदा करे। यह भी इस बात का स्पष्ट सबूत है कि इस्लाम की निगाह में मर्द औरत पर ख़र्च करने का पाबन्द है और ख़र्च करने की पाबन्द नहीं।

ज़कात की अदाएगी में भी शरीअत ने इसी उसूल को समक्ष रखा है। पति चूंकि क़ानूनी रूप से पत्नी के भरण पोषण का ज़िम्मेदार है अतः मालदार पति अपनी पत्नी को ज़कात नहीं दे सकता जबकि मालदार पत्नी अपने पति को इसलिए ज़कात दे सकती है कि वह क़ानूनी रूप से मर्द के ख़र्चों की ज़िम्मेदार नहीं। (बुख़ारी बाबुज़्ज़कात अलज़्ज़ोज)

नबी करीम सल्ल० ने अपनी चार बेटियों की शादी की। इनमें से हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़य्या रज़ि० को किसी प्रकार का दहेज देना साबित नहीं अलबत्ता हज़रत ज़ैनब रज़ि० को हज़रत ख़दीजा रज़ि० ने अपना एक हार दिया था जो बदर वापस भिजवा दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ि० को हज़रत अली रज़ि० ने मेहर में एक ढाल दी थी जिसे बेचकर नबी सल्ल० ने हज़रत फ़ातिमा रज़ि० को घर का ज़रूरी सामान पानी की मश्क, तकिया, एक चादर आदि बनाकर दिया। आपके इस काम से अधिक से अधिक यह बात साबित होती है कि यदि कोई व्यक्ति ग़रीब है तो औरत के मां-बाप यथा सामर्थ दामाद से सहयोग करने के लिए घर का बुनियादी और ज़रूरी सामान दे सकते हैं।

आजकल जिस प्रकार निकाह से पहले दहेज के लिए मांग होती है और फिर निकाह के अवसर पर जिस प्रकार उसकी नुमाइश की जाती है शरअन इसके हराम होने में कोई सन्देह नहीं। अल्लाह का इर्शाद है– "अल्लाह किसी इतराने वाले और गर्व करने वाले व्यक्ति को पसन्द नहीं करता।" (लुक़मान-8) हदीस शरीफ़ में है नबी सल्ल० ने एक बड़ी शिक्षा प्रद घटना बयान की है जिसे इमाम मुस्लिम (रहिम०) ने रिवायत की है। नबी सल्ल० फ़रमाते हैं– "एक आदमी दो चादरें पहन कर अकड़ कर चल रहा था और दिल ही दिल में (अपने लिबास पर)

Www.IslamicBooks.Website

इतरा रहा था अल्लाह ने उसे धरती से धंसा दिया अब वह क़ियामत तक ज़मीन में धंसता चला जा रहा है।"

मां-बाप की अपनी इच्छा व ख़ुशी के बिना मजबूर करके उनसे दहेज़ बन वाना निश्चय ही असत्य तरीक़े से माल खाने के जैसा आता है जिसके बारे में अल्लाह का मुबारक इर्शाद है–

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो! एक दूसरे के माल ग़लत तरीक़ों से न खाओ।" (सूरह निसा-29) यदि किसी ने ज़बरदस्ती दहेज हासिल किया हो तो इस आयत के अनुसार वह पूरी तरह हराम है जिसे वापस लौटाना चाहिए या माफ़ कराना चाहिए।

एक हदीस शरीफ़ में नबी सल्ल० ने स्पष्ट रूप से यह इर्शाद फ़रमाया है– "एक मुसलमान का ख़ून उसका माल उसकी इज़्ज़त और आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है।" (मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि– "ज़ुल्म क़ियामत के दिन अंधेरा बन कर आएगा।" (बुख़ारी)

बेटी के मां-बाप से ज़बरदस्ती दहेज हासिल करना खुला ज़ुल्म है। ऐसा ज़ुल्म करने वालों को डरना चाहिए कि कहीं दुनिया के इस मामूली लालच के बदले में आख़िरत का बड़ा घाटा मोल न लेना पड़ जाए जहां अधिकारों की अदाएगी माल से नहीं कर्मों से होगी। क़ुरआन व हदीस के इन आदेशों के अलावा ऐसे दहेज़ की सांसारिक ख़राबियां इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना संभव नहीं।

ग़रीब मां-बाप जो एक बेटी का दहेज़ बनाने की हैसियत न रखते हों उनके यहां यदि तीन या चार बेटियां हो जाएं तो उनके लिए वे एक बड़ा मसला बन जाती हैं मां-बाप की नींद हराम हो जाती है। मां-बाप क़र्ज़ लेकर दहेज़ बनाने पर मजबूर हो जाते हैं और वही निकाह जिसे शरीअत दो परिवारों के बीच मुहब्बत और रहमत का साधन बनाना चाहती है आपसी नफ़रत, दुश्मनी और लड़ाई का कारण बन जाता है। यही बेटियां जिनके लालन पालन और निकाह पर जहन्नम से रुकावट की शुभ सूचना दी गयी है समाज की इस घृणित रस्म के कारण अशुभ और मुसीबत की निशानी बन जाती हैं। बेटियां अपनी जगह स्वयं यातना और हीन भावना का शिकार रहती हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक करोड़ से अधिक लड़कियां शादी की प्रतीक्षा में बैठी हैं जिनमें

Www.IslamicBooks.Website

से चालीस लाख लड़कियों की शादी की उम्र गुज़र चुकी है मां-बाप अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने की चिंता में बूढ़े हो चुके हैं।

जो लोग अधिक दहेज़ देने की स्थिति में हैं वे अधिक दहेज़ देने के बदले पति से उसकी हैसियत से अधिक मेहर का हक़ लिखा लेते हैं और यह समझते हैं कि इस तरह उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा यद्यपि पति पत्नी के रिश्ते की असल बुनियाद आपसी निष्ठा, वफ़ादारी और विश्वास है यदि यह न हो तो करोड़ों रुपया व माल भी इसका विकल्प नहीं बन सकते और यदि यह चीज़ मौजूद हो तो फ़ाक़ाकशी भी इस नाज़ुक रिश्ते को हिला नहीं सकती। अधिक दहेज़ देना और फिर अधिक मेहर लिखवाना पति पत्नी के आपसी रिश्ते को मज़बूत तो नहीं बनाता अलबत्ता दोनों के संबंधों में बाल अवश्य आ जाता है जो कभी कभी भविष्य में परेशानी का कारण बनता है।

दहेज़ की इस घृणित रस्म पर मुसलमानों को इस पहलू से भी विचार करना चाहिए कि हिन्दुओं के यहां बेटियों को विरासत में हिस्सा देने का क़ानून नहीं है अतः वे शादी के अवसर पर दहेज़ के रूप में अपनी बेटियों को अधिक सामान देकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हिन्दुओं की देखा देखी मुसलमानों ने भी न केवल दहेज़ के मामले में बल्कि विरासत के मामले में भी हिन्दुओं जैसा तरीक़ा अपनाना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग बेटियों को दहेज़ देने के बाद यह समझ लेते हैं कि उनका हक़े विरासत भी अदा कर दिया गया है यद्यपि यह सरासर शरीअत का उल्लंघन है और काफ़िरों का अनुसरण भी जिससे मुसलमानों को बचना चाहिए।

हम लड़कों के मां-बाप से यह विनती करना चाहते हैं कि समाज में इस ख़तरनाक नासूर को समाप्त करने के लिए पहला क़दम वही उठा सकते हैं और उन्हीं को उठाना चाहिए। कोइ संदेह नहीं कि अल्लाह की प्रसन्नता के लिए दहेज़ की रस्म के विरुद्ध जिहाद करने वालों को अल्लाह अपने करम से दुनिया और आख़िरत में अपने अताह इनामों से नवाज़ दे और यह भी हो सकता है कि ज़ुल्म से दहेज़ हासिल करने वालों को कल कलां स्वयं अपनी बेटियों के मामले में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ जाए क्योंकि ख़ुदा का इर्शाद है– "ये तो ज़माने के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच गर्दिश देते रहते हैं।"

(सूरह आले इमरान-140)

निकाह के मसाइल हमारे व्यवहारिक जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। हमने

Www.IslamicBooks.Website

संभावित हद तक मसाइल और हदीस के ठीक होने के सिलसिले में विभिन्न उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करने का पूरा पूरा एहतेमाम किया है। फिर भी यदि कोई ग़लती रह गयी हो तो हमें अवश्य बताया जाए।

शुरू में यह किताब दो भागों में बंटी थी 1. निकाह के मसाइल 2. तलाक़ के मसाइल। किताब के पृष्ठ अधिक होने के कारण दोनों भागों को अलग अलग करना पड़ा। आशा है कि इससे किताब के लाभकारी होने पर इन्शाअल्लाह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सम्मान योग्य उलमाए किराम और अन्य हज़रात जिन्होंने खुले दिल से किताब की तैयारी में सहयोग दिया उन सबका दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको दुनिया और आख़िरत में अपने इनाम प्रदान करे। आमीन।

रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्न क अन्तस्समीउल अलीम व तुब अलै न इन्न क अन्तत्तव्वाबुर्रहीम०

"ऐ हमारे पालनहार! हमारी सेवाएं क़ुबूल कर, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है और हम पर करम की नज़र कर, बेशक तू बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला और दया करने वाला है।"

मुहम्मद इक़बाल कीलानी
रियाज़
सऊदी अरब

Www.IslamicBooks.Website

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तिलका हुदूदुल्लाहि व मयैय त अद्द हुदूदल्लाहि फ़ क़द ज़ ल म नफ़सहु०

"ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा वह अपने ऊपर स्वयं ज़ुल्म करेगा।

(सूरह तलाक़, आयत-1)

Www.IslamicBooks.Website

नियत के मसाइल

मसला 1. आमाल का दारो मदार नियत पर है।

"हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की, अतः जिस व्यक्ति ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी तो मुहाजिर की हिजरत का बदला वह है जिसके लिए उसने हिजरत की।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

निकाह की प्रमुखता

मसला 2. निकाह इन्सान में शर्म व हया पैदा करता है।

मसला 3. निकाह आदमी को बदकारी से बचाता है।

अन अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला लना रसूलुल्लाहि या माअशरश्शबाबि मनिसतताअ मिन्कुमुल बाअत फ़ल य त ज़व्व ज फ़ इन्नहु अग़ज़्जुलिल ब स रि व अह स न लिल फ़र जि व मल्लम यसततिअ फ़अ लैहि बिस्सवमि फ़ इन्नहु लहू विजाअ०

हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमसे फ़रमाया– "ऐ जवान लोगो! तुममें से जो समर्थ हो वह निकाह करे उसके लिए निकाह आंखों को नीचा करता है और शर्मगाह को (ज़िना से) बचाता है और जो व्यक्ति ख़र्च की ताक़त न रखे वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी नफ़सानी इच्छा ख़त्म कर देगा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 4. निकाह जिन्सी गन्दगी, जिन्सी आवेश और शैतानी विचारों व कर्मों से सुरक्षित रखता है।

अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु : समिअतुन्नबिय्या यक़ूलु : इज़ा अ-ह-दुकुम अअजबतहुल मरअतु फ़ व-क़अत फ़ी क़लबिहि फ़ल यअमद इला इमरातिहि फ़ल युवाक़िअहा फ़इन्ना ज़ालि क यरुद्दु मा फ़ी नफ़सिहि०

"हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि जब किसी आदमी को कोई औरत सुन्दर लगे और उसके दिल

Www.IslamicBooks.Website

में उसकी मुहब्बत आए तो उसे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए और उससे सोहबत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी के दिल से उस औरत का ख़्याल जाता रहेगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि क़ाला इन्नल मर अता इज़ा अक़बलत अक़बलतु फ़ी सूरति शैतानि फ़ इज़ा र आ अ-ह-दुकुम इमर अतन फ़ अअजबतहु फ़ल याति अहलहु फ़ इन्ना मअ हा मसलल्लज़ी म अ ह०

"हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जब औरत सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है अतः जब तुममें से कोई औरत को देखे और उसे अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि अपनी पत्नी के पास आए उसकी पत्नी के पास भी वहा चीज़ है जो उस औरत के पास है।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 5. निकाह आपसी मुहब्बत और मित्रता का प्रभावशाली साधन है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि लम नर लिल मुताहाब्बीनि मिसलुन्निकाहि०

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "हमने दो मुहब्बत करने वालों के लिए निकाह से ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावी नहीं देखी।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 6. निकाह इन्सान के लिए सुख शान्ति का बाअिस है।

अन अनसिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि हुब ब इलय्यन्निसाउ वत्तयबु व जुअिलत कुर्रतु अयनी फ़िस्सलाति०

"हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "(मेरे दिल में) औरतों और ख़ुश्बू की मुहब्बत डाली गयी है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज़ में है।"

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 7. अन अ न सिन रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़-क़ दिस तकम ल निसफ़द्दीनि फ़ल यत्तक़िल्ला ह फ़िन्निसफ़िल बाक़ी०

"हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जब कोई व्यक्ति निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है अतः उसे चाहिए कि बाक़ी आधे दीन के मामले में अल्लाह से डरता रहे।"

Www.IslamicBooks.Website

इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

मसला 8. जो व्यक्ति गुनाह से बचने के लिए निकाह का इरादा करे, अल्लाह उसकी मदद अवश्य करता है।

अन अबी हरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि क़ाला : क़ाला सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि अज्ज़ा व जल्ला अवनहुमुल मुकातबुल्लज़ी युरीदुल अदा अ वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ा फ़ वल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि०

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "तीन आदमियों की मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे है, 1. वह ग़ुलाम जिसने अपने मालिक से आज़ादी के लिए सन्धि की और वह अदाएगी की नियत रखता है। 2. बुराई से बचने की नियत से निकाह करने वाला। 3. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला।"

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 9. निकाह नस्ल इन्सानी के वजूद का साधन है।

मसला 10. क़यामत के दिन रसूले अकरम सल्ल० अपनी उम्मत की अधिकता पर गर्व करेंगे।

अन मअक़लिब्नि यसारिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला जा आ रजुलुन इलन्नबिय्या फ़ क़ाला : इन्नी असबतुम रआतन ज़ाता ह स बिन व जमा लिन व इन्नहा ला तलिदु अ फ़-अ तज़व्वजुहा? क़ाला : ला सुम्मा अता हुस्सानिय त फ़-न-हाहु सुम्मा अताहुस्सालिस त फ़क़ाला तज़व्वजुल वदू दल व लू द फ़ इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उ म म०

"हज़रत माअक़ल बिन यसार रज़ि० कहते हैं एक आदमी नबी करीम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया– "एक सुन्दर और अच्छे हसब व नसब वाली औरत है लेकिन उसके यहां सन्तान नहीं होती क्या उससे निकाह कर लूं?" आप सल्ल० ने फ़रमाया– "न करो" फिर दूसरी बार हाज़िर हुआ आप सल्ल० ने उसे मना फ़रमा दिया। फिर वह तीसरी बार (इजाज़त लेने) हाज़िर हुआ तो आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया– "मुहब्बत करने वाली और अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरत से निकाह करो क्योंकि मैं तुम्हारी अधिकता के कारण से दूसरी उम्मतों पर गर्व करूंगा।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

अन अ न सिन रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला तज़व्वजु ल वदूदल

Www.IslamicBooks.Website

वलू द फ़ बि इन्नी मुकासिरिन बिकुमुल अम्बिया अ यवमल क़ियामति०

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "मुहब्बत करने वाली और अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरत से निकाह करो क्योंकि मैं क़यामत के दिन दूसरे नबियों के मुक़ाबले में तुम्हारी अधिकता की वजह से गर्व करूंगा।"

इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है।

निकाह का महत्व

मसला 11. निकाह न करने वाला निकाह की सुन्नत के सवाब से वंचित रहता है।

अन अ न सिन रज़ियल्लाहु अन्हु इन्ना न-फ़-रन मिन असहाबिन्नबिय्यिन स आलु अज़वाजन्नबिय्यि अन अ म लिहि फ़िस्सिर्रि फ़ क़ा ल बाअजुहुम ला अ त ज़व्वजुन्सिा अ व क़ाला बाअज़ुहुम ला आकुलुल्लह म व क़ाला बाअज़ुहुम ला अना म अलल फ़िराशि फ़ हमिदल्लाह व सना अलैहि फ़ क़ाला : मा बालु अक़वामिन क़ाला कज़ा व कज़ा ल किन्नी उसल्ली व अनामु व असूमु व उफ़तिर व अ त ज़व्वजुन्निसा अ फ़ मन रग़ि ब अन सुन्नती फ़ लै स मिन्नी०

"हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० के कुछ सहाबा ने पाक पत्नियों से नबी अकरम सल्ल० की ख़ुफ़िया इबादत का हाल पूछा (पूछने के बाद) उनमें से एक ने कहा– "मैं औरतों से निकाह नहीं करूंगा।" किसी ने कहा "मैं मांस नहीं खाऊंगा।" किसी ने कहा "मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा।" (नबी अकरम सल्ल० को पता चला तो) आपने अल्लाह की स्तुति एवं प्रशंसा की और फ़रमाया– "उन लोगों को क्या हुआ जिन्होंने ऐसी और ऐसी बाते कहीं जबकि (रात को) नफ़िल पढ़ता हूं और सोता भी हूं। (नफ़ली) रोज़े रखता हूं छोड़ भी देता हूं। और औरतों से निकाह भी करता हूं अतः जो व्यक्ति मेरे तरीक़े से मुंह मोड़ेगा वह मुझ से नहीं" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 12. दीनदार और अच्छे अख़लाक़ का रिश्ता मिलने के बाद निकाह न करने का नतीजा बड़ा ज़बरदस्त फ़ित्ना व फ़साद की सूरत में ज़ाहिर होगा।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इज़ा ख़-त-ब इलैकुम मिन तरजून दीनहू व खुल क़हू फ़ ज़व्वजुहू तकुन फ़ितनतन फ़िल

Www.IslamicBooks.Website

अर्ज़ि व फ़सादन अरीज़०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास निकाह का सन्देश भेजे जिसके दीन व आचरण से तुम सन्तुष्ट हो तो उससे (अपनी बेटी का) निकाह कर दो यदि ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर बिगाड़ और ज़बरदस्त फ़ित्ना पैदा होगा।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 13. निकाह न करने से बदकारी में पड़ने का ख़तरा है।

इसका स्पष्टीकरण हदीस मसला 3 में आ चुका है।

मसला 14. निकाह के बिना दीन अधूरा रहता है।

इसका स्पष्टीकरण हदीस मसला 7 के तहत आ चुका है।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह की क़िसमें

मसला 15. निकाह की निम्न क़िसमें हैं– 1. मसनून निकाह 2. निकाह शिग़ार 3. निकाह हलाला 4. निकाह मुतअ।

मसनून निकाह

मसला 16. वली (संरक्षक) की सरपरस्ती में उम्र भर साथ निभाने की नियत से किया गया निकाह मसनून निकाह कहलाता है जो कि जायज़ है।

मसला 17. अपने पति के अलावा दूसरे मर्दों से मेल जोल की तमाम क़िसमें हराम है।

मसला 18. औरत के लिए एक साथ कई मर्दों से निकाह करने का तरीक़ा इस्लाम ने हराम ठहरा दिया है।

"हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि अज्ञानता के दौर में चार तरह के निकाह किए जाते थे। पहला तरीक़ा वही है जिस तरीक़े से आज भी लोग करते हैं। एक मर्द दूसरे मर्द (वली) की तरफ़ उसकी बेटी या रिश्तेदार औरत के लिए निकाह का सन्देश भेजता। वह (वली) मेहर निर्धारित करता और (अपनी बेटी या अपनी रिश्तेदार औरत से) निकाह कर देता।

दूसरा तरीक़ा यह था कि औरत जब मासिक धर्म से पाक हो जाती तो पति उसे कहता कि फ़लां (सुन्दर, बहादुर और ख़ानदानी) मर्द को बुलाकर उससे ज़िना करो। इसके बाद जब तक गर्भ का पता न चल जाता औरत का पति उससे अलग रहता। गर्भ का पता लग जाने के बाद यदि पति चाहता तो स्वयं भी अपनी पत्नी से संभोग करता। यह इसलिए किया जाता कि उच्च परिवार की सुन्दर सन्तान पैदा हो। इस निकाह को "इस्तिबज़ाअ" कहा जाता था।[1]

तीसरा तरीक़ा यह था कि दस की संख्या से कम आदमी मिलकर एक ही औरत से बदकारी करते। गर्भ के बाद जब वह बच्चा जनती तो कुछ दिनों के बाद वह औरत उन सब मर्दों को बुला भेजती और किसी की मजाल न थी कि वह आने से इन्कार करे। जब सारे मर्द इकट्ठा हो जाते तो औरत उनसे कहती– "जो

1. हमारे देश में अब भी अज्ञानता का यह तरीक़ा प्रचलित है जिसे यहां के लोग "नियोग" कहते हैं। हवाले के लिए देखिए "रहीकुल मखतूम" लेखक सफ़ियुर्रहमान मुबारक पुरी (पृष्ठ-62)

Www.IslamicBooks.Website

कुछ तुमने किया वह ख़ूब जानते हो। अब मैंने यह बच्चा जना है और ऐ फ़लां! यह तुम्हारा बेटा है औरत जिसका चाहती नाम ले देती और बच्चा (क़ानूनी रूप से) उसी मर्द का हो जाता जिसका औरत नाम लेती और मर्द का साहस न था कि वह इन्कार कर देता।

निकाह का चौथा तरीक़ा यह था कि एक औरत के पास बहुत से आदमी आते जाते। हरेक उससे बदकारी करता और वह औरत किसी को मना न करती। ये वैश्याएं होतीं जो (निशानी के तौर पर) अपने घरों पर झंडे लगा देतीं जो चाहता उनके पास (अपनी नफ़सानी इच्छा पूरी करने के लिए) आता जाता। जब ऐसी औरत गर्भवती हो जाती और बच्चा जन लेती तो सारे मर्द जो उसके साथ बदकारी करते रहे थे किसी क़याफ़ा शनास (सामुद्रिक विज्ञान)

को उसके पास भेजते। वह (अपनी विद्या के अनुसार अनुमान लगाकर) जिस मर्द को उस बच्चे का बाप बताता बच्चा उसी का बेटा ठहरा दिया जाता और वह मर्द इन्कार न कर सकता।

जब हज़रत मुहम्मद सल्ल० दीन इस्लाम लेकर आए तो आपने अज्ञानता के सारे निकाह हराम ठहरा दिए केवल वही निकाह बाक़ी रखा जो अब भी प्रचलित है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

निकाह शिग़ार

मसला 19. अपनी बहन या बेटी इस शर्त पर किसी के निकाह में देना कि उसके बदले में वह भी अपनी बेटी या बहन उसके निकाह में देगा या किसी की बेटी को इस शर्त पर अपनी बहु बनाना कि वह भी उसकी बेटी को अपनी बहु बनाएगा निकाह शिग़ार कहलाता है। ऐसा निकाह करना मना है।

अनिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० फ़ न ह यि अनिश्शिग़ारि०

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने निकाह शिग़ार से मना किया है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

निकाह हलाला

मसला 20. असग़र अपनी पत्नी असग़री को तीन तलाक़ें देने के बाद दोबारा उस (अर्थात असग़री) से निकाह करने के लिए अकबर से इस शर्त पर निकाह करा दे कि अकबर एक या दो दिन बाद उसे (अर्थात असग़री) को तलाक़ दे देगा और

Www.IslamicBooks.Website

असग़र दोबारा अपनी और अकबर की तलाक़शुदा (असग़री) से शादी करेगा। इस निकाह को निकाह हलाला कहते हैं यह निकाह पूरी तरह हराम है।

मसला 21. हलाला निकलवाने वाला (असग़र) और हलाला निकालने वाला (अकबर) दोनों फटकारे हुए हैं।

अन अब्दिल्लाहिब्नि मसऊदिन रज़ियल्लाहु अन्हु ल अ न रसूलुल्लाहि सल्ल० अल मुहल्लि ल वल मुहल्लि ल लहू०

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है।

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

निकाह मुतअ

मसला 22. तलाक़ देने की नीयत से थोड़े समय (चाहे कुछ घंटे हों, कुछ दिन हों या कुछ हफ़्ते हों या कुछ महीने हों) के लिए किसी औरत से मेहर तै करके निकाह करना "निकाह मुतअ" कहलाता है जो कि हराम है।

अनिर्रबीअिब्नि सबरतल जुहनिय्या रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अबाहु हद्द सहु अन्नहू काना म अ रसूलुल्लाहि सल्ल० फ़ क़ाला : या अय्युहन्नासु इन्नी क़द कुन्तु अज़िनत लकुम फ़िल इस्तिमताअि मिनन्निसाई व इन्नल्लाह क़द हर्र म ज़ालि क इला यवमिल क़ियामति फ़ मन काना अिन्दहू मिन्हुन्न शैउन फ़ल युख़ल्लि सबी ल हा वला ताख़ुज़ु मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शैआ०

हज़रत रबीअ बिन सबरह जुहनी रज़ि० से रिवायत है कि उनके बाप ने उनके बयान में कहा कि वे रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ थे। आपने इर्शाद फ़रमाया– "ऐ लोगो! मैंने तुम्हें औरतों से मुतअ करने की इजाज़त दी थी लेकिन अब अल्लाह ने क़ियामत के दिन तक उसे हराम कर दिया है अतः इस प्रकार की कोई औरत किसी के पास हो तो वह उसे छोड़ दे और जो कुछ तुमने उन्हें दिया है वह उनसे वापस न लो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– याद रहे फ़तह मक्का से पहले तक निकाह मुतअ जायज़ था जिसे फ़तह मक्का के अवसर पर रसूले अकरम सल्ल० ने हराम ठहरा दिया। कुछ सहाबा किराम रज़ि० जिन्हें रसूलुल्लाह सल्ल० के इस हुक्म का पता न लग सका वे इसे जायज़ समझते थे लेकिन हज़रत उमर रज़ि० ने अपने कार्यकाल में जब सख़्ती से इस क़ानून पर अमल कराया तो सारे सहाबा रज़ि० को इसके हराम होने का पता लग गया और इसके बाद किसी ने इसे जायज़ नहीं समझा।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह क़ुरआन की रोशनी में

मसला 23. पाक दामन औरतों का निकाह पाक दामन मर्दों से और बदकार औरतों का निकाह बदकार मर्दों से करने का हुक्म है।

अलख़बीसातु लिल ख़बीसीन वल ख़बीसू न लिल ख़बीसाति वत्तय्यिबातु तित्तय्यिबी न वत्तय्यिूब न लित्तय्यिबाति०

"बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए हैं और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए हैं पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं।" (सूरह नूर-26)

मसला 24. तीन तलाक़ वाली तलाक़ शुदा औरत इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर ले और दूसरा पति संभोग के बाद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे दे तो तलाक़ शुदा औरत इद्दत गुज़ारने के बाद पहले पति से दोबारा निकाह करना चाहे तो कर सकती है।

व्याख्या– आयत मसला 66 के तहत देखिए।

मसला 25. औरतों की विरासत ज़बरदस्ती हासिल करना मना है।

मसला 26. पति की मौत के बाद विधवा को किसी दूसरे मर्द से निकाह करने से रोकना मना है।

मसला 27. औरत की नापसन्दीदा शक्ल व सूरत या बातचीत या आदतें आदि को देखकर तुरन्त अलग रहने का फ़ैसला करने की बजाए जहां तक हो सके धैर्य और दरगुज़र से काम लेकर दाम्पत्य संबंध निभाने की कोशिश करनी चाहिए।

या अय्युहल्लज़ी न आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसा इ कर हा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़िन मा आतयतुमूहुन्ना इल्ला अंययाती न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन व आशिरूहुन्ना बिलमाअ रूफ़ि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़ असा अन तकरहू शैअवंवयज अलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा०

"ऐ लोगो! जो ईमान वाले हो! तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती (विधवा) औरतों के वारिस बन बैठो (और उन्हें दूसरा निकाह न करने दो) न ही यह जायज़ है कि इन्हें तंग करके उस मेहर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो हां यदि वे किसी खुली बदचलनी को करने वाली

Www.IslamicBooks.Website

हों (तो बदचलनी की सज़ा दे सकते हो) इनके साथ भले तरीक़े से जीवन बसर करो। यदि वे तुम्हें नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो मगर अल्लाह इसमें भलाई रख दे।" (सूरह निसा-19)

मसला 28. परिवार की व्यवस्था में मर्द मुखिया और औरत मातहत, मर्द शासक और औरत महकूम, मर्द मुताअ और औरत मुतीअ का दर्जा रखते हैं।

मसला 29. मर्द घर का मुखिया होने की हैसियत से अपने घर वालों की तमाम ज़िन्दगी की ज़रूरतों को उपलब्ध करने का ज़िम्मेदार है।

मसला 30. पति का आज्ञापालन और वफ़ादारी, भली औरतों की विशेषताएं हैं।

मसला 31. मर्दों की ग़ैर मौजूदगी में उनके अधिकारों की सुरक्षा करना मिसाली पत्नियों की विशेषता है।

मसला 32. उद्दंडी औरतों को सीधी राह पर लाने के लिए पहला क़दम उनको समझाना बुझाना है। दूसरा क़दम ख़्वाबगाहों के अन्दर उनके बिस्तर अलग कर देना है यदि फिर भी पति की बात न मानें तो अन्तिम क़दम के रूप में हल्की मार मारने की अनुमति है।

मसला 33. औरत पति की आज्ञापालक बन जाए तो फिर किसी प्रकार भी ज़्यादती करना मना है।

अर्रिजालु क़व्वामू न अलन्निसा इ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाअज़ुहुम अला बाअज़िन व बिमा अन्फ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सलिहातुन क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाहु० वल्लाती तख़ाफ़ू न नुशूज़हुन्ना फ़अिज़ूहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिअि वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला० इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा०

"मर्द औरतों पर सरबराह हैं इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर प्रमुखता दी है और इस आधार पर कि मर्द अपना माल ख़र्च करते हैं अतः जो नेक औरतें हैं वे आज्ञापालक होती हैं और मर्दों की ग़ैर मौजूदगी में उनके (मर्दों के) अधिकारों की रक्षा करती हैं और जिन औरतों से तुम्हें उद्दंडता का डर हो उन्हें समझाओ, ख़्वाबगाहों में उनके बिस्तर अलग कर दो और मारो। यदि वे आज्ञापालक हो जाएं तो बिना वजह उन पर हाथ उठाने के लिए बहाने तलाश न करो। विश्वास करो कि अल्लाह बड़ा और श्रेष्ठ है।" (सूरह निसा-34)

मसला 34. हार्दिक प्यार और चाहत की दृष्टि से सारी पत्नियों के बीच

Www.IslamicBooks.Website

न्याय स्थापित करना मर्द के बस की बात नहीं अलबत्ता भरण पोषण और अन्य अधिकारों के मामले में सारी पत्नियों के बीच न्याय स्थापित करना आवश्यक है।

व लन तसततीअु अन तअदिलू बयनन्निसा इ व लव हरसतुम फ़ला तमीलु कुल्लल मयलि फ़ त ज़रूहा कलमुअल्ल-क़-त व इन तुसलिहु व तत्तक़ू फ़इन्नल्ला ह काना ग़फ़ूररहीमा०

"पत्नियों के बीच पूरा पूरा न्याय करना (मुहब्बत की दृष्टि से) तुम्हारे बस में नहीं है तुम चाहो भी तो उस पर समर्थ नहीं हो सकते अतः अल्लाह के क़ानून का तक़ाज़ा पूरा करने के लिए यह काफ़ी है कि एक पत्नी की तरफ़ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को बीच में लटकता छोड़ दो (कि वह न पति वाली हो न तलाक़ शुदा) यदि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह दरगुज़र करने वाला और दया करने वाला है।" (सूरह निसा-129)

व्याख्या– अल्लाह से डरते हुए अपनी पत्नियों के बीच न्याय स्थापित करने की पूरी पूरी कोंशिश के बावजूद ग़ैर इरादी तौर पर या इन्सानी तक़ाज़ों के कारण कमी व ज़्यादती को अल्लाह माफ़ कर देगा। इन्शाअल्लाह

मसला 35. पति की मौत के बाद औरत (चाहे उससे सोहबत की हो या न की हो) चार माह दस दिन तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती न श्रंगार कर सकती है न घर से बाहर रात गुज़ार सकती है। शरअी परिभाषा में इसे "इद्दत सोग" कहते हैं।

वल्लज़ी न युतवफ़्फ़ू न मिन्कुम व य ज़ रूना अज़वाजंय य त रब्बस न बि अन्फ़ुसिहिन्न अर ब अ त अशहुरिन व अशरा० फ़ इज़ा बलग न अ ज ल हुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़ अल न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्ना बिल माअरूफ़ि० वल्लाहु बिमा ताअमलू न ख़बीर०

"और तुममें जो लोग मर जाएं उनके पीछे उनकी पत्नियां ज़िन्दा हों तो वे अपने आपको चार महीने दस दिन रोके रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो अपनी ज़ात के मामले में भले तरीक़े से जो करें तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं। अल्लाह तुम सबके कर्मों से बाख़बर है।" (सूरह बक़रा-234)

व्याख्या– निकाह के बाद पति ने पत्नी से सोहबत की हो या न की हो दोनों सूरतों में मरने के बाद इद्दत चार महीने दस दिन है, गर्भवती की इद्दत बच्चा होने तक है। याद रहे जिस औरत से पति ने सोहबत की हो उसे मदख़ूला और जिससे अभी सोहबत न की हो उसे ग़ैर मदख़ूला कहते हैं।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 36. मोमिन औरतों के निकाह मुश्रिक मर्दों के साथ और मोमिन मर्दों के निकाह मुश्रिक औरतों के साथ करने मना हैं।

मसला 37. मोमिन लौंडी, आज़ाद मुश्रिक औरत से बेहतर है।

मसला 38. मोमिन ग़ुलाम, आज़ाद मुश्रिक मर्द से बेहतर है।

"तुम मुश्रिक औरतों से कदापि निकाह न करो जब तक वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन लौंडी मुश्रिक औरत से बेहतर है यद्यपि वह तुम्हें बहुत पसन्द हो और अपनी औरतों के निकाह मुश्रिक मर्दों से कभी न करना जब तक वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन ग़ुलाम मुश्रिक मर्द से बेहतर है यद्यपि वह तुम्हें बहुत पसन्द हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की ओर बुलाता है। अल्लाह अपने एहकाम खोल खोल कर स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बयान करता है आशा है कि वे सबक़ हासिल करेंगे और नसीहत क़ुबूल करेंगे। (सूरह बक़रा-221)

मसला 39. दूसरे की पत्नी से निकाह करना हराम है?

मसला 40. जंग में हासिल होने वाली काफ़िरों की पत्नियां उनके मालिक मुसलमानों के लिए निकाह के बिना हलाल व जायज़ हैं।

मसला 41. निकाह का उद्देश्य ज़िना, बदकारी और अश्लीलता को ख़त्म करके पाक साफ़ और सुथरी ज़िन्दगी बसर करना है।

वल मोहसनातु मिनन्निसाई इल्ला मा म ल कत अयमानुकुम किताबिल्लाहि अलयकुम व उहिल्ला लकुम मा व राऊ ज़ालिकुम अन तबतग़ू बि अमलिकुम मोहसिनी न ग़ै र मुसाफ़िहीन०

"और वे औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों अलबत्ता ऐसी लौंडियां इस हुक्म से अलग हैं जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं यह अल्लाह का क़ानून है जिसकी पाबन्दी करना तुम पर अनिवार्य है। उपरोक्त औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं उन्हें अपने माल (अर्थात मेहर) के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है बशर्ते कि हिसारे निकाह में उनको महफ़ूज़ करो न यह कि आज़ाद व्यभिचार करने लगो।" (सूरह निसा-24)

व्याख्या– उपरोक्त आयत में अल्लाह ने लौंडियों से बिना निकाह के निकाह वाली पत्नियों की तरह घर में रखने की इजाज़त दी है लौंडियों के बारे में शरीअत के अन्य आदेश इस प्रकार हैं–

1. जंग के समापन पर क़ैदी औरतों को केवल हुकूमत ही फ़ौजियों में बांट

Www.IslamicBooks.Website

सकती है इससे पहले यदि कोई फ़ौजी स्वयं किसी क़ैदी औरत से संभोग करेगा तो वह 'ज़िना' मानी जाएगी।

2. गर्भवती क़ैदी औरत से बच्चा होने से पहले संभोग करना उसके मालिक के लिए भी मना है।

3. क़ैदी औरत चाहे किसी भी धर्म से (इस्लाम के अलावा) हो उससे संभोग करना उसके स्वामी के लिए जायज़ होगा।

4. लौंडी के मालिक के अलावा दूसरा कोई आदमी उसे हाथ नहीं लगा सकता।

5. लौंडी के मालिक से पैदा होने वाली संतान के अधिकार वही होंगे जो निकाह वाली पत्नी से होने वाली संतान के होते हैं। सन्तान पैदा होने के बाद लौंडी को बेचा नहीं जा सकता और मालिक के मरते ही लौंडी आप से आप आज़ाद समझी जाएगी।

6. लौंडी का मालिक अपनी लौंडी को किसी दूसरे के निकाह में दे दे तो मालिक का जिन्सी संबंध उससे ख़त्म हो जाएगा।

7. किसी औरत को हुकूमत किसी मर्द की मिल्कियत में दे दे तो फिर हुकूमत इस औरत को वापस लेने का हक़ नहीं रखती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वली (संरक्षक) औरत का निकाह करने के बाद वापस लेने का हक़दार नहीं रहता।

8. हुकूमत की ओर से किसी व्यक्ति को मिल्कियत के अधिकार प्रदान करना वैसा ही जायज़ व क़ानूनी अमल है जैसा कि निकाह के क़ुबूल कर लेने के बाद मर्द औरत का एक दूसरे के लिए हलाल हो जाना जायज़ और क़ानूनी अमल है। दोनों क़ानून एक ही शरीअत और एक ही शारेअ (अल्लाह) के प्रदान किए हुए हैं।

9. जंगी हालात के न होने के आधार पर लौंडियों की एक साथ मिल्कियत की संख्या का निर्धारण भी नहीं किया गया।

10. लौंडियों का क़ानून और हुक्म रद्द नहीं हुआ बल्कि हालात और ज़रूरत को देखते हुए क़ियामत तक के लिए बाक़ी लागू किए जाने चोग्य है। (तफ़्हीमुल क़ुरआन भाग-1, 340-341)

मसला 42. किताब वालों की पाक दामन औरतों से निकाह जायज़ है।

वल मोहसनातु मिनल मोमिनाति वल मोहसनातु मिनल्लज़ी न ऊतुल किता

Www.IslamicBooks.Website

ब मिन क़बलिकुम इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मोहसिनी न ग़ै र मुसाफ़िही न वला मुत्तख़िज़ी अख़दान० व मंय यकफ़ुर बिल ईमानि फ़ क़द हबि त अ म लु हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन०

"और वे पाकदामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जो ईमान वालों के गिरोह से हैं या उन क़ौमों में से हैं जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गयी बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके उनके रक्षक बनो न यह कि आज़ाद तरीक़े से वासना में लगे रहो या चोरी छुपे दिल लगाया करो और जिस किसी ने ईमान की राह पर चलने से इन्कार किया उसके सारे (भले) कर्म नष्ट हो जाएंगे और वह आख़िरत में दीवालिया होगा।" (सूरह माइदा-5)

व्याख्या— 1. किताब वालों की औरतों से निकाह करने की इजाज़त है लेकिन उन्हें अपनी औरतें निकाह में देने की इजाज़त नहीं।

2. किताब वालों की औरतें मुश्रिक हों तो उनसे निकाह करना मना है।

मसला 43. जिस बच्चे ने दो साल की उम्र तक या उससे पहले किसी औरत का दूध पिया हो उसकी हुरमत रज़ाअत साबित होगी। दो साल के बाद किसी औरत का दूध पीने से हुरमत रज़ाअत साबित नहीं होती।

व वस्सयनल इन्सा न बिवालिदयहि हमलतहु उम्मुहू वह नन अला वहनिन व फ़िसालुहू फ़ी आमयनि अनिश्कुर ली व लिवालिदय क इलय्यल मसीर०

"और हमने इन्सान को अपने मां-बाप का हक़ पहचानने की स्वयं ताकीद की है। उसकी मां ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर उसे अपने पेट में रखा और दो साल उसका दूध छूटने में लगे।" (सूरह लुक़मान-14)

व्याख्या— दूध पीने में पांच घूंट की शर्त है उससे कम हो तो रज़ाअत साबित नहीं होती।

मसला 44. मुंह बोले रिश्ते से हुरमते निकाह साबित नहीं होती।

फ़लम्मा क़ज़ा ज़यदुम्मिन्हा वत रन ज़व्वज ना क ह लिकय ल यकूनु अलल मोमिनी न ह र जुन फ़ी अज़वाजि अदअियाइहिम इज़ा क़ज़व मिन्हुन्ना वत रन व काना अमरुल्लाहि मफ़ऊला०

"कि जब ज़ैद उससे (अर्थात ज़ैनब से) अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस (तलाक़ शुदा औरत) का निकाह तुमसे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटे की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे जबकि वे उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होना ही था।"

(सूरह अहज़ाब-37)

Www.IslamicBooks.Website

मसला 45. रमज़ान की रातों में अपनी पत्नियों से सोहबत करना जायज़ है।

मसला 46. पति पत्नी एक दूसरे के राज़दार हैं।

उहिल्ला लकुम लैयलतस्सियामिर्र फ़ सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल्लकुम व अन्तुम लिबासुन लहुन्न०

"तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी पत्नियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो।"

(सूरह बक़रा-187)

मसला 47. निकाह की गिरह मर्द के हाथ में है औरत के हाथ में नहीं।

व्याख्या– आयत मसला 82 के अन्तर्गत देखिए।

मसला 48. निकाह इन्सान की सुख शान्ति का कारण है।

मसला 49. निकाह के बाद अल्लाह दोनों में मुहब्बत और रहमत की भावना पैदा कर देता है।

व मिन आयातिहि अन ख़ ल क़ लकुम मिन अन्फ़ुसिकुम अज़वाजन लितस कुनू इलै हा व ज अ ल बयनकुम मवद्-त व रह म त इन्ना फ़ी ज़ालि का ल आयातिल्लि क़वमियं य त फ़क्करून०

"और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से पत्नियां बनायीं ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे बीच मुहब्बत व लगाव पैदा कर दिया। निश्चय ही इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं।" (सूरह रूम-21)

मसला 50. पाकदामन मर्द या औरत का निकाह ज़ानी औरत या ज़ानी मर्द से करना हराम है।

अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन अव मुश्रिक तवं वज़्ज़ानियतु ला यन्किहा इल्ला ज़ानिन अव मुश्रि कु व हु रिं म ज़ालि क अलल मोमिनीन०

"ज़ानी निकाह नहीं करता मगर ज़ानिया के साथ या मुश्रिका के साथ और ज़ानिया के साथ निकाह नहीं करता मगर ज़ानी या मुश्रिक और यह हराम कर दिया गया है ईमान वालों पर।" (सूरह नूर-3)

मसला 51. मासिक धर्म आने से पहले कम उम्र में निकाह करना जायज़ है।

वल्लाई यइस न मिनल महीज़ि मिन्निसाइकुम इनिर तबतुम फ़अिद्द तु हुन्ना

Www.IslamicBooks.Website

सलास तु अशहुरिवं वल्लाई लम यहिज़ न व ऊलातुल अहमालि अ ज ल हुन्ना अयं यज़अ न हमलहुन्ना व मंययत्तक़िल्ला ह यजअल्लहू मिन अमरिहि युसरा०

"और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हों उनके मामले में यदि तुम्हें कोई सन्देह है तो (मालूम होना चाहिए) उनकी इद्दत तीन महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी मासिक धर्म न आया हो और गर्भवती औरतों की इद्दत यह है कि उनका प्रसव हो जाए जो व्यक्ति अल्लाह से डरे उसके मामले में वह आसानी पैदा कर देता है।" (सूरह तलाक़-4)

Www.IslamicBooks.Website

निकाह के मसाइल

मसला 52. मर्द व औरत की स्वीकृति एवं ग्रहण का रुक्न है इसके बिना निकाह नहीं होता।

हज़रत सहल बिन सअद रज़ि० से रिवायत है कि एक औरत नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और कहा कि मैं अपनी जान आपको दान करती हूं (आप सल्ल० ने उसकी यह भेंट स्वीकार न की और चुप रहे) वह औरत देर तक (जवाब की प्रतिक्षा में) खड़ी रही (इतने में) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि इसका निकाह मुझसे करा दीजिए। यदि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने उससे पूछा– "तेरा पास कुछ है?" उसने कहा– "मेरे पास तो कुछ नहीं" आप सल्ल० ने फ़रमाया– "कोई चीज़ तलाश करके लाओ चाहे लोहे की एक अंगूठी ही हो।" वह आदमी गया और उसे कोई चीज़ न मिली। नबी सल्ल० ने उससे पूछा– "क्या तुझे क़ुरआन आता है?" उसने कहा– "हां ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लां सूरह आती है।" उसने उन सूरतों के नाम लिए। नबी सल्ल० ने फ़रमाया– "मैंने क़ुरआन मजीद की इन सूरतों के बदले में इस औरत का निकाह तेरे साथ कर दिया।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

क़ाला अब्दुर्रहमानिब्नु अवफ़िन रज़ियल्लाहु अन्हु लि उम्मे हकीमिन बिन्त कारिज़िन अतज अली न अम र कि इलय्या? क़ालत : नअम! फ़ क़ाला क़द तज़व्वजतुकि०

"हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० ने उम्मे हकीम बिन्ते क़ारिज़ से पूछा– "क्या तू मुझे अपने निकाह के बारे में अख़्तियार देती है?" उम्मे हकीम ने कहा– "हां!" हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा– "मैंने तुझे क़ुबूल किया (और निकाह हो गया।)

क़ाला अता लियशहिदु क़द न कहतुकि

"हज़रत अता रहिम० कहते हैं कि मर्द को गवाहों के सामने यूं कहना चाहिए "मैंने तुझसे निकाह किया।" बुख़ारी ने इसका उल्लेख किया है।

मसला 53. दीनदारी में कफ़ू का लिहाज़ (ध्यान) रखना वाजिब है।

मसला 54. हसब व नसब शक्ल व सूरत और माल व दौलत में कफ़ू का लिहाज़ रखना मना नहीं है।

Www.IslamicBooks.Website

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यो क़ाला तनकहल मरअतु लि अरबअिन लिमा लिहा व लिह स बिहा व लिजमा लिहा, व लीदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ाति द दैनि तरिबत यदा क०

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया– "औरत से चार चीज़ों के कारण निकाह किया जाता है– उसके माल व दौलत के कारण या उसके हसब व नसब के कारण या उसकी सुन्दरता के कारण या उसकी दीनदारी के कारण से (ऐ इन्सान) तेरे हाथ धूल मिट्टी में लिप्त हों दीनदार औरत से निकाह करने में कामयाबी हासिल कर।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 55. निकाह के लिए कम से कम दो परहेज़गार और न्याय करने वाले गवाहों की गवाही ज़रूरी है।

"हज़रत हमरान बिन हुसैन रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि वली, हक़े मेहर और दो न्याय प्रिय गवाहों के बिना निकाह नहीं होता।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि गवाहों के बिना निकाह नहीं होता।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 56. निकाह के बाद किसी जायज़ तरीक़े से निकाह की घोषणा करनी चाहिए।

"हज़रत मुहम्मद बिन हातिब रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "हलाल और हराम निकाह के बीच फ़र्क़ करने वाली चीज़ दफ़ बजाना और निकाह की घोषणा करना है।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 57. सुहाग रात में पत्नी को हदिया देना मुसतहब है।

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि जब हज़रत अली रज़ि० ने हज़रत फ़ातिमा रज़ि० से निकाह किया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें कहा– "अली! फ़ातिमा को कोई चीज़ हदिया दो।" हज़रत अली रज़ि० ने कहा– "मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "वह तुम्हारी हतमी ज़िरह कहा है? (अर्थात वही दे दो)" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 58. निकाह से पूर्व तै की गयी जायज़ शर्त पर निकाह के बाद अमल करना ज़रूरी है।

"हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया–

Www.IslamicBooks.Website

"जिन शर्तों पर तुमने शर्मगाहों को हलाल बनाया है उन्हें पूरा करना अन्य शर्तों के मुक़ाबले अधिक ज़रूरी है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 59. ग़ैर शरअी और नाजायज़ शर्तों को तै करना मना है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला : ला यहिल्लु लिल इमराति तसअलु तलाक़ा उख़्तीहा लितस तफ़रिग़ा सह फ़ त ह फ़ इन्न म लहा मा क़दद र लहा०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वह (अपने निकाह के लिए) अपनी बहन की तलाक़ की मांग करे और उसका बर्तन ख़ाली कर दे। उसके भाग्य में जो कुछ है वह उसे मिल जाएगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 60. अपने सामर्थ्य से बाहर पूरी न करने की नीयत से शर्तों को मानना या कराना गुनाह है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जिसने धोखा दिया वह हम से नहीं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 61. बेटी को घर बनाने के लिए सामान उपलब्ध करना (दहेज़ देना) सुन्नत से साबित नहीं।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह में संरक्षक की मौजूदगी

मसला 62. निकाह में वली की मौजूदगी आवश्यक है।

हज़रत अबू मूसा रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि– "संरक्षक के बिना निकाह नहीं होगा।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 63. यदि निकट का संरक्षक लड़की का वास्तव में हितैषी न हो तो उसका वलायत का हक़ आप से आप ख़त्म हो जाता है और उसके बाद निकट का रिश्तेदार संरक्षक बनने का हक़दार ठहरता है।

मसला 64. निकट का संरक्षक न होने पर दूर का संरक्षक या सुलतान (न्यायाधीश या शासक) संरक्षक होगा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "हितैषी संरक्षक या शासक की अनुमति के बिना निकाह नहीं होता।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– याद रहे ग़ैर मुस्लिम जज या ग़ैर मुस्लिम देश की अदालत औरत का संरक्षक नहीं बन सकती।

संरक्षक के अधिकार

मसला 65. औरत अपना निकाह स्वयं नहीं कर सकती।

मसला 66. निकाह के लिए संरक्षक की अनुमति और मर्ज़ी होना ज़रूरी है।

व इज़ा तल्लक़तुमुन्निसा अ फ़ ब लग़ न अ ज ल हुन्न फ़ला ताअ जुलू हुन्ना अंययनकिह न अज़वाज हुन्ना इज़ा तराज़व बयनहुम बिलमअरूफ़ि० ज़ालिका यू अज़ु बिहि मन काना मिन्कुम यूमिनु बिल्लाहि वल यवमिल आख़िरि ज़ालिकुम अज़ का लकुम व अतहरु० वल्लाहु याअलमु व अन्तुम ला ताअलमून०

"जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे चुको और वे अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर उन्हें अपने (पिछले) पतियों से निकाह करने से न रोको जब वे भले तरीक़े से आपस में निकाह करने पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत कदापि न करना यदि तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। तुम्हारे लिए भला और पाकीज़ा तरीक़ा यही है कि इससे बाज़ रहो। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।" (सूरह बक़रा- 232)

Www.IslamicBooks.Website

व्याख्या– इस आयत में निकाह के लिए औरत को सम्बोध नहीं किया गया बल्कि संरक्षक को किया गया है जिसका मतलब यह है कि औरत (कुंवारी हो या तलाक़शुदा या विधवा) स्वयं अपना निकाह नहीं कर सकती।

मसला 67. वली की अनुमति व इच्छा के बिना किया गया निकाह पूरी तरह ग़लत है।

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जिस औरत ने अपने संरक्षक की अनुमति के बिना निकाह किया वह ग़लत है। वह निकाह ग़लत है वह निकाह ग़लत है (फिर नाजायज़ निकाह के बाद) यदि मर्द ने संभोग किया तो उस पर मेहर अदा करना फ़र्ज़ है जिसके बदले उसने औरत की शर्मगाह अपने लिए हलाल करना चाही। यदि संरक्षक आपस में मतभेद करें तो याद रखो जिसका कोई संरक्षक न हो उसका संरक्षक शासक है।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– 1. औरत का बाप उसका संरक्षक है बाप न हो तो भाई या चचा दादा या नाना संरक्षक बन सकते हैं। याद रहे निकट रिश्तेदार की सूरत में दूर का रिश्तेदार संरक्षक नहीं बन सकता।

2. संरक्षकों में मतभेद की सूरत यह है कि वलायत का पहला हक़ रखने वाला (चाहे बाप हो या भाई हो या चचा हो) अधर्मी हो, ज़ालिम हो और वह ज़बरदस्ती किसी अधर्मी या अवज्ञाकारी से निकाह करना चाहता हो जबकि वलायत का दूसरा या तीसरा हक़ रखने वाले ऐसा न करने दें। ऐसी सूरत में ज़ालिम या अधर्मी संरक्षक का हक़ आप से आप ख़त्म हो जाता है और गांव की पंचायत या शहर का दीनदार हाकिम या शहर की अदालत अपना वलायत का हक़ इस्तेमाल कर सकती है।

मसला 68. कुंवारी और विधवा दोनों के निकाह के लिए संरक्षक की अनुमति व इच्छा आवश्यक है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "विधवा औरत अपने निकाह (के मामलों जैसे मेहर दहेज़, वलीमा आदि) में (फ़ैसला करने का) अपने संरक्षक से अधिक हक़ रखती है जबकि कुंवारी औरत से (उसके संरक्षक द्वारा) अनुमति ली जाए और कुंवारी की अनुमति उसका ख़ामोश रहना है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

व्याख्या–विधवा का बेटा उसका संरक्षक बन सकता है।

मसला 69. औरत किसी दूसरी औरत की संरक्षक नहीं बन सकती।

मसला 70. संरक्षक के बिना औरत आप ही अपना निकाह नहीं कर सकती।

मसला 71. संरक्षक के बिना निकाह करने वाली औरत ज़ानिया है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "कोई औरत किसी दूसरी औस्त का निकाह न कराए न कोई औरत अपना निकाह (संरक्षक के बिना) स्वयं करे। जो औरत अपना निकाह स्वयं करे वह ज़ानिया है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

संरक्षक के कर्तव्य

मसला 72. संरक्षक को औरत की इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए।

व्याख्या– आयत मसला 66 के अन्तर्गत देखें।

मसला 73. कुंवारी या विधवा के संरक्षक को उनकी अनुमति और इच्छा के बिना निकाह नहीं करना चाहिए।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि– "विधवा का पूछे बिना निकाह न किया जाए और कुंवारी औरत से अनुमति लिए बिना उसका निकाह न किया जाए।" सहाबा किराम रज़ि० ने पूछा– ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! कुंवारी औरत की अनुमति क्या है? आपने इर्शाद फ़रमाया कि यदि वह ख़ामोश रहे (और इन्कार न करे) तो यही उसकी इजाज़त है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 74. वली को औरत की मर्ज़ी के विरुद्ध निकाह करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "कुंवारी औरत अपने निकाह के लिए पूछी जाएगी यदि (जवाब में) ख़ामोश रही तो यही उसकी इजाज़त है यदि इन्कार कर दे तो उस पर ज़बरदस्ती न की जाए।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

व्याख्या– लड़का या लड़की यदि ना समझी के कारण कोई ग़लत फ़ैसला

Www.IslamicBooks.Website

कर रहे हों तो संरक्षक उनको ग़लत फ़ैसले के बुरे नतीजों से अवगत करके फ़ैसला बदलने पर तैयार कर सकता है लेकिन ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकता।

मसला 75. औरत की मर्ज़ी के विपरीत उसका संरक्षक ज़बरदस्ती निकाह करा दे तो औरत शरअी अदालत से अपना निकाह रद्द कराने का हक़ रखती है।

हज़रत खन्सा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बिन्त हज़ाम अन्सारिया से रिवायत है कि वे विधवा थी और उनके बाप ने उनका निकाह कर दिया जबकि वह उसे नापसन्द करती थीं। अतएव वे नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई (और उसका ज़िक्र किया) रसूले अकरम सल्ल० ने बाप का (पढ़ाया हुआ) निकाह तोड़ दिया।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि एक कुंवारी लड़की नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और कहा कि उसके बाप ने उसका निकाह कर दिया है यद्यपि वह उसे नापसन्द करती है। नबी सल्ल० ने उसे हक़ दे दिया (अर्थात चाहे तो निकाह बाक़ी रखो चाहे तो ख़त्म कर दे)।

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 76. मर्द और औरत रजअी तलाक़ के बाद इद्दत गुज़रने पर दोबारा निकाह करना चाहते हों तो संरक्षक को रोकना नहीं चाहिए।

हज़रत माअक़ल बिन यसार रज़ि० कहते हैं "मेरी एक बहन थी जिसके लिए निकाह का पैग़ाम आया, फिर मेरा चचेरा भाई आया तो मैंने अपनी बहन का निकाह उससे कर दिया (कुछ देर बाद) उसने मेरी बहन को (रजअी) तलाक़ दे दी और छोड़ दिया यहां तक कि उसकी इद्दत गुज़र गयी।

जब मेरी बहन के लिए (किसी दूसरी जगह से) पैग़ाम आया तो चचेरा भाई भी निकाह का पैग़ाम लेकर आ गया तो मैंने कहा– "ख़ुदा की क़सम अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ उसका निकाह नहीं करूंगा।" तब मेरे मामले में यह आयत उतरी– "जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे चुको और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर तुम उन्हें अपने पतियों से निकाह करने से न रोको जब वे भले तरीक़े से आपस में रज़ामन्द हों।" (सूरह बक़रा-232) हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ि० कहते हैं (आयत उतरने के बाद) मैंने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा किया और अपनी बहन का निकाह (अपने) चचेरे भाई से (दोबारा) कर दिया।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मेहर के मसाइल

मसला 77. पत्नी को मेहर अदा करना फ़र्ज़ है।

फ़मसतम तअतुम बिहि मिनहुन्ना फ़अतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़त०

"फिर जो दाम्पत्य जीवन का आनन्द तुम उनसे उठाओ उसके बदले में उनके मेहर फ़र्ज़ के रूप में अदा करो।" (सूरह निसा-24)

मसला 78. औरत अपनी ख़ुशी से सारा मेहर या मेहर का कुछ हिस्सा माफ़ करना चाहे तो कर सकती है।

आतुन्निसा अ सदुक़ातिहिन्ना नेह ल त फ़ इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़सन फ़ कुलूहु हनीअम मरीअन०

"और औरत के मेहर ख़ुशी ख़ुशी (फ़र्ज़ जानते हुए) अदा करो अलबत्ता यदि वे स्वयं अपनी ख़ुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो उसे मज़े से खा सकते हो।" (सूरह निसा-4)

मसला 79. दोनों की आपसी रज़ामन्दी से औरत का मेहर निकाह के समय अदा करना (मेहर मुअज्जल) या देरी करना (मेहर मोजल) दोनों तरह जायज़ है।

मसला 80. निकाह से पहले दोनों मेहर तै न कर सकें तो निकाह के बाद भी तै किया जा सकता है।

मसला 81. निकाह के बाद यदि संभोग करने से पहले जबकि मेहर भी अभी अदा न हुआ हो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ दे तो उस पर मेहर अदा करना वाजिब नहीं अलबत्ता अपनी हैसियत के अनुसार औरत को कुछ न कुछ हदिया देना चाहिए।

मसला 82. निकाह के बाद यदि संभोग करने से पहले जबकि मेहर तै हो चुका हो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे तो उस पर आधा मेहर अदा करना वाजिब है।

"तुम पर कोई गुनाह नहीं यदि तुम अपनी औरतों को हाथ लगाने से पहले या मेहर मुक़र्रर करने से पहले तलाक़ दे दो। इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूर चाहिए। सम्पन्न व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार और ग़रीब आदमी अपनी हैसियत के अनुसार दे। यह हक़ है भले लोगों पर और यदि तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक़ दी हो लेकिन मेहर मुक़र्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत

Www.IslamicBooks.Website

में आधा मेहर देना होगा। यह और बात है कि औरत दरगुज़र से काम ले (और पूरा मेहर दे दे) और तुम (अर्थात मर्द) दरगुज़र से काम लो तो यह तक़वा से अधिक संबंध रखता है। आपस के मामलों में दानवीरता को न भूलो। अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है।" (सूरह बक़रा-236-237)

मसला 83. मेहर की मात्रा मुक़र्रर नहीं।

अन सहलिब्नि सअदिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन्नबिय्यि क़ाला : लि रजुलिन तज़व्वजु व लव बिख़ातिमिन मिन हदीदिन०

हज़रत सहल बिन सअद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने एक आदमी से फ़रमाया– "निकाह कर चाहे लोहे की अंगूठी ही देकर।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

"हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० से पूछा– नबी सल्ल० (की पाक पत्नियों) का मेहर क्या था? हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया कि बारह औक़िया और एक नश। फिर हज़रत आइशा रज़ि० ने पूछा "जानते हो नश कितना होता है? अबू सलमा ने कहा– "नहीं" हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया– "आधा औक़िया और यह सारा (अर्थात साढ़े बारह औक़िया) पांच सौ, दिरहम बनता है। यह नबी अकरम सल्ल० की पाक पत्नियों का मेहर था।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है

व्याख्या– साढ़े बारह औक़िया चांदी या पांच सौ दिरहम मौजूदा हिसाब से लगभग साढ़े दस हज़ार रुपए बनता है।

"हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि० उबैदुल्लाह बिन्त हजश के निकाह में थी उबैदुल्लाह (हिजरत मदीना के बाद) हब्शा में इन्तिक़ाल कर गए। नज्जाशी ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि० का नबी अकरम सल्ल० से निकाह कर दिया और नबी अकरम की ओर से चार हज़ार (दिरहम) मेहर मुक़र्रर किया और उम्मे हबीबा को शरजील बिन हसना के साथ रसूले अकरम सल्ल० की सेवा में भेज दिया।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 84. कम मेहर मुक़र्रर करना सबसे अच्छा है।

मसला 85. नबी अकरम सल्ल० की पत्नियों और बेटियों का मेहर बारह औक़िया (लगभग दस हज़ार रुपए) था।

"हज़रत अबू अजफ़ा सलमी रज़ि० कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ि० ने हमें

Www.IslamicBooks.Website

ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया लोगो! सुनो औरतों का मेहर ज़्यादा मुक़र्रर न करो। यदि ज़्यादा मेहर मुक़र्रर करना दुनिया में सम्मान की बात होती या अल्लाह के यहां तक़्वा की वजह होता तो नबी सल्ल० ऐसा करने के सबसे अधिक हक़दार थे। नबी सल्ल० ने अपनी पत्नियों का मेहर बारह औक़िया से ज़्यादा मुक़र्रर नहीं फ़रमाया न ही अपनी बेटियों का मेहर बारह औक़िया से ज़्यादा मुक़र्रर किया।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

"हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "(मेहर की दृष्टि से) बेहतरीन निकाह वह है जो आसान हो।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 86. मेहर के लिए कोई चीज़ भी मुक़र्रर की जा सकती है यहां तक कि मर्द का इस्लाम क़ुबूल करना या औरत का किताब व सुन्नत की शिक्षा देना भी मेहर मुक़र्रर किया जा सकता है।

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि हज़रत अबू तलहा रज़ि० और हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि० का निकाह हुआ तो उनका मेहर इस्लाम था। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि० हज़रत अबू तलहा रज़ि० से पहले इस्लाम लायीं। अबू तलहा ने निकाह का पैग़ाम भेजा तो उम्मे सुलैम रज़ि० ने कहा– "मैं इस्लाम ला चुकी हूं यदि तुम भी इस्लाम ले आओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। अतएव अबू तलहा रज़ि० इस्लाम ले आए और इस्लाम ही उन दोनों के बीच मेहर था।"

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

व्याख्या–दूसरी हदीस मसला 52 के अन्तर्गत देखें।

मसला 87. यदि पति निकाह के बाद और संभोग से पहले मर जाए तो औरत पूरे मेहर की हक़दार होगी और विरासत से भी उसे पूरा हिस्सा मिलेगा।

मसला 88. मेहर निकाह के समय अदा करना ज़रूरी नहीं।

मसला 89. निकाह के समय दोनों पक्ष मेहर तै न कर सकें तो निकाह के बाद भी तै किया जा सकता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी ने किसी औरत से निकाह किया और मर गया। औरत से संभोग किया न मेहर अदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह ने इसके बारे में यह फ़ैसला किया कि औरत के लिए पूरा मेहर है और इस पर इद्दत (गुज़ारना भी वाजिब) है और विरासत में भी उसका हिस्सा है। हज़रत माक़ल रज़ि० ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को बरोअ

Www.IslamicBooks.Website

बिन्त वाशिक़ के बारे में यही फ़ैसला करते हुए सुना है।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 90. बत्तीस रुपए मेहर मुक़र्रर करना सुन्नत से साबित है।

निकाह के ख़ुत्बे के मसाइल

मसला 91. निकाह के समय निम्न ख़ुत्बा पढ़ना मसनून है।

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने हमें (निम्न) ख़ुत्बा हाजत सिखाया– "बेशक प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है हम उसी से मदद मांगते हैं उसी से मग़फ़िरत चाहते हैं अपने नफ़्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे भटकाने वाला नहीं और जिसे वह भटका दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई और उपास्य नहीं। मुहम्मद सल्ल० उसके बन्दे और रसूल हैं। ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। उस ख़ुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ मांगते हो और रिश्ता व नाते के संबंधों को बिगाड़ने से बचो।

विश्वास करो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। (सूरह निसा-1) "ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से जिस तरह उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम उसके आज्ञाकारी और आज्ञापालक हो। (सूरह आले इमरान-102) "ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से और बात सीधी सीधी कहो इस प्रकार कि वह तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन किया उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।" (सूरह अहज़ाब-70-71)

इसे अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और दारमी ने रिवायत किया है।

वलीमे के मसाइल

मसला 92. वलीमा की दावत करना सुन्नत है।

हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत

Www.IslamicBooks.Website

अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० (के कपड़ों पर) ज़रदी का निशान देखा तो पूछा– "यह क्या है?" हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि० ने कहा– "मैंने एक नवात सोने के बदले औरत से शादी की है।" आपने फ़रमाया– "अल्लाह तुझे बरकत दे वलीमा कर चाहे एक बकरी से ही हो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– नवात की मात्रा लगभग 3 ग्राम के बराबर है।

मसला 93. वलीमे की दावत क़ुबूल करना वाजिब है।

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तुममें से किसी को खाने की दावत दी जाए तो उसे क़ुबूल करे चाहे तो खाना खाए चाहे न खाए।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 94. जिस दावते वलीमा में आम लोगों को न बुलाया जाए केवल ख़ास को ही दावत दी जाए वह सबसे बुरा वलीमा है।

मसला 95. बिना किसी शरअी कारण वलीमे की दावत क़ुबूल न करने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० का अवज्ञाकारी है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "वलीमे के खानों में से सबसे बुरा खाना वह है जिसमें आने की ख़्वाहिश रखने वालों को न बुलाया जाए और इन्कार करने वालों को बुलाया जाए और जिसने दावत क़ुबूल न की उसने मानो अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की अवज्ञा की।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 96. जिस दावत में हराम काम (नाच, गाना, फोटो ग्राफी आदि) या हराम चीज़ों (जैसे शराब आदि) की व्यवस्था की गयी हो उसमें भाग लेना मना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह ऐसे दस्तरख़्वान पर न बैठे जिस पर शराब रखी गयी हो।"

इसे अहमद ने रिवायत किया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने हज़रत अय्यूब अन्सारी रज़ि० को खाने की दावत पर बुलाया। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि० ने घर में दीवार पर तस्वीर वाला पर्दा देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा– "औरतों ने हमें (यह पर्दा लगाने पर) मजबूर कर दिया। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि० फ़रमाने लगे मुझे डर था कि शायद यह कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम करेगा

Www.IslamicBooks.Website

लेकिन तुमसे यह आशा न थी। ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा और (यह कह कर खाना खाए बिना) वापस पलट आए।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 97. दिखावा, घमंड और बड़ाई दिखाने वाले लोगों की दावत में शरीक होना मना है।

"हज़रत अब्दुल्लाह बिना अब्बास रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने आपस में गर्व जताने वालों के खाने से मना फ़रमाना है।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मंगेतर को देखने के मसाइल

मसला 98. निकाह से पूर्व मंगेतर को देखना जायज़ है।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तुममें से कोई व्यक्ति किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसे चाहिए कि यदि संभव हो तो औरत को एक नज़र देख ले।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 99. घर की दैनिक ज़िन्दगी में आप से आप ज़ाहिर होने वाले अंगों अर्थात हाथ और चेहरा के अलावा मंगेतर के शेष किसी भी अंग को देखना या दिखना मना है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी मेरी मौजूदगी में नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और आपको बताया कि उसने अन्सार की एक औरत से निकाह किया है। आप सल्ल० ने फ़रमाया– "जा और उसे देख कि अन्सार की औरतों में कुछ ख़राबी होती है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 100. ग़ैर मेहरम औरत (मंगेतर) से एकान्त में मुलाक़ात करना या बातें करना या पास बैठना मना है।

हज़रत उक़बा बिना आमिर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "कोई मर्द किसी औरत के साथ जमा नहीं होता मगर उनके साथ तीसरा शैतान होता है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 101. ग़ैर मेहरम औरत (मंगेतर) से हाथ मिलाना मना है।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० का हाथ मुबारक कभी किसी औरत से नहीं लगा अलबत्ता आप ज़बान से औरतों से बात करते जब औरतें ज़बान से (इस्लाम स्वीकारने का) इक़रार कर लेती तो आप फ़रमाते– "जाओ मैंने तुमसे बैअत ले ली है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 102. जब औरत बनाव सिंगार करके बे पर्दा मर्दों के सामने आती है तो शैतान के लिए फ़ित्ना पैदा करना आसान हो जाता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "औरत (पूरी की पूरी) सतर है जब वह निकलती है तो शैतान उसे अच्छा (हसीन व जमील) करके दिखाता है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

निकाह में जायज़ काम

मसला 103. ईद के महीनों में निकाह करना जायज़ है।

मसला 104. निकाह और रुख़सती अलग अलग करना जायज़ है।

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि नबी सल्ल० ने मेरे साथ शव्वाल के महीने में निकाह किया और शव्वाल के महीने में मेरे साथ संभोग किया (अर्थात रुख़सती हुई) और रसूलुल्लाह सल्ल० की पाक पत्नियों में से कौन सी मुझसे अधिक भाग्यशाली थी? रिवायत करने वाले कहते हैं कि हज़रत आइशा रज़ि० पसन्द करती थीं कि उनके क़बीले की औरतों की शादी शव्वाल में ही हो।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 105. प्रौढ़ अवस्था से पूर्व बेटी का निकाह करना जायज़ है।

मसला 106. बड़ी उम्र के आदमी का छोटी उम्र की औरत से या छोटी उम्र के मर्द का बड़ी उम्र की औरत से निकाह करना जायज़ है।

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने उनसे निकाह किया जब वे सात साल की थीं और संभोग किया जब वे नौ साल की थीं और (रुख़सती के समय) उनकी गुड़िया उनके साथ थी। जब रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात हुई तो उस समय उनकी उम्र अठारह साल थी।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– याद रहे कि हज़रत आइशा रज़ि० से निकाह के समय रसूले अकरम सल्ल० की उम्र 54 साल की थी।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह में वर्जित काम

मसला 107. जिस औरत को निकाह का पैग़ाम दिया गया हो और उसने क़ुबूल कर लिया हो उसे निकाह का पैग़ाम भिजवाना वर्जित है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ला यबीअुर्रजु लु अला बयअि अख़ीहि वला यख़तुब अला ख़ितबति अख़ीहि०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया— "कोई व्यक्ति अपने भाई की बेची गयी चीज़ पर अपनी चीज़ न बेचे और कोई व्यक्ति ऐसी औरत को निकाह का पैग़ाम न भेजे जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने निकाह का पैग़ाम भेजा हो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 108. एहराम की हालत में निकाह करना या निकाह कराना या निकाह का पैग़ाम भिजवाना मना है।

अन उसमानब्नि अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ला यन्किहुल मोहरमु वला युन्किह वला यख़तुब०

हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया— "मेहरम निकाह करे न निकाह कराए और न ही निकाह का पैग़ाम भेजे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

ख़ुशी के अवसर पर जायज़ काम

मसला 109. मर्दों को ऐसी ख़ुश्बू लगाना जायज़ है जिसकी ख़ुश्बू ज़ाहिर हो लेकिन रंग ज़ाहिर न हो जबकि औरतों को ऐसी ख़ुश्बू लगानी जायज़ है जिसका रंग ज़ाहिर हो ख़ुश्बू ज़ाहिर न हो।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया— "मर्दों की ख़ुश्बू वह है जिसकी ख़ुश्बू ज़ाहिर हो औरतों की ख़ुश्बू वह है जिसका रंग ज़ाहिर हो लेकिन ख़ुश्बू ज़ाहिर न हो।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 110. फ़ित्ने का डर न हो तो छोटी बच्चियां ख़ुशी के अवसर पर दफ़ के साथ ऐसे अशआर पढ़ सकती हैं जो कुफ़्र व शिर्क, बे हयाई व अश्लीलता औरत की सुन्दरता और जिन्सी भावनाओं में उत्तेजना पैदा करने वाले न हों।

हज़रत रबीअ बिन्त मुअव्विज़ रज़ि० कहती हैं जब मेरा निकाह हुआ तो

Www.IslamicBooks.Website

नबी अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर इस तरह बैठ गए जैसे तुम (अर्थात रिवायत करने वाला) बैठे हो। उस समय हमारी कुछ बच्चियां दफ़ बजा रही थीं और बदर के शहीद होने वाले मेरे बुज़ुर्गों का (अशआर में) वर्णन कर रही थीं। इन बच्चियों में से एक ने कहा "हमारे बीच ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है।" आप सल्ल० ने (यह सुनकर) इर्शाद फ़रमाया "यह मिसरअ (पद) छोड़ दो जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 111. महिलाओं के लिए सोने का ज़ेवर और रेशमी लिबास पहनना जायज़ है।

हज़रत अबू मूसा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए जायज़ किया गया है जबकि मर्दों के लिए हराम ठहराया गया है।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 112. सफ़ेद बालों में मेंहदी और वसमा मिलाकर लगाना जायज़ है।

हज़रत अबू ज़र रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "बुढ़ापे (के सफ़ेद बालों) को बदलने के लिए मेंहदी और वसमा लगाना बेहतरीन चीज़ है।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

ख़ुशी के मौक़े पर वर्जित काम

मसला 113. बालों में जोड़ा या विग लगाने वालों पर लानत की गयी है।

मसला 114. अल्लाह और नबी सल्ल० की अवज्ञा करने के मामले में औरत पर पति की आज्ञापालन जायज़ नहीं।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक अन्सारी औरत ने अपनी बेटी का निकाह किया। उसके सर के बाल (बीमारी के कारण) गिर चुके थे। वह नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और कहा "मेरे पति ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी के बालों में जोड़ा लगाऊं (तो क्या हुक्म है?) आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया– "ऐसा न करना बालों में जोड़ा लगाने वालियों पर लानत की गयी है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 115. सोने या चांदी के बर्तनों में खाने पीने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग डालता है।

हज़रत उम्मे उलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जिसने सोना या चांदी के बर्तन में (खाया) पिया उसने अपने पेट

Www.IslamicBooks.Website

में जहन्नम की आग उतारी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 116. सोने की अंगूठी पहनने वाला मर्द अपने हाथ में आग का अंगारा पहनता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक मर्द के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने उसके हाथ से वह अंगूठी उतारी और दूर फेंक दी फिर फ़रमाया– "तुममें से कोई आदमी आग के अंगारे हाथ में लेना चाहता है और वह (सोने की) अंगूठी पहन लेना है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 117. टख़नों से नीचे तक पहना हुआ कपड़ा मर्द को जहन्नम मे ले जाएगा।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– " जो कपड़ा टख़ने से नीचा हो वह जहन्नम में जाएगा।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 118. दूसरों के मुक़ाबले में अपनी बड़ाई और गर्व जताने की सज़ा।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "एक व्यक्ति दो चादरें पहन कर अकड़ कर चल रहा था और अपने जी में (उन क़ीमती चादरों पर) इतरा रहा था। अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वह अब क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला जा रहा है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 119. मर्दों के लिए रेशम का लिबास पहनना हराम है।

व्याख्या– हदीस मसला 111 देखिए।

मसला 120. मशीन के साथ जिस्म पर बेल बूटे बनवाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है।

मसला 121. सुन्दरता के लिए चेहरे पर से बाल उखाड़ने या उखड़वाने वाली औरत पर लानत है।

मसला 122. सुन्दरता के लिए दांतों को कुशादा करने या कराने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने गूंदने और गुंदवाने वाली औरतों पर, चेहरे से बाल उखाड़ने वाली औरतों पर, सुन्दरता के लिए दांत कुशादा करने या कराने वाली औरतों पर लानत की है फिर क्या वजह

Www.IslamicBooks.Website

है जिन औरतों पर नबी अकरम सल्ल० ने लानत की है उन पर मैं लानत न करूं? (रसूलुल्लाह सल्ल० की लानत अल्लाह की लानत होने की दलील) क़ुरआन मजीद की यह आयत है– "रसूलुल्लाह सल्ल० जो कुछ तुम्हें दें वह ले लो और जिससे मना करें उससे बाज़ आ जाओ।" (सूरह हश्र-7)

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 123. क़यामत के दिन कठोरतम यातना तस्वीरें बनाने वालों को दी जाएगी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है अल्लाह के यहां कठोर यातना तस्वीर बनाने वालों को दी जाएगी।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 124. ऐसा तंग लिबास जिससे शरीर के अंग साफ़ साफ़ दिखायी देते हों या ऐसा बारीक लिबास जिससे शरीर नज़र आए पहनने वाली औरतें जन्नत में दाख़िल नहीं होंगी।"

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जहन्नमियों की दो क़िसमें मैंने (अभी तक) नहीं देखी। उनमें से एक वे लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वे लोगों को मारेंगे। दूसरी क़िस्म उन औरतों की जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हैं, सीधी राह से भटक जाने वाली और दूसरों को भटकाने वाली हैं। उनके सर बख़्ती ऊंट के कोहान की तरह टेढ़े हुए हैं ऐसी औरतें जन्नत में दाख़िल नहीं होंगी न ही जन्नत की ख़ुश्बू पाएंगी यद्यपि जन्नत की ख़ुश्बू लम्बी दूरी से आती है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 125. मर्दों से एक रूपता अपनाने वाली औरतों पर और औरतों के साथ एक रूपता अपनाने वाले मर्दों पर नबी अकरम सल्ल० ने लानत की है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने औरतों में से मर्दों के साथ एक रूपता रखने वाली औरतों और मर्दों में से औरतों के साथ एक रूपता रखने वाले मर्दों पर लानत की है।

इसे अहमद, अबू दाऊद, और इब्ने माजा व तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 126. शराब ख़रीदने, पीने और पिलाने वाले सब लोगों पर लानत की है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया– "शराब के कारण दस आदमियों पर लानत उतरती है–

1. उसे हासिल करने वाले पर।
2. उसे बनाने वाले पर।
3. उसे बनवाने वाले पर।
4. उसे बेचने वाले पर।
5. उसे ख़रीदने वाले पर।
6. उसे उठाकर ले जाने वाले पर।
7. उस पर जिसके लिए उठाकर ले जायी जाए।
8. शराब की क़ीमत खाने वाले पर।
9. शराब पीने वाले पर।
10. शराब पिलाने वाले पर।

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 127. औरतों को ख़ुश्बू लगाकर मर्दों के बीच से गुज़रना मना है।

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो औरत इतर लगाए और इसलिए लोगों के पास से गुज़रे ताकि वे उसकी ख़ुश्बू सूंघे वह ज़ानिया है।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 128. दाढ़ी मुंडाना मना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने दाढ़ी बढ़ाने और मूंछे कतराने का हुक्म दिया है।

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 129. चालीस दिन से ज़्यादा नाख़ुन बढ़ाना मना है।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने उनके लिए नाख़ुन काटने, मूंछे कतरवाने और नाड़ी के नीचे के बाल मूंडने के लिए चालीस दिनों की अवधि मुक़र्रर की है।

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

130. औरतों का मर्दों के सामने बे पर्दा आना मना है।

व्याख्या– हदीस मसला 102 में देख लें।

मसला 131. औरतों का पांव में घुंघरू बांधना मना है।

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्ल० की पत्नी कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि जिस घर में घुंघरू और

Www.IslamicBooks.Website

घंटे हों उसमें (रहमत के) फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते न ही फ़रिश्ते उन लोगों के साथ रहते हैं जो घंटे इस्तेमाल करते हैं।

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 132. कुफ्र,, शिर्क, पापाचार, कुकर्म, औरत की सुन्दरता और जिन्सी भावना वाले अशआर पढ़ना या सुनना मना है।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ अर्ज़ के स्थान (मदीना मुनव्वरा से लगभग एक सौ किलो मीटर की दूरी पर) से गुज़र रहे थे कि एक कवि कविता पढ़ते हुए सामने आया तो आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया– "पकड़ो इस शैतान को (या फ़रमाया रोको इस शैतान को) फिर फ़रमाया (ऐसे गंदे) अशआर मुंह में डालने की बजाए पीप डालना ज़्यादा बेहतर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 133. मर्दों और औरतों को काले रंग का ख़िज़ाब लगाना मना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया– "आख़िरी ज़माने में कुछ लोग कबूतर के सीने जैसा काले रंग का ख़िज़ाब लगाएंगे। ऐसे लोग जन्नत की ख़ुश्बू तक न पा सकेंगे।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 134. औरतों और मर्दों की मिली जुली मज्लिसों का आयोजन करना मना है।

मसला 135. संगीत और गाना बजाना सुनना कानों का ज़िना है।

मसला 136. ग़ैर मेहरम मर्दों औरतों का एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को छूना और आपस में घुलना मिलना मना है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "(अल्लाह ने अपने इल्म से) इब्ने आदम का ज़िना से हिस्सा लिख दिया जिसे वह हर हाल में करके रहेगा (क्योंकि अल्लाह का इल्म कभी ग़लत नहीं हो सकता) आंखों का ज़िना (ग़ैर मेहरम को देखना) कानों का ज़िना सुनना है, ज़बान का ज़िना बात करना है, हाथ का ज़िना पकड़ना (और छूना) है, पांव का ज़िना चल कर जाना है, दिल का ज़िना इच्छा करना है। शर्मगाह इन बातों को या तो सच कर दिखती है या झूठ।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 137. संगीत, गाना बजाना और नाचरंग करने वालों पर अज़ाब

Www.IslamicBooks.Website

आएगा या अल्लाह इन्हें बन्दर और सुअर बना देगा।

हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम कुछ और रख लेंगे। उनके यहां संगीत के सामान (तबला, सारंगी आदि) बजेंगे, गाने वाली गाने गाएंगी अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से कुछ को बन्दर और सुअर बना देगा।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "इस उम्मत के लोगों पर ज़मीन में धंसाने, शक्लें बिगाड़ने और (आसमान से) पत्थरों की बारिश बरसने का अज़ाब आएगा।" मुसलमानों में से किसी आदमी ने अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! यह कब होगा?" आपने फ़रमाया– "जब गाने बजाने वाली औरतें ज़ाहिर होंगी। संगीत के सामान आम इस्तेमाल होंगे और शराबें पी जाएंगी।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

निकाह से संबधित वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं

1. निकाह से पूर्व मंगनी की रस्म की व्यवस्था करना।
2. लड़के वालों का लड़की वालों के लिए "बद" लेकर जाना।
3. मंगनी के समय लड़के को सोने की अंगूठी पहनाना।
4. मेंहदी और हल्दी की रस्म अदा करना। (दुल्हन को मेंहदी लगाना जायज़ है लेकिन उसके लिए सामूहिक व्यवस्था करना और गाने बजाने की व्यवस्था करना जायज़ नहीं)।
5. लड़के और लड़की को सलामियां देना।
6. निकाह से पूर्व मंगेतर को मेहरम समझना।
7. 32 रुपए मेहर मुक़र्रर करना और मर्द की हैसियत से बढ़कर मेहर बांधना।
8. बेटी को घर बनाने के लिए (दहेज़) सामान देना।
9. दहेज़ की मांग करना।
10. दुल्हा के सेहरा बांधना।
11. बरात के साथ बैंड बाजा ले जाना।
12. बरात में अधिक लोगों को ले जाना।

Www.IslamicBooks.Website

13. निकाह के ख़ुतबा से पहले लड़के और लड़की को कलिम-ए-शहादत पढ़वाना।

14. निकाह के बाद शरीक लोगों में छुहारे लुटाना।

15. दुल्हा के जूते चुराना और पैसे लेकर वापस करना।

16. लड़की को क़ुरआन के साए में घर से रुख़सत करना।

17. मुंह दिखाई और गोद भराई की रस्म अदा करना।

18. माइयों बैठने की रस्म अदा करना।

19. मुहर्रम और ईद के महीनों में शादी न करना।

20. अपनी हैसियत से बढ़कर वलीमे की दावत करना।

21. यूनियन कौन्सिल में रजिस्ट्रेशन के बिना (या तलाक़) को प्रभावहीन समझना।

22. नाच गाने की व्यवस्था करना।

23. मर्दों औरतों की अलग अलग या मिली जुली महफ़िलों की तस्वीरें बनाना और वीडियों फ़िल्में तैयार करना।

24. क़ुरआन मजीद से निकाह करना।[1]

---

1. स्पष्ट रहे कि जिस देश को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया उसी तथा कथित मुस्लिम देश पाकिस्तान के एक राज्य सिंध में जागीरदार और वडीरे आज भी वही जाहिलाना 1400 वर्ष पूर्व की सोच रखते हैं जो जाहिल अरबों में पायी जाती थी और जिसका ज़िक्र क़ुरआन ने इन शब्दों में किया है–

"जब उनमें से किसी को बेटी पैदा होने की ख़ुशख़बरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस (सियाही) छा जाती है और वह ख़ून का घूंट पीकर रह जाता है लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी ख़बर के बाद क्या किसी को मुंह दिखए। सोचता है कि अपमान के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे? (सूरह नहल-58-59)

वडीरे और जागीरदार अपनी जागीरों को बचाए रखने के लिए और किसी को अपना दामाद बनाने की तौहीन व अपमान से बचने के लिए अपनी बेटियों का निकाह क़ुरआन से कर देते हैं जिसके लिए लड़की का नियमित रूप से पूरा श्रंगार करके दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहनाया जाता है मेंहदी लगायी जाती है गीत गाए जाते हैं लड़की को घूंघट निकाल कर सहेलियों के झुरमट में बिठाया जाता है और उसके बराबर रेशमी पकड़े से बने हुए जुज़दान में सजा हुआ क़ुरआन रहल पर रख दिया जाता है। "मौलवी साहब" कुछ शब्द पढ़ते हैं तब बड़ी बूढ़ियां क़ुरआन उठाकर दुल्हन की गोद में रख देती है। दुल्हन क़ुरआन को बोसा देती

शेष अगले पृष्ठ पर

Www.IslamicBooks.Website

25. निकाह के समय मस्जिद के लिए रुपए वसूल करनां।
26. लड़के वालों से पैसे लेकर मुलाज़िमों को "लाग" देना।
27. तलाक़ की नीयत से निकाह करना।
28. गर्भ के दौरान निकाह करना।
29. दूसरे निकाह के लिए पहली पत्नी से इजाज़त हासिल करना।

है और इक़रार करती है कि उसने अपना हक़ (निकाह) क़ुरआन को बख़्श दिया।

इस पर वहां मौजूद लोग ज़ालिम बाप और बेबस लड़की को मुबारक बाद देते हैं। अपना हक़ क़ुरआन को बख़्श देने के बाद उस लड़की का निकाह किसी दूसरे मर्द से हराम क़रार पाता है। दुल्हन लड़की से "बीबी" व रूहानियत के दर्जे पर पहुंच जाती है। इस तरह जागीरदार अपनी जागीर तो बचा लेता है लेकिन बेटी के अरमानों को हमेशा के लिए तोड़ देता है।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह से संबंधित दुआएं

मसला 138. निकाह के बाद दुल्हा और दुल्हन को यह दुआ देनी चाहिए।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन्नबिय्या काना इज़ा रफ़फ़अन इन्सा न इज़ा तज़व्व ज क़ाला (बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व ज म अ बयन कुम फ़ी ख़ैरिन)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० निकाह करने वाले आदमी को इन शब्दों में दुआ देते– "अल्लाह तुझे और तुम दोनों को बरकत प्रदान करे और तुम्हारे बीच भलाई पर सहमति पैदा करे।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 139. पहली मुलाक़ात पर पति को पत्नी के लिए निम्न दुआ मांगना चाहिए।

अन अब्दिल्लाहिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन्नबिय्या क़ाला : इज़ा तज़व्वज अ ह द कुम इमरा तन अव्वशतरा ख़ादिमा फ़लयक़ुल (अल्लाहुम्मा इन्नी अस अलुका ख़ैर हा व ख़ैरा मा जबल तहा अलैहि व अऊज़ुबि क मिन शर्रि ह व शर्रि मा जबलतहा अलैहि)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तुममें से कोई आदमी औरत से निकाह करे या ग़ुलाम ख़रीदे तो इस प्रकार दुआ करे– "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इस (औरत) की भलाई का सवाल करता हूं और जिस तबियत पर इस (औरत) को पैदा किया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूं और तुझसे पनाह मांगता हूं। इस (औरत) के शर से और जिस तबियत पर उसको पैदा किया गया है उसके शर से।"

इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

संभोग के शिष्टाचार

मसला 140. संभोग से पहले निम्न दुआ पढ़नी मसनून है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि लव अन्न अ ह द कुम इज़ा अरादा अंययाति य अहलहू क़ाला (बिस्मिल्लाहि जन्नबिश्शैता न मा रज़क़त न फ़ इन्नहू इंय्युक़दि द र बयनहुमा व ल इन फ़ी ज़ालिका लम यज़ुर्रहू शैताना अ ब दन)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तुम लोगों में से कोई अपनी पत्नी के पास आने का इरादा करे तो इस प्रकार कहे– "अल्लाह के नाम से ऐ अल्लाह! हमें शैतान से दूर रख और उस चीज़ से भी शैतान को दूर रख जो तू हमें प्रदान करें।" यदि संभोग के दौरान पति पत्नी के भाग्य में औलाद लिखी है तो शैतान उसे कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा।" इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 141. गुनाह से बचने की नीयत से संभोग करना अज्र व सवाब का काम है।

अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नासन मि असहाबिन्नबिय्यि क़ालू लिन्नबिय्यि या रसूलल्लाह आयाती अ ह दु न शह र तहू व यकूनु लहू फ़ीहा अजरुन? क़ाला : अ र अयतुम लव व ज़ अ ह फ़ी हरामि अकाना अलैहि फ़ीहा विज़रुन? फ़ कज़ालि क इजा व ज़ अहा फ़िल हलालि काना लहू अजरुन०

हज़रत अबू ज़र रज़ि० से रिवायत है कि सहाबा किराम रज़ि० में से कुछ ने नबी सल्ल० से मालूम किया– "ऐ अल्लाह के रसूल! जब हममें से कोई (अपनी पत्नी से संभोग करके) काम इच्छा पूरी करता है तो क्या उसके लिए सवाब है?" आपने फ़रमाया– "बताओ यदि वह हराम तरीक़े से काम इच्छा पूरी करे तो उस पर गुनाह होगा या नहीं?" उन्होंने कहा– "होगा।" आपने फ़रमाया– "इसी तरह जब वह हलाल तरीक़े से काम इच्छा पूरी करता है तो उसके लिए सवाब है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 142. दोबारा संभोग करने से पहले वुज़ू करना मुसतहब है।

अन अबी सईदिब्नि ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इज़ा अता अ ह-द कुम अहलहू सुम्मा अरा दा अंययअू द फ़ल य त

Www.IslamicBooks.Website

वज़्ज़ा०

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तुममें से कोई अपनी पत्नी के पास संभोग करने के लिए आए और दोबारा संभोग करना चाहे तो तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 143. जुमा की रात संभोग करना मुसतहब है।

अन ओसिब्नि अवसिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० मनिग़ त स ल यवमल जुमअति व ग़स्स ल व बक्क र वब्त क र व दना वस्तम अ व अन्स त काना लहू बिकुल्लि ख़ुतवति यख़तूहा अजरु स न ति सिया म ह व क़िया म ह०

हज़रत ओस बिन अवसि रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमया– "जो व्यक्ति जुमा के दिन ग़ुस्ल करे और (पत्नी से संभोग करके उसे भी) ग़ुस्ल कराए (जुमा पढ़ने के लिए) जल्दी (मस्जिद में) आए और ख़ुत्बा के शुरू में शरीक हो, ख़तीब के निकट बैठे, ख़ुत्बा ग़ौर से सुने और ख़ामोश बैठा रहे तो उसे (मस्जिद में जाने और आने वाले) हर क़दम के बदले में एक साल के रोज़े और एक साल के क़ियाम के बराबर सवाब मिलता है।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 144. बच्चे को दूध पिलाने की अवधि में पत्नी से संभोग करना जायज़ है।

अन जुज़ामता बिन्त वहबिन रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : हज़रत रसूलुल्लाहि सल्ल० फ़ी उनासिन व हुवा यक़ूलु लक़द हमअतु अन्ना अन्नह अनिल ग़ी लति फ़ न ज़रतु फ़िर्रूमि व फ़ारिसि फ़ इज़ा हुम यग़ीलू न अवलाद हुम फ़ला युज़ुर्रु अवलादहुम शैआ०

हज़रत जुज़ामा बिन्त वहब रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं लोगों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई तो आपने फ़रमाया– "मैंने इरादा किया था कि लोगों को ग़ीला (दूध पिलाने की अवधि में संभोग) से मना कर दूं लेकिन मैंने देखा कि रूम और फ़ारस के लोग ग़ीला करते हैं और उनकी औलाद को कोई हानि नहीं पहुंचती (तो मैंने मना करने का इरादा बदल दिया।)"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 145. पत्नी से दिन के समय संभोग करना जायज़ है।

Www.IslamicBooks.Website

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला : ला तहिल्लु लिल मराति अन्ना तसूम व ज़व्वज हा शाहिदिन इल्ला बिइज़्निहि०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने पति की मौदूगी में उसकी इजाज़त के बिना (नफ़ली) रोज़े रखे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 146. संभोग के बाद पति पत्नी का एक दूसरे के भेद खोलना मना है। (देखें हदीस मसला 200)

मसला 147. पत्नी से अगली या पिछली तरफ़ से सोहबत करना जायज़ है।

अन अबी मुन्कदिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहू समिअ जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु कानतिल यहूदु तक़ूलु इज़ा अतर्रजुलुम रआतु मिन दुबुरिन फ़ी कब्लि हा कानल व ल दु अहव ल फ़ न ज़ लत निसाअकुम हर्सुल्लकुम फ़ातु हर सकुम अन्ना शिअतुम०

हज़रत अबू मुन्कदिर रज़ि० ने हज़रत जाबिर रज़ि० को कहते हुए सुना है कि यहूदी कहते जब आदमी अपनी पत्नी की पिछली तरफ़ से (शर्मगाह में) संभोग करे तो बच्चा भैंगा होता है उस पर यह आयत उतरी– "तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं अपने खेतों में जैसे चाहो आओ।" (सूरह बक़रा-223)

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया।

मसला 148. ग़ुस्ले जनाबत से पहले सोना हो तो वुज़ू कर लेना मुसतहब है।

अन आइशति रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : कानन्नबिय्यि इज़ा अरादा अयं यना म व हुवा जुनुबुन ग़ स ल फ़रजहू व तवज़्ज़न लिस्सलाति०

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "जब नबी अकरम सल्ल० जनाबत की हालत में सोना चाहते तो अपनी शर्मग ह को धोकर नमाज़ की तरह वुज़ू फ़रमाते और सो जाते।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 149. चिकित्सा की ज़रूरत के समय अज़्ल की इजाज़त है वर्ना नहीं।

हज़रत अुकाशह रज़ि० की बहन हज़रत जुज़ामा बिन्त वहब कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई लोग मौजूद थे। उन्होंने अज़्ल के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया यह (बच्चे को) जिन्दा मार देना है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० के सामने अज़्ल का ज़िक्र किया गया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया– "लोग ऐसा क्यों करते हैं?" आपने यह नहीं फ़रमाया कि "लोग ऐसा न करें।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– पत्नी से संभोग करते हुए इन्ज़ाल से पहले अलग हो जाना अज़्ल कहलाता है।

मसला 150. मासिक धर्म के दौरान या निफ़ास के दौरान संभोग करना मना है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला : मन अता हाइज़न अविम रआ तन फ़ी दुबुरिहा अव काहि नन फ़ क़द क फ़ र बिमा उन्ज़ि ल अला मुसतम्मुदिन०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति मासिक धर्म वाली से संभोग करे या औरत की दुबुर में संभोग करे या ज्योतिषी के पास आए उसने मुहम्मद सल्ल० पर उतारी गयी शिक्षाओं का इन्कार किया।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 151. मासिक धर्म या निफ़ास ख़त्म होने के बाद लेकिन ग़ुस्ल करने से पहले संभोग करना मना है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन्नबिय्यि क़ाल : इज़ा काना दमन अह म र फ़दीना रुन व इज़ा काना दमन अस फ़ र फ़निसफ़ु दीना रिन०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "(मासिक धर्म या निफ़ास वाली औरत के) ख़ून का रंग जब सुर्ख़ हो तो (संभोग करने का कफ़्फ़ारा) एक दीनार सोना है और यदि ख़ून का रंग ज़र्द हो (अर्थात ख़ून आना रुक चुका हो लेकिन अभी ग़ुस्ल न किया हो) तो (संभोग करने का कफ़्फ़ारा) आधा दीनार सोना है।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– एक दीनार का वज़न चार ग्राम के बराबर है।

मसला 152. पत्नी से दुबुर (पाख़ाने वाली जगह) में संभोग करना मना है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० मलऊनुन मन अता इमरा तहू फ़ी दुबरिहा०

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति अपनी पत्नी के पास आए और उसकी दुबुर (पाख़ाने की जगह) में संभोग करे वह मलऊन है।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ला यन्जुरुल्लाह इला रजलि अला रजलन अव इमराति फ़िददुबुरि०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "अल्लाह उस आदमी की तरफ़ कृपा की निगाह नहीं करता जो (अपनी काम इच्छा पूर्ति करने के लिए) मर्द के पास आए या औरत के साथ दुबुर (पाख़ाने की जगह) में संभोग करे।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 153. पति पत्नी को संभोग के लिए बुलाए तो औरत को इन्कार नहीं करना चाहिए। (देखिए हदीस मसला 169)

मसला 154. ग़ुस्ले जनाबत का मसनून तरीक़ा इस प्रकार है–

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाला : काना रसूलुल्लाहि सल्ल० इज़ा ग़ स ल मिनल जनाबति यबदउ व यग़सिलु यदयहि सुम्मा युफ़रिग़ु बियमीनिहि अला शिमालिहि फ़ यग़सिलु फ़र ज़हू सुम्मा य त वज़्ज़उ सुम्मा याख़ुज़ुल माआ फ़युदख़िलु असाबिअहू फ़ी उसूलिश्शअरि हत्ता इज़ा रा य अनना क़दिसतबरउ सुम्मा ह फ़ न अला रासिहि सला स हफ़ नातिन सुम्मा अफ़ाज़ अला साइरिन ज स दिहि सुम्मा ग़ स ल रिजलयहि०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० ग़ुस्ले जनाबत फ़रमाते तो पहले अपने दोनों हाथों को धोते फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह को धोते फिर वुज़ू फ़रमाते जिस तरह नमाज़ के लिए वुज़ू फ़रमाते। इसके बाद हाथों की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते। तीन लप पानी सर में डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते (आख़िर में एक बार) फिर दोनों पांव धोते।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

आदर्श पति के गुण

मसला 155. पत्नी से सदव्यवहार करने वाला मर्द बेहतरीन पति है।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ख़ैरुकुम ख़ैरुकुम लि अहलिहि व अना ख़ैरुकुम लि अहली व इज़ा माता साहिबकुम फ़दऊहु०

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "तुममें से बेहतरीन व्यक्ति वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो और मैं तुममें से अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। जब तुम्हारा कोई साथी मर जाए तो उसकी बुरी बातें करना छोड़ दो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ख़ैरुकुम ख़ैरुकुम लिन्निसाई०

हज़रत अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "तुममें से बेहतर व्यक्ति वह है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है।"

इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 156. पत्नी को न मारने वाला व्यक्ति बेहतरीन पति है।

अन आइशाता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : मा ज़ र ब रसूलुल्लाहि ख़ादिमा वला इमरा तुन क़त्तुन०

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने किसी सेवक या औरत को कभी नहीं मारा।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 157. परीक्षा और परेशानी में सब्र करने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा पति है।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० मानिब तुलि य बिशैइन मिनल बनाति फ़ स ब र अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन्नारि०

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति बेटियों की वजह से परीक्षा में डाला गया और उसने उन पर सब्र किया तो वे बेटियां उस (बाप) के लिए आग से रुकावट होंगी।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 158. बेटियों को दीनी शिक्षा दिलाने और अच्छा प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा पति है।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० मनिबतुलि य मिनल बनाति बिशैइन फ़ अहस न इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरन मिनन्नारि०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति बेटियों के साथ आज़माया गया और उसने उनके साथ नेकी की (अर्थात अच्छी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया) वह उस व्यक्ति के लिए आग से रुकावट होंगी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 159. पत्नी के मामले में दरगुज़र करने वाला नर्मी से काम लेने वाला और पत्नी के हक़ में भलाई और भलाई की बात क़ुबूल करने वाला व्यक्ति अच्छा पति है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे जब कोई मामला पेश आए तो भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे। लोगो! औरतों के प्रति भली बात क़ुबूल करो (याद रखो) औरतें पसली से पैदा की गयी हैं और पसली में से सबसे अधिक टेढ़ी ऊपर की पसली है। (अर्थात जितने ऊंचे ख़ानदान की औरत होगी उतनी ही अधिक टेढ़ी होगी) यदि तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे और यदि वैसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी अतः उनके हक़ में भलाई की बात क़ुबूल करो।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 160. घर वालों पर ख़ुश दिली से ख़र्च करना अच्छे पति की विशेषता है।

अन अबी मसऊदुल अन्सारि य्य रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला : नफ़कहुर्रजलि अला अहलिहि सदक़तुन०

हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "आदमी का अपने परिवार (घर वालों) पर ख़र्च करना सदक़ा है।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० दीनारुन अन्फ़क़तहू फ़ी सबीलिल्लाहि व दीनारुन अन्फ़क़तहू फ़ी रक़बतिन व

Www.IslamicBooks.Website

दीनारुन तसद्दक़ता बिहि अला मिसकीनि व दीना रुन अन्फ़क़तहू अला अहलि क अअ़ज़मुहा अजरन अल्लज़ी अन्फ़क़तहु अला अहलि क०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "(यदि) एक दीनार तुमने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, एक ग़ुलाम को आज़ाद कराने में ख़र्च किया, एक मिसकीन को सदक़ा किया और एक अपने घर वालों पर ख़र्च किया। तो अज्र की दृष्टि से वह दीनार सबसे श्रेष्ठ है जो तुमने अपने घर वालों पर ख़र्च किया।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया।

मसला 161. घर के काम काज में पत्नी का हाथ बटाने वाला पति बेहतरीन पति है।

अनिल असवदि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला स अलतु आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा मा कानन्नबिय्यि यसन्नअु फ़ी अहलिहि क़ालत काना फ़ी मिहनति अहलिहि फ़ इज़ा ह ज़ रतिस्सलातु क़ामा इलस्सलाति०

हज़रत असवद रज़ि० से रिवायत है कि मैंने हज़रत आइशा रज़ि० से कहा– "रसूले अकरम सल्ल० घर में क्या करते?" हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया– "आप घर के काम काज में व्यस्त रहते और जब नमाज़ का समय होता तो नमाज़ के लिए उठ खड़े होते।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– दूसरी रिवायत में है कि आप बाज़ार से सौदा भी ख़रीद कर लाते और अपना जूता आदि स्वयं मरम्मत कर लिया करते।

भली पत्नी का महत्व

मसला 162. जीवन साथी के चयन में बड़ी सख़्त सावधानी की ज़रूरत है।

अन उसामतुब्नि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नन्नबिय्यि क़ाला : मा तरकतु बाअ़दी फ़ितनतन अज़र्रा अलर्रिजा लि मिनन्निसाइ०

हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से अधिक हानिकारक फ़ित्ना कोई नहीं छोड़ा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

अन अबी सईदिब्नि ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० अददुन्या हुलवतुन ख़ज़िरतुन इन्नल्ला ह मुसतफ़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यन्ज़ुरु कैफ़ा ताअ़मलू न फ़त्तक़ुन्निसाअ फ़इन्ना अव्व ल फ़ितन त बनी इसराईलु कानत फ़िन्निसाई०

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "दुनिया बड़ी मीठी और हरी भरी (अर्थात आकर्षक) है बेशक अल्लाह तुमको (ज़मीन में) उत्तराधिकारी बनाएगा फिर देखेगा कि तुम कैसे कर्म करते हो। तो (इस मीठी और आकर्षक दुनिया से बचकर रहो और औरतों से भी सावधान रहो क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फ़ित्ला औरत की वजह से पैदा हुआ है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 163. नेक, परहेज़गार और वफ़ादार पत्नी दुनिया की हर चीज़ से अधिक क़ीमती है।

अन अब्दुल्लाहिब्नि उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० क़ाला : अददुन्या मताउन व ख़ैरु मताउद दुन्या अलमिर अतुस्सालिहतु०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ नेक औरत है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 164. भली पत्नी भाग्यशाली की पहचान है और बुरी पत्नी दुर्भाग्य की पहचान है।

हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "चार चीज़ें भाग्यशाली की पहचान हैं– 1. अच्छी व नेक पत्नी 2. खुला घर 3. अच्छा पड़ौसी 4. अच्छी सवारी और चार चीज़ें दुर्भाग्य की पहचान हैं– 1. बुरी पत्नी 2. बुरा पड़ौसी 3. बुरी सवारी 4. तंग घर।"

इसे अहमद और इब्ने हिबान ने रिवायत किया है।

मसला 165. अक़्ल की ख़राब होने के बावजूद औरतें अच्छे भले मर्दों की मत मार देती हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "औरतो! सदक़ा किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करो। मैंने जहन्नम में औरतों को अधिक देखा है।" औरतों में से एक समझदार औरत ने कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल! इसका क्या कारण है कि जहन्नम में औरतें अधिक होंगी?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "तुम लानत अधिक भेजती हो और अपने पति की नाशुक्री करती हो। कम अक़्ल और दीन में कम ज्ञान रखने के बावजूद मैंने तुमसे ज़्यादा मर्दों की अक़्ल खोने वाला किसी को नहीं देखा।" उस औरत ने अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल! औरत में अक़्ल और दीन की

Www.IslamicBooks.Website

कमी कौन सी है?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "अक़्ल की कमी (का सबूत) तो यह है कि (अल्लाह ने) दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर रखी है और दीन में कमी (का सबूत) तो यह है कि तुम (हर महीने) कुछ दिन नमाज़ नहीं पढ़ सकती और रमज़ान में कुछ दिन रोज़े नहीं रख सकती।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

अन इमरानब्नि हुसैनिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० क़ाला : अक़ल्ला स क निल जन्नतिन्निसाउ०

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जन्नतियों में औरतों की संख्या बहुत कम है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 166. पत्नी मनुष्य की कड़ी आज़माइश है।

अन हुज़ैफ़ता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इन्ना फ़ी मालिर्रजुलि फ़ितनतन वफ़ी ज़वजतिहि फ़ितनतन व व ल दिहि०

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "आदमी के लिए उसके माल व औलाद और उसकी पत्नी में फ़िल्ला है।"

इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

आदर्श पत्नी के गुण

मसला 167. कुंवारी, मीठे बोल बोलने वाली, मृद स्वभाव, धैर्य वाली, पति का दिल लुभाने वाली और अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरत अच्छी जीवन साथी है।

हज़रत अबदुर्रहमान बिन सालिम बिन्त उत्बा बिन अदीम बिन साअिदा अन्सारी रज़ि अपने बाप से और उसके बाप ने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "कुंवारी औरतों से निकाह करो कि वे मृद भाषी होती हैं अधिक बच्चे जनती हैं और थोड़ी चीज़ पर जल्द ख़ुश हो जाती है।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि हम एक सैनिक मुहिम में नबी सल्ल० के साथ थे। जब हम वापस हुए तो मदीना के निकट मैंने अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैंने नयी नयी शादी की है" आपने मालूम किया– "क्या तूने शादी की है?" मैंने कहा– "हां" आपने फ़रमाया "कुंवारी से या विधवा से?" मैंने कहा– "विधवा से।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? वह तेरे साथ खेलती और तू उसके साथे खेलता।"

इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 168. पति की ग़ैर मौजूदगी में उसके माल और उसकी इज़्ज़त की रक्षक और अपने पति की आज्ञापालक औरत सबसे अच्छी पत्नी है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि० कहते हैं नबी सल्ल० ने फ़रमाया– "सबसे अच्छी पत्नी वह है जिसकी तरफ़ तू देखे तो तुझे ख़ुश कर दे और जब तू किसी बात का हुक्म दे तो उस पर अमल करे और तेरे न होने पर तेरे माल और अपनी इज़्ज़त की सुरक्षा करे।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 168. सन्तान से मुहब्बत करने वाली और अपने पति के सारे मामलों की देखभाल करने वाली औरत सबसे अच्छी पत्नी है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "ऊंटों पर सवार होने वाली औरतों में से सबसे अच्छी औरतें क़ुरैश की हैं। बच्चों पर अत्यन्त स्नेह व मेहरबानी करने वालियां हैं और अपने पतियों की माल व दौलत की रक्षक और अमीन होती हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 169. पति की जिन्सी भावनाओं का सम्मान करने वाली औरत से अल्लाह राज़ी रहता है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और पत्नी इन्कार कर दे तो वह ज़ात जो आसमानों में है नाराज़ रहती है यहां तक कि उसका पति उससे राज़ी हो जाए।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 170. पति से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाली औरत अच्छी जीवन साथी है।

व्याख्या– हदीस मसला 10 में देखिए।

मसला 171. पांचों नमाज़ों की पाबन्दी करने वाली, रमज़ान के रोज़े रखने वाली, पाक दामन और पति की आज्ञापालक औरत सबसे अच्छी जीवन साथी है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इज़ा सल्लतिल मरातु ख़मस ह व सामत शहर ह व हस्सनत फ़रज ह व इताअत ज़वज ह क़ीला ल हा उदख़ुलिल जन्न त मिन अय्यि अबवाबल जन्न त शिअता०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो औरत पांच नमाज़ें अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की सुरक्षा करे और अपने पति की आज्ञा का पालन करे उसे (क़ियामत के दिन) कहा जाएगा जन्नत के (आठों) दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाख़िल हो जा।"

इसे इब्ने हिबान ने रिवायत किया है।

मसला 172. पति को ख़ुश रखने, पति की आज्ञा का पालन करने और अपनी जान व माल पति पर क़ुरबान करने वाली औरत सबसे अच्छी जीवन संगनी है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ीला या रसूलल्लाहि सल्ल० अय्युन्निसायी ख़ैरुन? क़ाला अल्लती तसुर्रुहु इज़ा न ज़ र व तुतीअुहू इज़ा अ म र वला तुख़ालिफ़ुहू फ़ी नफ़सि ह व मालि ह बिमा बकरहु०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कहा गया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! बेहतरीन औरत कौन सी है?" आपने फ़रमाया– "वह औरत कि जब उसका पति उसको देखे तो उसे ख़ुश कर दे। जब किसी बात का हुक्म दे तो

Www.IslamicBooks.Website

उसका पालन करे और औरत की जान व माल के मामले में पति जिस चीज़ को नापसन्द करता हो उसमें उसका विरोध न करे।"

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 173. हर मामले में पति की आख़िरत का ख़्याल रखने वाली मोमिना मिसाली पत्नी है।

हज़रत सौबान रज़ि० कहते हैं कि जब सोना चांदी. (जमा करने की चेतावनी) के बारे में आयत उतरी तो सहाबा किराम रज़ि० ने आपस में कहा– "फिर हम कौन सा माल जमा करें? हज़रत उमर रज़ि० ने कहा– "मैं तुम्हारे लिए अभी इस सवाल का जवाब मालूम करता हूं।" अतएव हज़रत उमर रज़ि० अपने ऊंट पर सवार होकर तेज़ी से गए और नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए। मैं (अर्थात हज़रत सौबान रज़ि०) हज़रत उमर रज़ि० के पीछे पीछे था हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! हम कौन सा माल जमा करें?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "तुममें से हरेक को शुक्र अदा करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान, मोमिना पत्नी जो आख़िरत के बारे में तुम्हारी मददगार साबित हो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 174. आदर्श पत्नी बनने के लिए चार अनुसरण योग्य उदाहरण ।

अन अ न सिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ख़ैरु निसा इल आलमी न अरबअ मरयमु बिन्त इमरा न व ख़दीजतु बिन्तु ख़ैलिद व फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मदि व आसियतु इमरातु फिरऔनि०

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "कायनात की सबसे बेहतरीन औरतें चार हैं– 1. हज़रत मरयम बिन्त इमरान रज़ि० 2. हज़रत ख़दीजा बिन्त ख़ैलिद रज़ि० 3. हज़रत फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सल्ल० 4. फ़िरऔन की पत्नी हज़रत आसिया रज़ि०।"

इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

पति के अधिकारों का महत्व

मसला 175. जो औरत अपने पति का हक़ अदा नहीं कर सकती वह अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं कर सकती।

अन अब्दिल्लाहिब्नि अबी ऊफ़ा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिहि ला तुवद्दल मरातु हक़्क़ा रब्बहा हत्ता तुवद्द य हक़्क़ा ज़वजिहा व लव स अ ल ह नफ़्स ह व हिया अला क़ त बिन लम तमन अहु०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ऊफ़ा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है और उस समय तक अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक अपने पति का हक़ अदा न करे। औरत यदि पालान (घोड़े या ऊंट पर बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गद्दी) पर सवार हो और मर्द उसे बुलाए तक भी औरत को इन्कार नहीं करना चाहिए।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 176. किसी औरत के लिए अपने पति के सारे अधिकारों को अदा करना संभव नहीं।

हज़रत अबू सईद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया– "पति का पत्नी पर इतना हक़ है कि यदि पति को घाव आ जाए और पत्नी उसे चाट ले तब भी पति का हक़ अदा नहीं कर सकती।"

इसे हाकिम, इब्ने हिबान, इब्ने अबी शीबा, दारकुतनी और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

मसला 177. पति के अधिकारों को अदा न करने वाली पत्नी के लिए जन्नत की हूरें बददुआ करती हैं।

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब कोई औरत अपने पति को तकलीफ़ पहुंचाती है तो मोटी आंखों वाली हूरों में से उस (भले पति) की पत्नी कहती है अल्लाह तुझे हलाक करे इसे कष्ट न दे। यह कुछ दिनों के लिए तेरे पास है जल्द ही तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

पति के अधिकार

मसला 178. पारिवारिक व्यवस्था की दृष्टि से (ईमान और तक़वा (संयम) की दृष्टि से नहीं) पति की श्रेष्ठ हैसियत (सरबराह) को मान लेना पत्नी पर वाजिब है।

व्याख्या– हदीस मसला 28 में देखें।

मसला 179. अपने साहस और सामर्थ्य के अनुसार पति का आज्ञा पालन और सेवा करना पत्नी पर वाजिब है।

मसला 180. पति पत्नी की जन्नत है या जहन्नम।

हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ि० से रिवायत है कि मुझे मेरी फूफी ने बताया कि मैं किसी काम से रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई तो आपने पूछा– "यह कौन औरत (आयी) है क्या पति वाली है?" मैंने कहा– "हां" फिर आपने मालूम किया– "तेरा अपने पति के साथ कैसा रवैया है?" मैंने अर्ज़ किया– "मैंने कभी उसका आज्ञा पालन और सेवा करने में कसर नहीं छोड़ी। सिवाए उस चीज़ के जो मेरे बस में न हो।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "अच्छा यह बताओ उसकी नज़र में तुम केसी हो? याद रखो वह तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है।" इसे अहमद, तबरानी, हाकिम और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "यदि मैं (अल्लाह के अलावा) किसी दूसरे को सज्दा करने का हुक्म देता तो पत्नी को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा करे।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– जिस मामले में पति अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की अवज्ञा का हुक्म दे उस मामले में पति की आज्ञा मानना वाजिब नहीं। नबी सल्ल० का इर्शाद है– "अर्थात अल्लाह की अवज्ञा के मामले में किसी का आज्ञा पालन जायज़ नहीं।" (मुसनद अहमद)

मसला 181. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया– "औरत के लिए अपने पति की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बिना (नफ़ली) रोज़ा रखना जायज़ नहीं, न ही अपने पति की इजाज़त के बिना किसी (मर्द या औरत) को घर में आने की इजाज़त देना जायज़ है। जो औरत पति की

Www.IslamicBooks.Website

इजाज़त के बिना (घर से मासिक) ख़र्च से अल्लाह की राह में देगी उसके पति को भी आधा सवाब मिलेगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

हज़रत तलक़ बिन अली रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब मर्द पत्नी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि तुरन्त हाज़िर हो जाए चाहे तनूर पर (रोटी ही पका रही) हो।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 182. पति की अनुपस्थिति में उसके धन व माल की हिफ़ाज़त करना पत्नी पर वाजिब है।"

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि० कहते हैं कि मैंने नबी सल्ल० को अन्तिम हज के साल ख़ुत्बा देते हुए सुना। आपने फ़रमाया– "औरत अपने पति के घर से उसकी इजाज़त के बिना कोई चीज़ ख़र्च न करे।" पूछा गया "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! क्या खाना भी न खिलाए?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "खाना तो हमारे मालों में से बेहतरीन माल है अर्थात पति की इजाज़त के बिना खाना भी न खिलाए।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 183. पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन न करे तो पहले उसे समझाने, फिर अपने एकान्तवास में बिस्तर से अलग करने और तीसरे मरहले में हल्की मार मारने की इजाज़त है।

मसला 184. पति की ग़ैर हाज़िरी में उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना पत्नी पर वाजिब है।

हज़रत जाबिर रज़ि० अन्तिम हज का ख़ुत्बा बयान करते हुए रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "लोगो! औरतों पर ज़ुल्म करते हुए अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की ज़मानत पर हासिल किया है और उनका सतर तुम्हारे लिए अल्लाह के हुक्म पर जायज़ हुआ, तुम्हारा औरतों पर यह हक़ है कि वे तुम्हारे बिस्तर पर (अर्थात घर में) किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसे तुम नापसन्द करो। यदि वे ऐसा करें तो उनको ऐसी मार मारने की इजाज़त है जिससे उन्हें सख़्त चोट न लगे।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 185. अच्छे बुरे तमाम हालात में अपने पति का एहसान मन्द और शुक्रगुज़ार रहना पत्नी पर वाजिब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल० ने फ़रमाया– "मैंने आग देखी और आग जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। जहन्नम में मैंने औरतों की संख्या अधिक देखी।" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज किया– "क्यों ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "उनकी नाशुक्री की वजह से।" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया– "क्या वे अल्लाह की नाशुक्री करती है?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "(नहीं बल्कि) वे अपने पतियों की नाशुक्री करती हैं और उनका एहसान नहीं मानती। औरतों का हाल यह है कि यदि उम्र भर तुम उनके साथ एहसान करते रहो फिर तुम्हारी तरफ़ से कोई मामूली सी तकलीफ़ भी उन्हें आ जाए तो कहेंगी मैंने तो तुझसे कभी सुख पाया ही नहीं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

पत्नी के अधिकारों का महत्व

मसला 186. औरत के अधिकारों की क़ानूनी हैसियत वही है जो मर्द के अधिकारों की है।

हज़रत सुलेमान बिन अम्र बिन अहवस रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं जो कि अन्तिम हज के अवसर पर रसूले अकरम सल्ल० के साथ थे कि नबी अकरम सल्ल० ने (एक ख़ुत्बे में) अल्लाह की प्रशंसा एवं स्तुति की और लोगों को उपदेश व नसीहत की। उन्होंने एक हदीस में क़िस्सा भी बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "लोगो! सुनो औरतों के हक़ में भलाई की बात क़ुबूल करो। वे तुम्हारे पास क़ैदियों की तरह हैं ख़बरदार रहो मर्दों के औरतों पर अधिकार (वैसे ही) हैं (जैसे) औरतों के मर्दों पर अधिकार हैं।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 187. औरतों के अधिकार अदा करना वाजिब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "ऐ अब्दुल्लाह! मुझे बताया गया है कि तुम दिन में निरंतर रोज़े रखते हो और रात में निरंतर क़याम (नमाज़ पढ़ते हो) करते हो" मैंने कहा– "हां रसूलुल्लाह! ऐसा ही करता हूं।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "ऐसा न कर, रोज़ा भी रख और छोड़ भी, रात को क़याम भी कर और आराम भी कर। तेरे शरीर का तुझ पर हक़ है तेरी आंख का तुझ पर हक़ है तेरी पत्नी का तुझ पर हक़ है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 188. पत्नी के अधिकार अदा न करना हलाकत का सबब है।

अन अब्दिल्लाहिब्नि उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० कफ़ा इसमन अंय यहबि स अम्मन यमलिकु कुव्वत हु०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "आदमी को (हलाक करने के लिए) इतना गुनाह ही काफ़ी है कि जिसका ख़र्च उसके ज़िम्मे है उसे ख़र्च न दे।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 189. औरत के अधिकार अदा न करना कबीरा (बड़ा) गुनाह है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल०

Www.IslamicBooks.Website

अल्ला हुम्मा इन्नी अहर्रजु हक़्क़ज़्ज़ीफ़ैनि, अल यतीमि वल मरअति०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "ऐ अल्लाह! मैं दो कमज़ोरों का हक़ (मारना) हराम करता हूं यतीम का और औरत का।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 190. पत्नी के हनन किए अधिकारों की अदाएगी क़यामत के दिन पति को करनी होगी।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्ल० क़ाला : ल त वुद्दन्नल हुक़ू क़ इला अहलिहा यवमल क़ियामति हत्ता युक़ादु लिश्शातिल जलहाई मिनश्शतिल क़रना०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "क़यामत के दिन एक दूसरे के अधिकार अवश्य अदा करने पड़ेंगे यहां तक कि (यदि सींग वाली बकरी ने बे सींग वाली बकरी को मारा होगा तो) सींग वाली बकरी से बे सींग वाली बकरी का बदला भी लिया जाएगा।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– जानवरों के लिए यद्यपि अज़ाब व सवाब नहीं लेकिन क़यामत के दिन एक दूसरे के अधिकार दिलवाने के लिए एक बार जानवरों को ज़िन्दा किया जाएगा। इससे एक दूसरे के अधिकारों के महत्व का पता चलता है।

मसला 191. पत्नी पर ज़ुल्म करने से बचना चाहिए।

अनिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इत्त क़ू दावतल मज़लू म फ़ इन्न हा तसअदु इलस्समाई क अन्नहा शरा र तन०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "मज़लूम की बददुआ से बचो, मज़लूम की बददुआ (इस तेज़ी से) आसमानों पर पहुंचती है जिस तेज़ी से आग का शोला बुलन्द होता है।"

इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

पत्नी के अधिकार

मसला 192. भरण पोषण औरत का अधिकार है जिसे स्वेच्छा से अदा करना मर्द पर वाजिब है।

हज़रत हकीम बिन मुआवियह रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्ल० से सवाल किया– "पत्नी का पति पर कया अधिकार है?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "जब तू स्वयं खाए तो उसे भी खिलाए। जब स्वयं पहने तो उसे भी पहनाए, चेहरे पर न मारे, गाली न दे (कभी अलग करने की ज़रूरत पड़े तो) अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह अलग न करे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 193. मेहर औरत का अधिकार है जिसे अदा करना पति के ज़िम्मे वाजिब है।

व्याख्या– हदीस मसला 77 देखिए।

मसला 194. मां-बाप के बाद सबसे अधिक सदव्यवहार की हक़दार कौन पत्नी है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० अकमलुल मोमिनी न ईमानन अह सनुहुम ख़ुलक़न व ख़ियारुकुम ख़ियारुकुम लिनिसाइहिम०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "ईमान की दृष्टि से कामिल मोमिन वह है जो आचरण में सबसे अच्छा है और तुममें से बेहतर वह व्यक्ति है जो अपनी पत्नियों के लिए बेहतर हो।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "(यदि) एक दीनार तुमने अल्लाह की राह में दिया, एक ग़ुलाम आज़ाद कराने में दिया, एक दीनार मिसकीन को दिया और एक अपने घर वालों पर ख़र्च किया। इन सब में सवाब की दृष्टि से घर वालों पर ख़र्च किया गया दीनार सबसे श्रेष्ठ है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अन अमरिब्नि उमय्यतज़्ज़ म रिय्या रज़ियल्लाहु अन्हु अला रसूलल्लाहि सल्ल० क़ाला : मा अअतर्रजुलु इमरातहू फ़ हु व स द क़तन०

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "पति पत्नी पर जो ख़र्च करता है वह भी सदक़ा है।"

इसे अहमद ने रिवायत किया है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ला यफ़र कु मोमिनम्मोमिनतन इन्ना करि ह मिन्हा ख़ुलक़न रज़ि य मिन्हा आ ख़ र०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "कोइ मोमिन व्यक्ति किसी मोमिन औरत से बैर न रखे। यदि औरत की एक आदत नापसन्द होगी तो कोई दूसरी आदत पसन्द होगी।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अन अब्दिल्लाहिब्नि ज़म अ त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : ला यजलिद अ ह दुकुम इमरा तहू जिलदल अब्दि सुम्मा युजामिअु ह फ़ी आख़िरिल यवमि०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मअह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "कोई आदमी अपनी पत्नी को लौंडी की तरह न मारे और फिर रात को उससे संभोग करने लगे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 195. औरत के जिन्सी अधिकार अदा करना मर्द पर वाजिब है।

हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ि० कहते हैं मैंने साअद बिन अबी वक़ास रज़ि० को कहते सुना कि रसूले अकरम सल्ल० ने हज़रत उसमान बिन मज़ऊन रज़ि० को औरतों से अलग रहने की इजाज़त न दी। यदि आप हज़रत उसमान रज़ि को इजाज़त दे देते तो हम (कोई दवा आदि खाकर) अपने आपको ना मर्द कर लेते।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– इस बारे में और अधिक आदेश जानने के लिए किताबुत्तलाक़ में ईला के अहकाम में देखें।

मसला 196. पत्नी को क़ुरआन व हदीस की शिक्षा देना और अल्लाह से डरते रहने की ताकीद करते रहना मर्द पर वाजिब है।

अन मुआज़िब्नि ज ब लिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन्नबिय्या क़ाला : अनफ़िक़ू अला अयालि क मिन तवलि क वला तरफ़अ अन्हुम असा क अ द ब्बन व अख़िफ़हुम०

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "अपनी हैसियत के अनुसार अपने परिवार पर ख़र्च करो और उन्हें शिक्षा देने के लिए धड़ी से बे नियाज़ न हो और उन्हें अल्लाह से डरने की ताकीद

Www.IslamicBooks.Website

करते रहो।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

अन अलिय्यिब्नि तालिबिन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी क़वलिहि अज़्ज़ो जल्ला (क़ू अन्फ़ुसकुम व अहली कुम नारन० 6-66) क़ाला अल्लमू अन्फ़ुस कुम व अहलीकुमुल ख़ैरा०

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० अल्लाह का इर्शाद "और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।" (सूरह तहरीम - 6) के बारे में फ़रमाते हैं कि भलाई की बातें स्वयं भी सीखो और अपने घर वालों को भी सिखाओ।"

इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 197. पत्नी का सम्मान और सतीत्व की सुरक्षा करना मर्द (पति) पर वाजिब है।

अनिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० सला स तन ला यदख़ुलूनल जन्न त अल आक़्क़ु लि वालिदयहि वददय्यूसु व रजलतुन्निसाई०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "तीन आदमी जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे– 1. मां-बाप का अवज्ञाकारी 2. दय्यूस 3. औरतों की शक्ल व सूरत अख़्तियार करने वाले मर्द।"

इसे हाकिम और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– दय्यूस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी पत्नी के पास ग़ैर मर्द आएं और उसे ग़ैरत महसूस न हो।

हज़रत साअद बिन उबादा रज़ि० ने कहा– "यदि मैं अपनी पत्नी को किसी ग़ैर मेहरम के साथ देख लूं तो तलवार की धार से उसकी गर्दन उड़ा दूं। नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "क्या तुम लोग साअद की ग़ैरत पर हैरत करते हो? (अर्थात वह बहुत ग़ैरतमन्द इन्सान है) लेकिन मैं इससे अधिक ग़ैरतमंद हूं और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ग़ैरतमन्द है (अर्थात अल्लाह कोई हराम काम पसन्द नहीं करता)।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 198. यदि एक से अधिक पत्नियां हों तो उनके बीच न्याय करना मर्द पर वाजिब है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि क़ाला : मन कानत लहुम रातानि फ़ माला इला इहदाहुमा जा अ यवमल क़ियामति व शिक़्क़ुहू माइलुन०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ने

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया– "जिस व्यक्ति की दो पत्नियां हों और वह इन दोनों में से किसी एक की तरफ़ झुक जाए (अर्थात दोनों में न्याय से काम न ले) वह क़यामत के दिन इस हाल में (क़ब्र से उठकर) आएगा कि उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा। (अर्थात फ़ालिज से प्रभावित)। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

पति पत्नी के एक दूसरे पर संयुक्त अधिकार

मसला 199. भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे को ताकीद करना और रग़बत दिलाना दोनों पर वाजिब है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "उस मर्द पर अल्लाह दया करे जो रात को उठे और नफ़िल अदा करे, अपनी पत्नी को जगाए और वह भी नफ़िल अदा करे और यदि पत्नी उठने में सुस्ती करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे जगाए। अल्लाह रहम फ़रमाए उस औरत पर जो रात के समय उठे, नफ़िल पढ़े और अपने पति को भी जगाए और वह नफ़िल पढ़े और यदि पति उठने में सुस्ती करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे जगाए।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 200. दाम्पत्य जीवन के भेद व रहस्य न खोलना दोनों पर वाजिब है।

अन अबी सईदिनिल ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० इन्ना मिन अशर्रन्नासि इन्दल्लाहि मन्ज़िल त यवमल क़ियामतिर्रजुलु युफ़ज़ी इला इम र अ तिहि व तुफ़ज़ी इलैहि सुम्मा यन्शुरु सिर्रिहा०

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "क़यामत के दिन अल्लाह के निकट सबसे अधिक बुरा व्यक्ति वह होगा जो अपनी पत्नी के पास जाए और पत्नी उसके पास आए और फिर वह अपनी पत्नी की राज़ की बातें लोगों को बताए।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 201. अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना दोनों पर वाजिब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "तुममें से हर व्यक्ति शासक है और अपनी जनता के बारे में जवाब देह है। मर्द अपने घर वालों पर शासक है। और औरत अपने पति के घर और उसकी सन्तान पर शासक है। तो हर व्यक्ति हाकिम है और अपनी अपनी जनता के बारे में जवाब देह है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

ग़ैर-मुस्लिम पति पत्नी में से किसी एक का मुसलमान होना

मसला 202. काफ़िर पति पत्नी में से जब कोई एक पक्ष मुसलमान हो जाए तो उनका निकाह टूट जाता है। मुसलमान औरत काफ़िर पति के लिए हलाल नहीं रहती और मुसलमान मर्द के लिए काफ़िर औरत हलाल नहीं रहती।

मसला 203. जो शादी शुदा औरत मुसलमान होकर दारुल कुफ्र से (ग़ैर इस्लामी देश) दारुल इस्लाम में हिजरत कर आए उसका निकाह आप से आप टूट जाता है और वह "इसतब रा रहम" (इसका मतलब यह है कि रहम के ख़ाली होने का पता लगाना।)

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं तो (उनके मोमिन होने की) जांच पड़ताल करो और उनके ईमान की हक़ीक़त अल्लाह जानता है फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वे मोमिन हैं तो उनको काफ़िरों की ओर वापस न करो। न वे काफ़िरों के लिए हलाल हैं न काफ़िर उनके लिए हलाल हैं। उनके काफ़िर पतियों ने जो मेहर उनको दिए थे वे उनको वापस कर दो और उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं बशर्ते कि तुम उनको उनके मेहर अदा कर दो। तुम स्वयं भी काफ़िर औरतों को अपने निकाह में न रोके रखो और जो मेहर तुमने अपनी काफ़िर पत्नियों को दिए थे, वे तुम वापस मांग लो और जो मेहर काफ़िरों ने अपनी पत्नियों को (जो मुसलमान हो चुकी हैं) को दिए उन्हें वापस मांग ले। यह अल्लाह का हुक्म है। वह तुम्हारे बीच फ़ैसला करता है और वह अलीम व हकीम है।"

(सूरह मुमतहिना-10)

व्याख्या— 1. दारुल कुफ्र से आने वाली मुसलमान औरतों को निकाह के समय उस मेहर से अलग मेहर अदा करना होगा जो इस्लामी शासन दारुल कुफ्र के काफ़िर पतियों को वापस करेगी।

2. यदि मुसलमान होने वाले पति की पत्नी ईसाई और यहूदी (अर्थात किताब वालों में से) हो और वह अपने दीन पर क़ायम रहे तब भी पति पत्नी का निकाह बाक़ी रहेगा।

मसला 205. शिर्क करने वाला या इन्कारी पति पत्नी एक साथ दोनों

Www.IslamicBooks.Website

मुसलमान हो जाएं या आगे पीछे कुछ समय से मुसलमान हों तो उनका पारिवारिक संबंध जिहालत के ज़माने के निकाह पर ही क़ायम रहता है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० रद्दा इब्न त हु अला अबिल आसिब्निर्रबीअि बअद स न तयनि बिनिका हि ह अल अव्वलि०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपनी बेटी (हज़रत ज़ैनब) को (उनके पति) हज़रत अबुल आस बिन रबीअ के पास दो साल बाद (जब वे मुसलमान हुए) (पहले निकाह के आधार पर ही वापस लौटा दिया।") इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

दूसरे निकाह के मसाइल

मसला 206. एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा चार पत्नियां रखने की इजाज़त है।

मसला 207. चार पत्नियों की इजाज़त न्याय के साथ जुड़ी हुई है न्याय करना किसी कारणवश संभव न हो तो फिर एक पत्नी रखने का हुक्म है।

फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़ वाहिदतन अव मा मल कत अयमानुकुम ज़ालि क अल्ला तअूलू०

"और यदि तुम यतीमों के साथ अन्याय करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसन्द आएं उनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो लेकिन यदि तुम्हें डर हो कि इनके साथ न्याय न कर सकोगे तो फिर एक ही पत्नी करो या उन लौंडियों पर ही सब्र करो जो तुम्हारे क़ब्ज़े में आयी हुई हैं यह अधिक बेहतर है इस बात से कि तुम अन्याय न करो।" (सूरह निसा-3)

मसला 208. कुंवारी औरत के साथ दूसरा निकाह किया हो तो उसके साथ निरंतर सात दिन रात रहने की इजाज़त है इसके बाद दोनों की बराबर बारी निर्धारित करनी चाहिए।

मसला 209. विधवा औरत से दूसरा निकाह किया हो तो उसके पास निरंतर तीन दिन रात रहने की इजाज़त है इसके बाद दोनों की बराबर बारी निर्धारित करनी चाहिए।

अन अ न सिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : मिनस्सुन्नति इज़ा तज़व्व जर्रजुलुल बिक र अलस्सैबि अकामा अिन्द ह सब अन व क़-स-म व इज़ा

Www.IslamicBooks.Website

तज़व्वजस्सै ब अलल बिकरि अक़ा म अिन्दहा सलासन सुम्मा क़-स-म०

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि सुन्नत यह है कि जब आदमी विधवा से निकाह करने के बाद (उसकी मौजूदगी में) कुंवारी से निकाह करे तो कुंवारी के पास निरंतर सात दिन रात और फिर बारी निर्धारित करे और जब कुंवारी के होते हुए दूसरा निकाह विधवा से करे तो उसके पास निरंतर तीन दिर रात रहे और फिर बारी निर्धारित करे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 210. अपनी सौतन को जलाने के लिए कोई ऐसी बात कहना जो सत्यता के विरुद्ध हो जायज़ नहीं।

हज़रत असमा बिन्त अबू बक्र रज़ि० से रिवायत है कि एक औरत रसूले अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और कहा– "मेरी एक सौतन है यदि मैं उसका दिल जलाने के लिए झूठ कहूं कि मेरे पति ने मुझे फ़लां फ़लां चीज़ें दी हैं तो क्या मुझ पर गुनाह होगा?" आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया– "जो व्यक्ति ऐसी चीज़ मिलने का दावा करे जो वास्तव में उसे नहीं मिली वह व्यक्ति झूठ के दो कपड़े ओढ़ने वाला है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 211. यदि एक पत्नी आपसी समझौते व सुख शान्ति के लिए स्वयं अपना कोई अधिकार पति को माफ़ करना चाहे तो कर सकती है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सौदा बिन्त ज़मअह रज़ि० ने अपनी बारी का दिन हज़रत आइशा रज़ि० को हिबाह कर दिया था अतएव नबी अकरम सल्ल० हज़रत आइशा रज़ि० के पास हज़रत आइशा रज़ि० और हज़रत सौदा रज़ि० दोनों की बारी का दिन क़याम फ़रमाते।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 212. समान अधिकारों वाले मामलों में किसी एक पत्नी के अधिकार में फ़ैसला करना मुश्किल हो तो सारी पत्नियों की रज़ामन्दी से क़ुरआ द्वारा फ़ैसला करना चाहिए।

अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नन्नबिय्या काना इज़ा अरादा सफ़रन अक़रअु बै न निसाइहि०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी पत्नियों के बीच (किसी एक को साथ ले जाने के लिए) क़ुरआ डालते।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 213. किसी एक पत्नी के साथ अधिक मुहब्बत होना निन्दनीय बात नहीं। जब तक सारी पत्नियों के बाक़ी अधिकारों (जैसे रहना सहना, खाना, पहनाना, ख़र्च देना निर्धारित बारी पर क़याम करना आदि) समान तरीक़े से अदा होते रहें।

अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु द ख़ ल अला हफ़ स त रज़ियल्लाहु अन्हा फ़क़ाला : या बुनय्यतु ला यग़ुर्रन्नकि हाज़िहिल्लती अअ ज ब ह हुसनुहा व हुब्बु रसूलिल्लाहि इय्या ह०

हज़रत उमर रज़ि० से रिवायत है कि वह (अपनी बेटी और उम्मुल मोमिनीन) हज़रत हफ़सा रज़ि० के पास आए और फ़रमाया– "ऐ मेरी बेटी! इस औरत (अर्थात हज़रत आइशा रज़ि०) के बारे में भूल में न रहना जिसे अपनी सुन्दरता एवं हुस्न और रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत पर गर्व है।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 214. दूसरे निकाह के लिए पहली पत्नी से इजाज़त लेना सुन्नत से साबित नहीं।

लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन ह स न तुन०

तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्ल० का जीवन सबसे अच्छा नमूना है

मसला 215. रसूले अकरम सल्ल० और पाक पत्नियों के आपसी प्यार व मुहब्बत की एक दिलचस्प घटना–

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब किसी सफ़र पर रवाना होते तो पाक पत्नियों में क़ुरआ डालते। एक बार क़ुरआ हज़रत आइशा रज़ि० और हज़रत हफ़सा रज़ि० दोनों के नाम निकला (तो दोनों साथ हो गयीं) सफ़र के दौरान रसूले अकरम सल्ल० (का तरीक़ा था) रात के समय चलते चलते (पाक पत्नियों से) बातें किया करते (इस सफ़र में) हज़रत हफ़सा रज़ि० ने हज़रत आइशा रज़ि० से (मज़ाक़ के रूप में) कहा "आज रात तुम मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊंट पर सवार हो जाती हूं। ज़रा तुम भी देखो (क्या होता है) और मैं भी देखती हूं। अतएव हज़रत आइशा रज़ि० हज़रत

Www.IslamicBooks.Website

हफ़सा रज़ि० के ऊंट पर सवार हो गयीं।

रसूले अकरम सल्ल० रात के समय (रोज़ की तरह) हज़रत आइशा रज़ि० के ऊंट की तरफ़ आए यद्यपि इस ऊंट पर हज़रत हफ़सा रज़ि० सवार थीं आपने हज़रत हफ़सा को सलाम किया (लेकिन पहचान न पाए) और चलते गए यहां तक कि अपनी मन्ज़िल पर पहुंच गए और इस तरह हज़रत आइशा रज़ि० उस रात आपकी समीपता से महरूम रह गयीं। अतएव जब मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो हज़रत आइशा रज़ि० ने अपने दोनों पांव अज़ख़र घास में डाले और कहने लगीं– "ऐ अल्लाह! कोई सांप या बिच्छू भेज दे जो मुझे काट खाए। इन्हें (अर्थात नबी सल्ल० को) तो मैं कुछ नहीं कह सकती।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 216. पति पत्नी के राज़ की बात–

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझसे फ़रमाया– "जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज़ होती हो तब भी पता चल जाता है।" हज़रत आइशा रज़ि० ने पूछा– "वह कैसे?" आप (सल्ल०) ने फ़रमाया– "जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो मुझसे इस तरह बात करती हो मुहम्मद के रब की क़सम और जब नाराज़ होती हो तो इस तरह करती हो इबराहीम के रब की क़सम।' हज़रत आइशा रज़ि० ने कहा 'हां ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुदा की क़सम सिवाए नाराज़ी की हालत में आपका नाम कभी छोड़ना पसन्द नहीं करती।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 217. मुहब्बत प्रकट करने का एक अनोखा अन्दाज़–

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० क़ब्रस्तान बक़ीअ से (एक जनाज़ा पढ़कर) वापस आए तो मेरे सर में सख़्त दर्द था। मैंने कहा– "हाय मेरा सर फटा जा रहा है।" आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया– "तेरा नहीं बल्कि मेरा सर फटा जा रहा है।" फिर फ़रमाया– "आइशा! यदि तू मुझसे पहले अल्लाह को प्यारी हो गयी तो तुम्हारे सारे काम मैं स्वयं करूंगा, तुझे ग़ुस्ल दूंगा, तुझे कफ़न पहनाऊंगा, तेरी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाऊंगा, और स्वयं तेरी तदफ़ीन करूंगा।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं मासिक धर्म की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी करीम सल्ल० को दे देती। आप बर्तन से उसी जगह मुंह रख कर पानी पीते जहां से मैंने मुंह रख कर पिया होता। हडडी से गोश्त खाकर

Www.IslamicBooks.Website

नबी अकरम सल्ल० को देती तो आप उसी जगह से खाते थे जहां से मैंने खाया होता।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 218. नबी सल्ल० के घर में सौतनों की नाज़ बरदारी—

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० अपनी बारी के अनुसार एक पाक पत्नी के यहां ठहरे हुए थे इतने में एक दूसरी पाक पत्नी ने एक बर्तन में खाना भेजा। घर वाली पाक पत्नी ने (खाना लाने वाले) सेवक के हाथ पर चोट मारी और बर्तन नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। नबी अकरम सल्ल० ने बर्तन के टुकड़े जमा किए और फिर खाना इकट्ठा करने लगे और (वहां मौजूद लोगों को सम्बोधित करके) फ़रमाया— "तुम्हारी मां को (सौकनापे की) ग़ैरत आ गयी।" फिर आपने सेवक को रोका और बर्तन तोड़ने वाली पाक पत्नी के घर से नया बर्तन लेकर सेवक के हवाले किया और टूटा हुआ बर्तन उसी घर में रहने दिया जहां वह टूटा था।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला कि (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है। हज़रत सफ़िया रज़ि० (यह सुनकर) रोने लगीं। नबी अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए तो हज़रत सफ़िया रज़ि० रो रही थीं। आपने पूछा "सफ़िया! क्यों रो रही हो?" हज़रत सफ़िया रज़ि० ने कहा— "हफ़सा ने मुझे कहा है कि मैं यहूदी की बेटी हूं।" नबी करीम सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया— "तुम तो नबी की बेटी हो (तात्पर्य है हज़रत मूसा अलैहि०) और तुम्हारे चचा नबी हैं (तात्पर्य हैं हज़रत हारून अलैहि०) और तुम नबी की पत्नी हो (तात्पर्य है स्वयं नबी करीम सल्ल०, इतनी श्रेष्ठता के बावजूद) आख़िर वह (अर्थात हज़रत हफ़सा रज़ि०) किस बात पर तुमसे गर्व जताती है।?" फिर आपने (हज़रत हफ़सा रज़ि० को सम्बोधित करके) फ़रमाया "हफ़सा! अल्लाह से डरो (आगे ऐसी बात मत कहना)।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

व्याख्या— याद रहे हज़रत हफ़सा रज़ि० हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० की बेटी थीं और हज़रत सफ़िया रज़ि० यहूदी सरदार हई बिन अख़तब की बेटी थीं।

मसला 219. पाक पत्नियों की नाज़ुक मिज़ाजी

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० (सफ़र के दौरान) अपनी पाक पत्नियों के पास तशरीफ़ लाए। ऊंटों को हांकने वाला व्यक्ति ऊंटों को (तेज़ तेज़) हांक रहा था जिस का नाम अंजशा था आपने

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया "अंजशा! तेरे लिए ख़राबी हो ऊंटों को धीरे धीरे चला (सवार महिलाओं को) आबगीने समझ कर (कहीं टूट न जाएं)"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

हराम रिश्ते

मसला 220. हराम रिश्ते दो तरह के हैं–

1. स्थायी हराम रिश्ते
2. अस्थायी हराम रिश्ते

स्थायी हराम रिश्ते

मसला 221. स्थायी हराम रिश्तों के तीन कारण हैं– 1. नसब (ख़ून का रिश्ता) 2. मुसाहेरत (सुसराली रिश्ता) 3. रज़ाअत (दूध का रिश्ता)।

मसला 222. नसबी (ख़ूनी) संबंधों के कारण हराम होने वाले रिश्ते सात हैं– मुसाहेरत (शादी के कारण) हराम होने वाले रिश्ते भी सात हैं।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हुर्र म मिनन्न स बि सबउन व मिनस्सहरि सबउन सुम्मा क़ र अ हुर्रमत अलैकुम उम्म हातुकुम०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि नसब के कारण सात रिश्ते हराम हैं और सुसराल (शादी) के कारण भी सात रिश्ते हराम हैं फिर आपने यह आयत तिलावत की– "हराम की गयी तुम्हारी माएं.....।" (आख़िर आयत तक) इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 223. मां (दादी व नानी सगी हो या सौतेली) बेटी (पोती व नवासी) बहन (सगी हो या सौतेली) फूफी (सगी हो या सौतेली) ख़ाला (सगी हो या सौतेली) भतीजी (सगी हो या सौतेली) भांजी (सगी हो या सौतेली) से निकाह करना हराम है।

मसला 224. बाप दादा और नाना की मन्कूहा, पत्नी की मां, दादी और नानी, मदख़ूला पत्नी की पहले पति से बेटियों, सगे बेटे पोते और नवासे की पत्नी से निकाह हराम है।

मसला 225. दूध पिलाने वाली औरत (रज़ाई मां) और उसकी बेटी (रज़ाई बहन रज़ाई बहन की बेटी सहित) से निकाह हराम है।

Www.IslamicBooks.Website

"तुम पर हराम की गयीं तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां, फूफियां, ख़ालाएं, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी पत्नियों की माएं और तुम्हारी पाली पोसी वे लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं तुम्हारी उन पत्नियों से जिनसे तुम्हारा संबंध पति व पत्नी का हो चुका हो और चाहे (केवल निकाह हुआ हो और) संबंध पति पत्नी वाला न हुआ हो तो (उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में) तुम पर कोई पकड़ नहीं है और तुम्हारे उन बेटों की पत्नियां जो तुम्हारे नुत्फ़े से हों और यह भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो मगर जो पहले हो गया तो हो गया अल्लाह बख़्शने वाला और दया करने वाला है।" (सूरह निसा-23)

मसला 226. दूध पिलाने से वैसे ही हराम रिश्ते क़ायम हो जाते हैं जैसे पैदाइश से स्थापित होते हैं जो रिश्ते जन्म के कारण हराम हैं वही रिश्ते दूध पिलाने के कारण से भी हराम हैं।"

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० यहरुमु मिनर्रज़ा अति मा यहरुमु मिनल विलादति०

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जो रिश्ता जन्म के कारण हराम होता है वही रज़ाअत (दूध पिलाने) से हराम होता है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– उपरोक्त हदीस की रोशनी में उल्लिखित सारे रिश्ते हराम हैं– 1. दूध पिलाने वाली मां 2. दूध शरीक बहन 3. दूध शरीक फूफी 4. दूध शरीक ख़ाला 5. दूध शरीक बेटी 6. दूध शरीक भतीजी 7. दूध शरीक भांजी।

मसला 227. कम से कम पांच बार छाती चूसने से रज़ाअत (दूध पीना) साबित होती है इससे कम हो तो रज़ाअत साबित नहीं होती।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा इन्न हा क़ालत : न ज़ ल फ़िल क़ुरआनि अशरु रज़ आतिन माअलूमातिन सुम्मा न ज़ ल अयज़न ख़मसुन माअलूमातुन०

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि क़ुरआन मजीद में (हुरमत रज़ाअत के लिए) दस बार (छाती) चूसने का हुक्म उतरा (जो बाद में निरस्त हो गया) फिर पांच बार चूसने का हुक्म उतरा (उसका पढ़ना निरस्त हो गया लेकिन हुक्म बाक़ी है)। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अन आइशाता रज़ियल्लाहु अन्हा अनिन्नबिय्यि क़ाला : ला तुहर्रमुल

Www.IslamicBooks.Website

मस्सतु वला मस्सतानु०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया– "एक या दो बार दूध चूसने से हुरमत साबित नहीं होती।"

इसे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

व्याख्या– याद रहे कि बच्चे का छाती मुंह में लेकर दूध पीना और छाती से मुंह हटाकर ठहरना एक बार दूध पीना है इस तरह ठहर ठहर कर पांच बार दूध पीने से हुरमत साबित होगी। एक या दो बार पीने से हुरमत साबित नहीं होती।

मसला 228. दो साल की उम्र तक दूध पीने से हुर्मत रज़ाअत साबित होती है इसके बाद नहीं।

अन उम्मे सल मता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ला युहर्रमु मिनर्रज़ाअति इल्ला मा फ़ त क़ल अमआ फ़िस्सदयि व काना क़ब्लल फ़ितामि०

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जब तक बच्चा इतना दूध न पिए जो आंतों को भर दे रज़ाअत साबित नहीं होती। इसी तरह जब तक बच्चा दूध छुड़ाने से पहले पहले दूध न पिए रज़ाअत साबित नहीं होती।" इसे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

व्याख्या– रज़ाअत से केवल दूध पीने वाले आदमी पर निकाह हराम होता है दूध पीने वाले का भाई दूध पिलाने वाली या उसकी मां या उसकी बेटी से निकाह कर सकता है इसी तरह दूध पीने वाले की बहन दूध पिलाने वाली औरत के पति या उसके बाप या उसके बेटे से निकाह कर सकती है।

अस्थायी रिश्ते

मसला 229. पत्नी की सगी (या सौतेली) बहन को एक निकाह में जमा करना हराम है।

हज़रत ज़हहाक बिन फ़ीरोज़ दैलमी रज़ि० अपने बाप से बयान करते हैं कि उनका बाप नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैं इस्लाम लाया हूं और मेरे निकाह में दो बहनें हैं।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "दोनों में से एक जिसे चाहते हो पसन्द कर लो और दूसरी को तलाक़ दे दो।" इसे इब्ने माजा और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 230. पत्नी और उसकी फूफी या ख़ाला को एक निकाह में जमा करना हराम है।

अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : न हा रसूलुल्लाहि अन तुनकहल मरअतु अला अम्मतिहा अव ख़ालतिहा०

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने औरत और उसकी फूफी और ख़ाला को एक निकाह में जमा करने से मना फ़रमाया है।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 231. निकाह वाली औरत से निकाह करना हराम है।

व्याख्या– आयत मसला 39 में इसे देख सकते हैं।

मसला 232. इद्दत के दौरान तलाक़ शुदा या विधवा से निकाह करना हराम है।

व्याख्या– आयत मसला 53 में इसे देख सकते हैं। इद्दत गुज़र जाने के बाद तलाक़ शुदा या विधवा से निकाह जायज़ है।

मसला 233. तीन तलाक़ें अलग अलग मज्लिसों में देने के बाद अपनी तलाक़ शुदा पत्नी से दोबारा निकाह करना हराम है।

व्याख्या– तलाक़ शुदा औरत किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह कर ले और वह व्यक्ति संभोग के बाद अपनी इच्छा से उसे तलाक़ दे दे तो फिर वह औरत इद्दत के बाद दोबारा अपने पहले पति से निकाह कर सकती है।

मसला 234. पाक दामन मर्द या औरत का ज़ानिया औरत या ज़ानी मर्द से निकाह हराम है।

व्याख्या– आयत मसला 23 में देख सकते हैं। ज़ानिया औरत या ज़ानी मर्द तौबा कर ले तो उससे पाक दामन औरत या पाक दामन मर्द का निकाह जायज़ है।

मसला 235. मोमिन मर्द या मोमिन औरत का मुश्रिक मर्द या मुश्रिक औरत से निकाह करना हराम है।

व्याख्या– आयत मसला 36 के तहत देख लें। मुश्रिक औरत या मर्द तौबा कर लें और इस्लाम क़ुबूल कर लें तो उनका आपस में निकाह जायज़ है।

मसला 236. मुंह बोले बेटे से हमेशा की या अस्थायी हुरमत निकाह साबित नहीं होती।

व्याख्या– आयत मसला 44 के तहत देखिए।

Www.IslamicBooks.Website

आने वाले बच्चे के अधिकार

मसला 237. लड़के की पैदाइश पर अप्राकृतिक ख़ुशी और बच्ची की पैदाइश पर दुख व्यक्त करना उचित नहीं।

हज़रत अहनफ़ रहिम० के चचा हज़रत सअसा रहिम० कहते हैं कि एक औरत हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सेवा में हाज़िर हुई। उसके साथ उसकी दो बेटियां थीं। हज़रत आइशा रज़ि० ने उस औरत को कुछ खजूरें दीं तो उसने दो खजूरें अपनी दोनों बेटियों को एक एक दे दी और फिर तीसरी भी दोनों को आधी आधी बांट दी। नबी अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए तो मैंने (अर्थात आइशा रज़ि० ने) यह घटना आपको बतायी तो आपने इर्शाद फ़रमाया– "क्या तुम इस पर हैरत कर रही हो? यह औरत (अपनी बेटियों से) इस (सदव्यवहार के कारण) जन्नत में दाख़िल होगी।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमात हुए सुना– "जिस व्यक्ति की तीन बेटियां हों और वह उन पर सब्र करे उन्हें खिलाए पिलाए और अपनी ताक़त भर उन्हें पहनाए क़ियामत के दिन वे लड़कियां उसके लिए आग से रुकावट बनेंगी।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जिसने दो लड़कियों को बालिग़ होने तक पाला पोसा (उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की, निकाह आदि किया) क़ियामत के दिन मैं और वह इस तरह (इकट्ठे) आएंगे और आपने अपनी उंगलियों को आपस में मिलाया।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 238. पैदाइश के बाद बच्चे के दोनों कानों में अज़ान देनी चाहिए।

हज़रत राफ़ेअ रज़ि० कहते हैं "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को हज़रत हसन बिन अली के कान में नमाज़ वाली अज़ान देते हुए देखा है। जब वे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां पैदा हुए थे।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 239. पैदाइश के सातवें दिन बच्चे के नाम का ऐलान करना चाहिए। उसके सर के बाल मुंडवाने चाहिए और उसका अक़ीक़ा करना चाहिए।

अन सम र त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० अल

Www.IslamicBooks.Website

ग़ुलामु मुरतहन्नु बि अक़ीक़तिहि युज़बहु अन्हु यवमस्साबिअि व युसम्मा व युहलकु रासुहू०

हज़रत समरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "बच्चा अक़ीक़े के बदले रहन होता है अतः उसकी तरफ़ से सातवें दिन जानवर ज़िब्ह किया जाए उसका नाम रखा जाए और उसका सर मूंडा जाए।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 240. लड़के के अक़ीक़े में दो जानवर (भेड़ या बकरी) लड़की के अक़ीक़े में एक जानवर ज़िब्ह करना चाहिए।

हज़रत उम्मे कर्ज़ रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से अक़ीक़ा के बारे में सवाल किया तो आपने इर्शाद फ़रमाया– "लड़के की ओर से दो बकरियां और लड़की की ओर से एक बकरी है चाहे नर हो या मादा इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।"

इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 241. अक़ीक़ा सातवें दिन, चौदहवें या इक्कीसवें दिन करना मसनून है।

हज़रत बुरीदा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "अक़ीक़ा सातवें, चौदहवें या इक्कीसवें दिन करना चाहिए।"

इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

व्याख्या– यदि किसी कारण सातवें, चौहदवें या इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा न किया जा सके तो फिर उम्र भर में किसी भी समय किया जा सकता है।

मसला 242. पैदाइश के बाद किसी भले आदमी से कोई मीठी चीज़ चबवाकर बच्चे के मुंह में डालनी चाहिए।

हज़रत अबू मूसा रज़ि० फ़रमाते हैं कि मेरे यहां बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे लेकर नबी करीम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ तो आपने उसका नाम इबराहीम रखा और एक खजूर चबाकर उसके मुंह में डाली। उसके लिए बरकत की दुआ की और बच्चा मुझे वापस कर दिया।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 243. पैदाइश के बाद लड़के का ख़त्ना करना भी मसनून है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया– "पांच बातें प्रकृति से हैं– 1. ख़त्ना करना 2. नाफ़ (नाड़ी) के नीचे के बाल साफ़ करना 3. बग़ल के बाल उखाड़ना 4. नाख़ुन काटना और 5. मूंछे

Www.IslamicBooks.Website

कतरवाना।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 244. अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान अल्लाह के निकट सबसे ज़्यादा पसन्दीदा नाम हैं।

अनिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० अन्ना अहब्बा असमाइकुम इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमानि०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "तुम्हारे नामों में से अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्रिय नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 245. बुरे नाम बदल देने चाहिए।

अन अब्दिल्लाहिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नबतन लि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हु कानत युक़ालु लहा आसियतु फ़ सम्मा ह रसूलल्लाहि ज़मील तन०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ि० की एक बेटी का नाम आसिया (अवज्ञाकारी) था आपने उसका नाम जमीला (नेक सीरत और सुन्दर) रख दिया।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 246. औलाद को दीनी शिक्षा देना वाजिब है।

अन अ न सिब्नि मालिकिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० तलबुल इल्मु फ़रीज़तन अला कुल्लु मुस्लिमिन०

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "हर पैदा होने वाला बच्चा प्रकृति (इस्लाम) पर पैदा होता है उसके मां-बाप उसे यहूदी या ईसाई या अग्नि पूजक बना देते हैं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

मां-बाप के अधिकार

मसला 247. मां-बाप को हर हाल में राज़ी रखने का हुक्म है।

अनिब्नि उ म र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० रिज़र्ब्ब फ़ी रिज़ल वालिदैनि व स ख़ तुहू फ़ी स ख़ तिहा०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "रब की रज़ा मां-बाप की रज़ा में है और अल्लाह का गुस्सा मां-बाप के गुस्से में है।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 248. मां-बाप की अवज्ञा क़बीरा (बड़ा) गुनाह है।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं?" सहाबा किराम रज़ि० ने कहा "क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! (ज़रूर बताइए)" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "अल्लाह के साथ शिर्क करना और मां-बाप की अवज्ञा करना।" अब्दुर्रहमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० तकिया लगाए हुए थे उठकर बैठ गए और फ़रमाया "और झूठी गवाही देना या झूठी बात कहना।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 249. मां-बाप को नाराज़ करने वाले के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन बार बददुआ फ़रमायी।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि रग़ि म अन्फ़ु सुम्मा रग़ि म अन्फ़ु सुम्मा रग़ि म अन्फ़ु मन अदर क अिन्दल कबीरि अ ह द हुमा अव किलैहिमा फ़ लम यदख़ुलिल जन्न त०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि आपने इर्शाद फ़रमाया– "उस व्यक्ति की नाक में धूल हो, रुसवा और अपमानित हो, हलाक हो जिसने अपने मां-बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और फिर (उनको राज़ी करके) जन्नत में दाख़िल न हुआ।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 250. बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है जो चाहे उसकी रक्षा करे जो चाहे गिरा दे।

अन अबीद दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला अन्नहू समिअन्नबिय्यि यक़ूलु

Www.IslamicBooks.Website

अल वालिदु अवसतु अबवाबिल जन्नति फ़ अज़िअ ज़ालि कल बा ब अव इहफ़ज़हु०

हज़रत अबू दर्दा रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० को फ़रमाते सुना कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है जो व्यक्ति चाहे उसे महफ़ूज़ रखे जो चाहे उसे गिरा दे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 251. बाप के कहने पर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने अपनी प्यारी पत्नी को तलाक़ दे दी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं मेरे निकाह में एक औरत थी जिसे मैं बहुत प्रिय रखता था लेकिन मेरे बाप (हज़रत उमर रज़ि०) उसे नापसन्द करते थे अतएव उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक़ दे दूं। मैंने तलाक़ देने से इन्कार कर दिया और नबी अकरम सल्ल० से इसका ज़िक्र किया तो आपने इर्शाद फ़रमाया– "ऐ अब्दुल्लाह, अपनी पत्नी को तलाक़ दे।" अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी।"

इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत की है।

मसला 252. जन्नत मां के क़दमों तले है।

हज़रत जाहिमह रज़ि० से रिवायत है कि वे नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और कहा– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैंने जिहाद का इरादा किया है और आपसे मश्विरा लेने के लिए हाज़िर हुआ हूं।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "क्या तेरी मां जीवित है?" उसने कहा– "हां।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "फिर उसकी सेवा कर जन्नत उसके क़दमों के नीचे है।"

इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 253. बाप के मुक़ाबले में मां तीन दर्जा अधिक सदव्यवहार की ज़रूरत है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मेरे सदव्यवहार का सबसे अधिक हक़दार कौन है?" आपने फ़रमाया "तेरी मां" उसने (दोबारा) अर्ज़ किया "फिर कौन?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "तेरी मां।" उसने (तीसरी बार) अर्ज़ किया "फिर कौन?" आपने इर्शाद फ़रमाया "तेरी मां।" उसने (चौथी बार) अर्ज़ किया "फिर कौन?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "तेरा बाप?" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

Www.IslamicBooks.Website

विभिन्न मसाइल

मसला 254. अमल क़ौमे लूत (अप्राकृतिक कार्य) करने या करवाने वाले दोनों को क़त्ल करने या संगसार करने का हुक्म है।

अनिब्नि अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० क़ाला : मन वजदतुमूहू याअमलु अ म ल क़वमि लूतिन फ़क़तुलुल फ़ाअिल वल मफ़ऊल०

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जिस व्यक्ति को अमल क़ौमे लूत का शिकार पाओ उसे और क़ौमे लूत का अमल करवाने वाले दोनों को क़त्ल कर दो।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन्नबिय्यि फ़िल्लज़ी या अमलु अ म ल क़ौमि लूतिन क़ाला : इरजुमुल आला वल असफ़ ल उरजुमूहुमा जमीआ०

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से क़ौमे लूत के अमल के शिकार व्यक्ति के बारे में रिवायत करते हैं कि करने वाला व कराने वाला दोनों को संगसार कर दो (अर्थात) सबको संगसार कर दो।"

इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 255. पति पत्नी का आपसी संबंध मौत से ख़त्म नहीं होता।

मसला 256. नेक मर्द और नेक औरत जन्नत में भी एक दूसरे के पति पत्नी होंगे।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाहि सल्ल० क़ाला : अमा तरज़ै न अन तकूनी ज़वजती फ़िद दुन्या वल आख़िरति कुलतु बला क़ाला : फ़ अन्ता ज़वजती फ़िद दुन्या वल आख़िरति०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने (हज़रत आइशा रज़ि० से) फ़रमाया– "क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम दुनिया और आख़िरत (दोनों जगह) मेरी पत्नी रहो?" हज़रत आइशा रज़ि० ने कहा– "क्यों नहीं।" आपने इर्शाद फ़रमाया– "तुम दुनिया और आख़िरत में मेरी पत्नी हो।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 257. ज़ानी और ज़ानिया के यहां पैदा होने वाली औलाद मां-बाप के गुनाह की ज़िम्मेदार नहीं।

अन आइशता रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलल्लाहि सल्ल० लैसा अला व

Www.IslamicBooks.Website

ल दिज़्ज़िना मिन विज़्रि अबवयहि शैउन०

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद पर अपने मां-बाप के गुनाह का कोई वबाल नहीं।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 258. पत्नी को मां-बाप की मुलाक़ात या सेवा से रोकना मना है।

हज़रत असमा रज़ि० से रिवायत है कि मेरी मुश्रिका मां क़ुरैश और नबी सल्ल० के बीच समझौता (अर्थात हुदैबिया का समझौता) के ज़माने में (मदीना) आयी। उसका बाप (अर्थात मेरा नाना) भी साथ था मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से पूछा– "मेरी मां आयी है और उसे इस्लाम से सख़्त नफ़रत है (उसके साथ क्या करूं?)" आपने इर्शाद फ़रमाया– "अपनी मां से अच्छा सुलूक करो।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 259. जानते बूझते अपनी वलदियत हक़ीक़ी बाप की बजाए किसी दूसरे की तरफ़ मन्सूब करने वाले पर जन्नत हराम है।

अन साअदिब्नि अबी वक़्क़ासिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : समिअतु रसूलल्लाहि यक़ूलु मन इदअी इला ग़ैरि अबीहि व हुवा याअलमु अन्नहू ग़ैरु अबीहि फ़ल जन्नतु अलैहि हरामुन०

हज़रत साअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि० कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है जिसने जानते बूझते अपनी निसबत अपने बाप के अलावा किसी दूसरे की ओर की उस पर जन्नत हराम है।"

इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 260. हसब नसब पर गर्व करना या व्यंग करना दोनों मना है।

अन सलमा न रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० सलासतन मिनल जाहिलिययतिल फ़ख़रु बिल अहसाबि वत्तअनु फ़िल अन्साबि वन्नहा यतु०

हज़रत सलमान रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "तीन बातें अज्ञानता की हैं 1. हसब पर गर्व करना 2. (अपने या किसी दूसरे के) नसब पर व्यंग करना 3. मय्यित पर नोहा करना अर्थात विलाप करना।"

इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 261. अपनी पत्नी, बेटी, बहन या बहु आदि को किसी ग़ैर मेहरम के साथ आपत्ति जनक हालत में देखकर क़त्ल करना मना है।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत साअद बिन उबादा रज़ि० ने अर्ज़ किया– "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! यदि मैं अपनी पत्नी किसी ग़ैर के साथ (अवैध संबंध की हालत में) देखूं तो क्या उस समय तक उसे कुछ न कहूं जब तक चार गवाह न लाऊं?" आपने इर्शाद फ़रमाया– "हां" साअद कहने लगे "कदापि नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है मैं तो गवाह लाने से पहले ही उसे तुरन्त तलवार से क़त्ल कर दूंगा।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "(लोगो!) सुनो तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है। वह (अर्थात साअद) वास्तव में ग़ैरतमन्द है लेकिन मैं इससे ज़्यादा ग़ैरतमन्द हूं और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ग़ैरतमन्द है अर्थात क़त्ल करना जायज़ नहीं बल्कि इससे और अधिक फ़ित्ना फ़साद बढ़ेगा अतः क़त्ल न करो।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 262. पत्नी के चरित्र पर अकारण सन्देह।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि एक देहाती नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मेरी पत्नी ने काले रंग का बच्चा जना है जिससे मैंने इन्कार कर दिया है।" नबी अकरम सल्ल० ने उस देहाती से मालूम किया "क्या तुम्हारे पास ऊंट है?" देहाती ने कहा "हां" नबी अकरम सल्ल० ने मालूम किया– "उसका रंग क्या है?" देहाती ने कहा– "सुर्ख़" नबी अकरम सल्ल० ने मालूम किया "क्या उनमें कोई ख़ामी भी है?" देहाती ने कहा– "हां" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "वह कहां से आ गया?" देहाती ने कहा– "शायद ऊंट की ऊपर वाली नसल में से कोई ऊंट काले रंग का हो।" तो नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया– "शायद यहां भी यही मामला हो कि ऊपर वाली नसल में से किसी का रंग आ गया हो (अर्थात तुम्हारा इन्कार ठीक नहीं)।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 263. ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा बाप की विरासत नहीं पाता न बाप बच्चे की विरासत पाता है।

अन अम रिब्नि शुअयबिन अन अबीहि अन जद्दहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० मन आ ह र अम्मतन अव हुर्रतन फ़ व ल दुहू व ल दुन ज़िनन ला यरिसु वला यूरसु०

हज़रत अम्र बिन शुएब रज़ि० अपने बाप से और वे अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "जिसने लौंडी या आज़ाद औरत से

Www.IslamicBooks.Website

ज़िना किया और उसके बच्चा पैदा हुआ तो यह (बाप) उस बच्चे का वारिस न होगा न ही बच्चा बाप का वारिस होगा।"

इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 264. कुंवारे ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा 100 कोड़े और एक साल का देश निकाला है जबकि विवाहित ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा सौ कोड़े और पत्थरों से संगसार करना है।

अन अुबादतब्निस्सामति रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला : क़ाला रसूलुल्लाहि सल्ल० ख़ुज़ू अन्नी ख़ुज़ू अन्नी फ़ क़द जअ लल्लाहु लहुन्न सबीलन अलबकरु बिल बिकरि जलदु मिअतिन व नफ़यु सन ति व स्सयबु बिस्सयबि जलदु मिअति वर्रजमु०

हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया– "(लोगो!) मुझसे मसाइल सीख लो, (लोगो!) मुझसे मसाइल सीख लो। अल्लाह तआला ने औरतों के लिए राह निकाल दी है। कुंवारा मर्द कुंवारी औरत से ज़िना करे तो उनके लिए सौ कोड़े और एक साल तक देश निकाला की सज़ा है और यदि विवाहित मर्द विवाहिता औरत से ज़िना करे तो उनके लिए सौ कोड़े और संगसार करने की सज़ा है।"

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

व्याख्या– सूरह निसा में अल्लाह ने शुरू में ज़ानिया की सज़ा यह बतायी थी कि उसे मौत तक घर में क़ैद कर दिया जाए और साथ में इर्शाद फ़रमाया कि इस हुक्म पर उस समय तक अमल करो जब तक अल्लाह उनके लिए कोई दूसरी राह नहीं निकालता (सूरह निसा आयत 15) हदीस शरीफ़ में अल्लाह के इसी इर्शाद मुबारक की ओर इशारा है कि अब अल्लाह ने औरतों के बारे में यह राह निकाली है अर्थात यह हुक्म भेजा है।

विवाहित ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा अदालत पर निर्भर है वह चाहे तो दोनों को सज़ाएं दे सकती है कोड़े भी और संगसार भी करना चाहे तो केवल एक ही सज़ा को काफ़ी समझे अर्थात संगसार करना।

देखें मसला (सूरह तलाक़ आयत 4)

Www.IslamicBooks.Website

NIKAH KE MASAIL

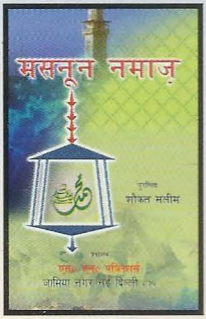

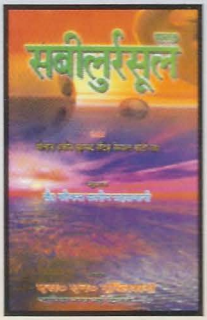

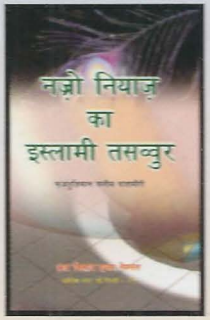

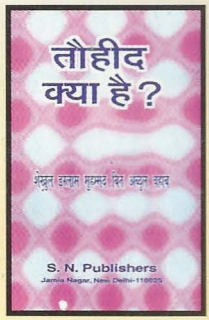

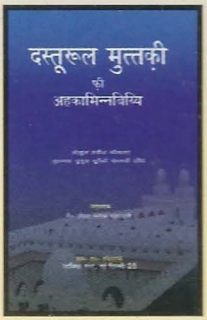

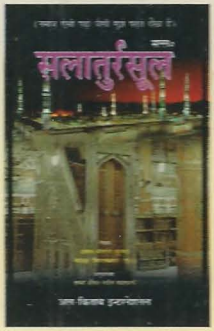

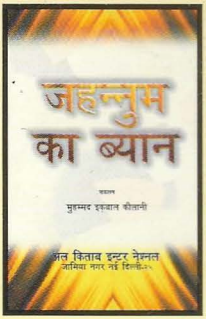

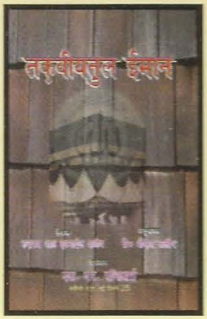

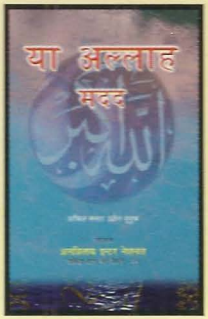

AL-KITAB INTERNATIONAL

Jamia Nagar, New Delhi-25

Www.IslamicBooks.Website